राजस्व संग्रहण

भूलगान

सेस

दाखिल खारिज

लगान निर्धारण

सैरात

पत्र संख्या :- 9 / ल०-2-0-04/2001 - 84

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री के० ए० एच० सुब्रमणियन,
आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता ।

पटना - 15, दिनांक 9.2.2002

विषय :- दिनांक 19.11.2001 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राजस्व संग्रहण की बैठक में लिये गये निर्णय का कार्यान्वयन के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि दिनांक 19.11.2001 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राजस्व संग्रहण की बैठक में कहा गया है कि पिछलेदो दशक में इस विभाग द्वारा सबसे कम अनुपातिक वृद्धि हुई है । जहां तक उत्पादन क्षमता मूल्यों एवं भूमि की कीमत में इतनी वृद्धि हुई है । उसके अनुपात में राजस्व में वृद्धि नहीं हुई है । भू-राजस्व/उत्पादन लागत का अनुपात काफी गिर गया है और कोई कारण नहीं है कि लोग भू-राजस्व का भुगतान नहीं करेंगे।

पहले से स्पष्ट निदेश सभी जिलों को भेजा हुआ है कि राजस्व वसूली हेतु शिविर आयोजित कर भू-राजस्व वसूली अभियान चला जाय। लोग स्वयं हीभू राजस्व चुकाने को इच्छुक है क्योंकि जमीन पर स्वामित्व का यह सर्वोतम प्रमाण है । ऐसे आयोजित किये जाने वाले शिविर में ही लंबित दाखिल खारिज मामलों को निष्पादित किया जा सकता है जिससे राजस्व वसूली में भी वृद्धि होगी । इस प्रकार शिविर आयोजन में ही सरकारी जमीन, जो बन्दोबस्ती लायक है, का पहचान सरकारी जमीन पर हुई अतिक्रमण का पहचान, गरीबों को आवंटित हदबन्दी/भूदान/सरकारी जमीन में बेदखली के मामलों की पहचान आदि भी सुलभ एवं सक्रिय ढंग से हो जाना है ।

बहुत जिलों की राजस्व मांग के आंकड़े बहुत हद तक Suppressed है । सही आंकड़े निकालने के बारे में कई निदेश दिये जा चुके हैं । कुछ जिलों से राजस्व मांग का सत्यापन गहराई से किया गया है, वहां मांग में काफी वृद्धि हुई है । सभी जिलों को पुन: निदेश दिया जाता है कि अपने जिले के राजस्व मांग को जांच कर सत्यापित कराया जाय । पिछले वर्षों के रिर्टन - I को ठीक से देख लें विशेशकर बकाया मांग के आकड़ें को ठीक से जांच कर लेना अत्यावश्यक है ।

एजेन्सीवार/कर्मचारी वार सप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित कर यह सुनिश्चित कर लें कि लक्ष्य के अनुपात वसूली हो रही है । जो भी कर्मचारी या अधिकारी राजस्व वसूली में अभिरुचि नहीं लेते हों या प्रगति नहीं दिखाते है उनपर आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए ।

सैरात वसूली पर भी विशेष ध्यान दिया जाय । सैरात की समय पर बन्दोबस्ती सरकारी दिशा निर्देशों के अनुरुप सुरक्षित जमा निर्धारण, बन्दोबस्ती मे व्यापक प्रचार कर वास्तविक रुप से डाक करना आदि निश्चित करावें । कृषि बाजार समितियों को हस्तानान्तरित सैरातों के लिए उनके द्वार कई जिलो में सालों से निश्चित राशि सरकार को जमा नही किया जाता है । इसकी वसूली में भी आवश्यक ध्यान देना चाहिए। सरकार राजस्व वसूली में वृद्धि एवं लक्ष्य प्राप्ति के प्रति काफी सचेष्ट एवं गम्भीर है साथ हीं लंवित नीलाम पत्र वादों को त्वरित निष्पादन हेतु समुचित एवं ठोसकार्रवाई की जाय ताकि वसूली में कोईबाधा उपस्थित न हो ।

कृपया निर्धारित तिथि पर मासिक प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में जिसमें लगान, रोड सेस, शिक्षा सेस, कृषि विकास सेस, स्वास्थ्य सेस, सैरात एवं विविध का मदवार मांग एवं वसूली (बकाया, हाल एवं शेष को दिखाते हुए) में दर्शाते हुए भेजें ।

राजस्व संग्रहण प्रतिवेदन भेजते समय सभी प्रकार की वसूली का मदवार स्पष्ट रुप से अलग-अलग प्रतिवेदन भेजा जाय यथा:-

(1) भू-लगान एवं सेस, सैरात एवं विविध

(2) व्यावसायिक लगान

(3) नीलाम पत्र वाद

(4) सैरात की बन्दोबस्ती

(5) लीज एवं उसके हस्तान्तरण के फलस्वरुप अंतरण की राशि

(6) खास महाल लीज से संबंधित सलामी

(7) लीज नवीकरण में अनियमितता के कारण आर्थिक दण्ड की राशि

(8) कृषि उत्पादन बाजार समिति द्वारा हाट-बाजार सैरात के मद में जिला में होने वाले 20 प्रतिशत कमीशन की मूल राशि

अत: अनुरोध है कि राजस्व संग्रहण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रमण्डलीय आयुक्त का मार्गदर्शनप्राप्त कियाजाय एवं प्रमण्डलीय स्तर पर बैठक में भाग लेने की कृपा की जाय । किसी भी हालत में शत प्रतिशत वसूली का लक्ष्य रखते हुए इसके निराकरण हेतु उपाय एवं निदेश जारी किये जायें ।

विश्वासभाजन

(के० ए० एच० सुब्रमणियम)
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक - 9 ल०-2-0-04/2001 84 / रा० पटना - 15, दिनांक 9.2.2002

प्रतिलिपि सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं अविलम्ब कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2- अपने स्तर से भी राजस्व वसूली हेतु निदेश जारी किये जायें एवं वसूली की प्रगति का निरन्तर Monitors किया जाय ।

(के० ए० एच० सुब्रमणियम)
आयुक्त एवं सचिव ।

पत्र संख्या :- 12 / भू० सु० विविध - 11/2000 737 रा०

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री के० ए० एच० सुब्रमणियन,

आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता ।

सभी उपायुक्त

पटना - 15, दिनांक 3.10.2000

विषय :- भूमि सुधार कार्यक्रमों से संबंधित मामलों को विशेष अभियान चलाकर निष्पादित करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय से संबंधित विभागीय पत्रांक - 1246/ रा० दिनांक 26.12.97 एवं 297 रा० दिनांक 3.4.99 का कृपया स्मरण किया जाय, जिसके द्वारा भूमि सुधार कार्यक्रमों को अभियान चलाकर प्रभवकारी ढंग से कार्यान्वित किये जाने हेतु कई महत्वपूर्ण निदेश दिये गये हैं ।

इसी प्रसंग के अखबारों के माध्यम से एवं विभिन्न प्रमंडलीय मुख्यालयों में हुई आयुक्त, समाहर्ता एवं अन्य राजस्व पदाधिकारियों की बैठक में भी स्पष्ट किया गया है कि ऐसा अभियान अक्टुबर 2000 तक चलाया जायेगा ।

सरकार की स्पष्ट अवधारणा है कि बिहार में उग्रवाद की समस्या मूलत: भूमि कीसमस्या है । भूमि सुधार कार्यक्रमों को प्रभावकारी ढंग से लागू कर तथा भूमि विवादों का निपटारा कर उग्रवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सकता है ।

अत: भूमि संबंधित समस्याओं के निपटारा हेतु भूमि सुधार कार्यक्रमों के अन्तर्गत भू-हदबन्दी की अधिशेष भूमि, भूदान भूमि एवं सरकारी भूमि का वितरण, वासगीत पर्चा एवं दाखिल खारीज आदि मामलों को एक विशेष अभियान चलाकर दिनांक 31.10.2000 तक निष्पादित किया जाना है ।

भूमि सुधार कार्यक्रमों को लागू करते समय समानता का ख्याल अवश्य रखा जाय तथा भूमि वितरण एवं बन्दोबस्ती के समय ही वास्तविक दखल कब्जा दिला दिया जाय ताकि बाद में कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो ।

भूमि सुधार कार्यक्रमों के अन्तर्गत गरीबों एवं सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीनों को 04 डिसमिल जमीन मुहैया कराया जाना है साथ ही प्रत्येक सुदूर गांवों और टोलों में जहां सड़क नहीं वहां 12 फुट का रास्ता निर्माण कराया जाना है । सरकारी जमीन की अनुपलब्धता की स्थिति में सरकार जमीन अर्जित कर उपलब्ध करायेगी ।

भूमि सुधार की सफलता उसको समय सीमा के अन्दर कार्यान्वित किये जाने पर निर्भर करती है । अतएव एक विशेष अभियान के क्रम में भूमि सुधार कार्यक्रमों का दिनांक 31.10.2000 तक निश्चित रूप से निष्पादित कर दिया जाय तथा कृत कार्रवाई से सरकार को अवगत कराया जाय ।

विश्वासभाजन

(के० ए० एच० सुब्रमणियम)
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक - 737 रा०, पटना - 15, दिनांक 3.10.2000

प्रतिलिपि सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचना शीध्र आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

(के० ए० एच० सुब्रमणियम)
आयुक्त एवं सचिव ।

॥ फैक्स संवाद ॥

पत्र संख्या :- 15 / ल०-3-विविध - 43/2000 538 रा०

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री के० ए० एच० सुब्रमणियन,

आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता ।

(संथाल परगना/उत्तरी छोटानागपुर/दखिणी छोटानागपुर एवं
पलामू प्रमण्डल के उपायुक्तों को छोड़कर)

पटना - 15, दिनांक 29.7.2000

विषय :- बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885, की उप धारा (4) के प्रावधानों के आलोक में कृषि योग्य भूमि के गैर कृषि प्रयोजनों में उपयोग किये जाने पर लगान पुर्ननिर्धारण के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्र संख्या - 15/ल०-2-नीति-11/95-1298 रा० दिनांक 17.12.96 , 15/ल0-3नीति-11/98-837 रा0 दिनांक 3.11.98, 159 रा0 दिनांक 16.2.99 एवं 413 रा0 दिनांक 13.6.2000 का कृपया स्मरण करें । इस प्रसंग में पूर्व के निर्गत सभी निदेशों के आलोक में व्यवसायिक लगान पुनरनिर्धारण के कार्य में तीव्रता लाने एवं वसूली संबंधी कार्रवाई को उच्च प्राथमिकता देने हेतु अनुरोध किया गया था । साथ ही यह भी अनुरोध किया गया था कि विभागीय पत्रांक - 123 दिनांक 13.11.98 के निदेशानुसार निर्धारित प्रपत्र में नियमित रूप से वसूली का मासिक/वित्तीय वर्ष के अनुसार अद्यतन प्रतिवेदन अवश्य ही विभाग में उपलब्ध कराया जाय । परन्तु आप द्वारा इसे भेजने में काफी शिथिलता बरती जा रही है । जिन जिलों से कथित से संबंधित प्रतिवेदन भेजी भी जाती है तो कुछेक जिले को छोड़कर अधिकांशतः जिले का प्रतिवेदन अपूर्ण रहता है । इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ।

उल्लेखनीय है कि अतिरिक्त संसाधन में वृद्धि लाने हेतु उच्च स्तरीय समीक्षा बराबर की जा रही है ।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त वांछित प्रतिवेदन नियमित रूप से तुरत भेजें । साथ ही मासिक लगान एवं सैरात वसूली संबंधित प्रतिवेदन जो सरकार को आपके द्वारा नियमित रूपसे भेजना है उसमें भी व्यवसायिक लगानकी मांग (बकाया एवं हाल) एवं उसके विरूद्ध वसूली के आंकड़े अलग से दर्शाकर भेजें ।

कृपया इसे उच्च प्राथमिकता दें ।

विश्वासभाजन

(के० ए० एच० सुब्रमणियम)
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक - 15/ल0 - 3 - विविध - 43/2000 538 / रा०, पटना - 15, दिनांक, 29.7.2000

प्रतिलिपि सभी प्रमण्डलीय आयुक्त (संथालपरगना/उत्तरी छोटानागपुर/दक्षिणी छोटानागपुरएवं पलामू प्रमंडल के उपायुक्तो को छोड़कर) को राजसव एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक - 15/ल0 -3- विविध-43/2000-413 रा0 दिनांक 13.6.2000 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(के० ए० एच० सुब्रमणियम)

आयुक्त एवं सचिव ।

पत्र संख्या :- 15 / लोखा लेखा - 10/2000 415 /रा०

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री के० ए० एच० सुब्रमणियन,

आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता/सभी उपायुक्त ।

पटना - 15, दिनांक 16.6.2000

विषय :- लगान पर धार्य होने वाले रोड सेस, शिक्षा सेस, स्वास्थ्य सेस एवं कृषि विकास सेस की नियमित वसूली के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आपका व्यक्तिगत ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि नियमानुसार लगानपर धार्य होने वाले सेसों का निर्धारण/वसूली सही नहीं होने के कारणमहालेखाकार के प्रस्तावित प्रारुप कंडिका/प्रारुप कंडिका/सिविल लेखासंबंधीअनेक कंडिका यथा उपकरों का नहीं लगाया जाना उपकरों का निर्धारित दरसे कम लगाया जाना एवं लगान से विमुक्त जमाबन्दी पर उपकरनहीं लगाना आदि के चलते वर्षों से कंडिकाओं का निस्तार लंबित चला आ रहा है । यदि महालेखाकार द्वारासंपादित जांच अंकेक्षण के क्रम में स्थल अनुपालन अथवा अंकेक्षण प्रतिवेदन का समय निस्तार कर दिया जाय तो प्रस्तावित प्रारुप कंडिका/प्रारुप कंडिका/सिविल लेखा कंडिका बनने का काई प्रश्न ही नहीं रह जाता है ।

(2) सरकार के सामने अनेक मामले ऐसे हैं जिसमें वर्षों से पत्राचार के बाद भी कंडिकाओं का अनुपालन सरकार को नहीं भेजा जाता है फलस्वरुप लोक लेखा समिति की होनेवाली बैठकों में विभागीय स्थिति हास्यास्पद बनकर रह जाती है ।

(3) आप अवगत हैं कि बिहारप्राथमिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1981 के तहत शिक्षा सेस निर्धारित लगान का 50 प्रतिशत पहली अप्रैल 1980 से वसूलनीय है ।

(ii) इसी प्रकार बिहार वित्त अधिनियम 1982 के अनुसार पहली अप्रैल, 1982 से स्वास्थ्य सेस एवं कृषि विकास सेस क्रमशः लगान का 50 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत निर्धारित कर वसूलनीय है ।

(iii) उपर्युक्त के अलावे बिहार सेस (संशोधन) अधिनियम 1981 के अनुसार पहली अप्रैल 1980 से रोड सेस लगान का 25 प्रतिशत धार्य किया जाता है ।

(4) उपरोक्त प्रावधानों के अतिरिक्त बिहार भू-लगान (भुगतान से छूट) अधिनियम 1982 के अनुसार कृषि प्रयोजनार्थ धारित भूमि:-

(क) रांची, पलामू, सिंहभूम, हजारीबाग,गिरिडीह, धनबाद एवं संथालपरगना में 3 हेक्टेयर तक की भूमि ।

(ख) अन्य जिलों जिसका जिक्र ''क'' में नहीं है, में 2 (दो) हेक्टेयर तक की भूमि ।

(ग) कोशी नदी के तटबन्धों के बीच बोधेपुर गांव से महादेव मठ और फुरिया होकर बदला घाट रेलवे स्टेशन के निकट करेह बांध जिसे नदी का पश्चिमी तटबंध पर पड़ने वाले क्षेत्र की 4 (चार) हेक्टेयर तक की भूमि ।

(घ) बिहार भु-लगान (भुगतान से छूट) संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार बिहार अधिनियम - 4, 1982 की धारा - 3 का संशोधन:-

बिहार भू-लगान (भुगतान से छूट) अधिनियम 198 (बिहार अधिनियम -4, 1982) की धारा - 3 के खण्ड (ग) के बाद एक नया खण्ड जोड़ा गया है (घ) जिसके तहत राज्य के उत्तरीएवं दक्षिणी छोटानागपुर तथा पलामू प्रमण्डलों में अवस्थित ताना भगतों को 4 (चार) हेक्टेयर (10 एकड़) तक की भूमि को भू-लगान से विमुक्त किया गया है । परन्तु अधिनियम में यह स्पष्ट व्याख्या है कि उपरोक्त कंडिका ''क'' ''ख'' ''ग'' एवं ''घ'' की भूमि सेस से विमुक्त नहीं होगी अर्थात लगान पर धार्य होने वाले रोड सेस, शिक्षा सेस एवं सवास्थ्य सेस आदि की वसूली लगान विमुक्ति की दशा में भी जारी रहेगी ।

(5) सरकार की यह समझ है कि कंडिका "3" एवं "4" में वर्णित प्रावधानों का यदि सख्ती से पालन किया जाय तो ऐसा कोई कारण नहीं होगा कि महालेखाकार द्वारा उठाई गई आपत्तियों का स्वतः निष्पादन न हो जाय ।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार अपने जिले के भू-राजस्व मांग से संतुष्ट हो लें और यदि आवश्यक हो तो नियमानुसार मांग में आवश्यक संशोधन कर भू राजस्व वसूली हेतु अपने स्तर से अपर समाहर्ता, अनुमण्डलाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अंचलाधिकारी आदि को कारगर निदेश देकर अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय ।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय ।

विश्वासभाजन

(के० ए० एच० सुब्रमणियम)
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक - 415 रा०, पटना - 15 दिनांक 16.6.2000

प्रतिलिपि सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि विषय की गंभीरता को देखते हुए राजस्व संग्रहरण की प्रत्येक प्रमण्डलीय बैठकों में इसे एजेन्डा के रूप में सम्मिलित कर व्यापक विमर्श किया जाय तथा अपने अधिनस्त पदाधिकारियों को अपने स्तर से समुचित निदेश देने की कृपा की जाय ।

(के० ए० एच० सुब्रमणियम)
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक - 415 रा०, पटना - 15 दिनांक 16.6.2000

प्रतिलिपि, सभी अपर समाहर्ता एवं अपर उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(के० ए० एच० सुब्रमणियम)
आयुक्त एवं सचिव ।

पत्र संख्या :- 15 / ल० - 3 - नीति - 14/98 158 रा०,

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री वैद्यनाथ प्रसाद
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

समाहर्ता, पटना ।

पटना, दिनांक 16.2.99

विषय :- बिहार कास्तकारी अधिनियम 1885 की धारा 23 को उपधारा (4) के प्रावधानों के आलोक में कृषि योग्य भूमि के गैर कृषि प्रयोजनों में उपयोग किए जाने पर लगान पुनर्निधारण के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्र संख्या - 1298 दिनांक 17.12.96 के प्रसंग में कहना है कि बिहार कास्तकारी (संशोधन) अधिनियम 1993 द्वारा 1865 के अधिनियम की धारा 23 में उपधारा (4) जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि व्यवसायिक लगान ऐसे मामलों में निर्धारित दर पर लिया जाए, जिन मामलों में भूमि का उपयोग व्यवसायिक कार्य के लिए कियाजा रहा है ।

2- उक्त संशोधन को वैद्यता को माननीय उच्च न्यायालय में कई याचिकाएँ दायर कर चुनौतीदी गई है । समादेश याचिका संख्या - 5411/95 में माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 25.8.95 को निम्न आदेश पारित किया है :-

"so far as the stay is concerned any retrospectivge demand at the revised rate is stayed.So far as current demands are concerned, from 11.5.94, the petitioner shall pay the 25% of the enhanced amount. "

3- माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश एवं विधि विभाग के परामर्श के आलोक में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि:-

(i) माननीय उच्च न्यायालय के उक्त फैसले का लाभ सिर्फ उपर्युक्त याचिका के याचिकाकर्त्ता को ही प्राप्त होगा ।

(ii) किन्तु संशोधित अधिनियम के अनुसार संप्रति लगान एवं सेस दिनांक 11.5.94 से ही आकलित एवं वसूलनीय होगा ।

विश्वासभाजन

(वैद्यनाथ प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक - 15/ल०-3-नीति-14/98 159 रा०, पटना - 15, दिनांक 16.2.99

प्रतिलिपि, सभी समाहर्ता को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(वैद्यनाथ प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव ।

पत्र संख्या :- 15 / ल० - 3 - नीति - 14/98 159 रा०,

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री वैद्यनाथ प्रसाद
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

समाहर्ता, पटना ।

पटना, दिनांक 16.2.99

विषय :- बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 की धारा 23 को उपधारा (4) के प्रावधानों के आलोक में कृषि योग्य भूमि के गैर कृषि प्रयोजनों में उपयोग किए जाने पर लगान पुनर्निधारण के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्र संख्या - 1298 दिनांक 17.12.96 के प्रसंग में कहना है कि बिहार काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम 1993 द्वारा 1865 के अधिनियम की धारा 23 में उपधारा (4) जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि व्यवसायिक लगान ऐसे मामलों में निर्धारित दर पर लिया जाए, जिन मामलों में भूमि का उपयोग व्यवसायिक कार्य के लिए कियाजा रहा है ।

2- उक्त संशोधन को वैद्यता को माननीय उच्च न्यायालय में कई याचिकाएँ दायर कर चुनौतीदी गई है । समादेश याचिका संख्या - 5411/95 में माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 25.8.95 को निम्न आदेश पारित किया है :-

"so far as the stay is concerned any retrospective demand at the revised rate is stayed.So far as current demands are concerned, from 11.5.94, the petitioner shall pay the 25% of the enhanced amount. "

3- माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश एवं विधि विभाग के परामर्श के आलोक में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि:-

(i) माननीय उच्च न्यायालय के उक्त फैसले का लाभ सिर्फ उपर्युक्त याचिका के याचिकाकर्त्ता को ही प्राप्त होगा ।

(ii) किन्तु संशोधित अधिनियम के अनुसार संप्रति व्यवसायिक लगान एवं सेस दिनांक 11.5.94 से ही आकलित एवं वसूलनीय होगा।

विश्वासभाजन

(वैद्यनाथ प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक - 15/ल०-3-नीति-14/98 159 रा०, पटना - 15, दिनांक 16.2.99

प्रतिलिपि, सभी समाहर्ता को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(वैद्यनाथ प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव ।

पत्र संख्या :- 15 / ल० - 3 - नीति - 18/98 954 रा०,

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री डी० पी० महेश्वरी,
आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

समाहर्ता/उपायुक्त ।

पटना, नालन्दा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, जहानाबाद, छपरा, सीवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, बेतिया, मोतिहारी, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णियाँ, कटिहार, किशनगंज, अररिया, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, पाकुड़, हजारीबाग, बोकारो, कोडरमा, चतरा, रांची, गुमला, लोहरदग्गा, चाईबासा, जमशेदपुर, पलामू एवं गढ़वा।

पटना, दिनांक 24.12.98

विषय :- अनुसूची एक्स० आई० भी० (XIV) के प्रपत्र क्रम 180 भी (लगान रसीद बही) की आपूर्ति करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि अनुसूची एक्स आई० भी० (XIV) के प्रपत्र क्रम 180 भी (लगान रसीद बही) संलग्न सूची के अनुसार पत्रप्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर अपने जिले के व्यादेश के साथ आपके द्वारा प्राधिकृत विशेष दूत को अधीक्षक, प्रेस और फॉर्म्स, गया भेजकर वहां से इन लगान रसीद बहियों को प्राप्त कर लें तथा इसकी सूचना फैक्स संवाद से सरकार को भी दी जाय ।

विश्वासभाजन

(डी० पी० महेश्वरी)
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक - 954 रा०, पटना दिनाक 24.12.98

प्रतिलिपि अधीक्षक, प्रेस एवं फॉर्म्स गया को उनके फैक्स पत्रांक 411 निवास दिनांक 21.12.98 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(डी० पी० महेश्वरी)
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक - 954 रा०, पटना दिनाक 24.12.98

प्रतिलिपि श्रीमती नीलम नाथ, अपर वित्त आयुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

(डी० पी० महेश्वरी)
आयुक्त एवं सचिव ।

पत्र संख्या :- 15 / ल० - 3 - नीति - 27 / 97 914 /रा०,

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री डी० पी० महेश्वरी,
आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

समाहर्ता, मधुबनी ।

पटना, दिनांक 9.12.98

विषय :- गैर मजरूआ आम एवं खास जमीन की जमाबंदी रद्द करने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

आपके उपर्युक्त विषयक पत्र संख्या - 210 मु0 दिनांक 31.8.97 एवं 299 मु0 दिनांक 21.11.97 के प्रसंग में कहना है कि गैर मजरूआ आम/खास जमीन के संबंध में भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्बंधित पट्टा या सादा हुकुमनामा द्वारा की गयी बन्दोबस्ती एवं उसके आधार पर खोली गयी जमाबंदी के संबंध में राज्य के कई जिलों में भूमि विवाद को समस्या उत्पन्न हुई है । जहानाबाद जिले के लक्षमण बाथे गांव में हुई घटना के बाद भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने भी भूमि विवाद से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों की पहचान कर सम्यक निदान करते हेतु राज्य सरकार से आग्रह किया है। तदनुसार विभागीय पत्रांक - 12/ भूदान - 12/97-1246 राजस्व दिनाक 26.12.97 द्वारा विस्तृत अनुदेश सभी समाहर्ताओं एवं उपायुक्तों को दिया गया है जिसपर तत्परता के साथ कार्रवाई अपेक्षित है ।

2- बिहार में तीन टोनेन्सी एक्ट्स - बिहार टेनेन्सी एक्ट, छोटानागपुर टेनेन्सी एक्ट एवं संथालपरगना टेनेन्सी एक्ट लागू है । सभी प्रकार के भूमि तथा उसके उपयोग के अधिकार इस टेनेन्सी एक्टस में उल्लिखित है । इनके अनुसार भूमि को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में साधारणतया राखा जा सकता है ।

(क) रैयती भूमि जिसपर रैयत का अधिकार है ।

(ख) गैर मजरूआ आम भूमि जिसपर ग्राम, समाज या नागरिकों का अधिकार है ।

(ग) गैरमजरूआ मालिक/खास, परती कदीम भूमि जिस पर जमींदारी अन्मूलन के पूर्व भूतपूर्व जमींदार का अधिकार था, किन्तु भूमि सुधार अधिनियम 1950 के प्रभावी होने के फलस्वरुप ऐसी भूमि सरकारमें निहित हो गयी है तथा जिसपर बिहार सरकार का अधिकार है ।

इसके अतिरिक्त कैसरे हिन्द के नाम से जो खतियान में दर्ज था, वह भूमि दखल कब्जा के आधार पर केन्द्र सरकार की है या बिहार सरकार की । इसी तरह जंगल, झाड़ी, नदी नाला आदि भूमि दखल कब्जा के आधार पर बिहार सरकार के अधिकार में है ।

3- बहुत से जिलों से ऐसे मामले प्रतिवेदित हो रहे हैं, जहां अवैध ढंग से कनीय पदाधिकारियों ने सरकार मे निहित भूमि की भी जमाबंदी खोल दिया है, जिसके संबंध में जांच कर आवश्यक कार्रवाई करना आवश्यक है, ताकि सरकार के हितों की रक्षा हो सके । उल्लेखनीय है कि जमींदारी उन्मूलन के तत्काल बाद सरकार ने "फिल्ड बुझारत" योजना प्रारंभ की थी, जिसका उद्देश्य भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न के सम्बन्ध में स्थल पर वास्तविक स्थिति का पता लगाकर अधिकार अभिलेखों को अद्यतन करना था । जमींदारी उन्मूलन के बाद भूतपूर्व जमींदार को बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 के अधीन अपने जमींदारी स्वार्थ के बारे में रिटर्न देना आवश्यक था । इसमें रैयती भूमि की विवरणी के साथ साथ उनके द्वारा बन्दोबस्त की गयी गैरमजरूआ मालिक एवं आम भूमि की विवरणी तथा ऐसी भूमि जिसका उपयोग स्वयं भूतपूर्व जमींदार कर रहे थे देना आवश्यक था । इसी रिर्टन को आधार मानकर उस समय भू-लगानवसूली पंजी भी तैयारकिया गया बाद में बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 5, 6, 7 के अन्तर्गत गैर मजरूआ मालिक आदि भूमि जो भूतपूर्व जमींदार के खास दखल कब्जे में थी का लगान भी निर्धारित किया गया।

इसी समय ऐसी भूमि जो ''भउली'' थी अर्थात जिसका लगान उपज द्वारा लिया जाता था का भी नये सिरे से लगान निर्धारण किया गया । साथ ही ''फिल्ड बुझारत'' के दौरान रिर्टन में छूट रैयतों की विवरणी तथा जमींदार द्वारा की गयी बन्दोबस्ती की सूचनाएं संग्रहित कर लगान निर्धारित करते हुए जमाबदीपंजी भी यथा समय अद्यतन किया गया ।

4- फिर भी राज्य सरकार को यह सूचना प्राप्त हो रही है कि कर्मचारी या कनीय पदाधिकारी द्वारा अवैध रुप से बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के जमाबंदी खोलने एवं सरकारी भूमि को अवैध रुप से क्षति पहुंचाने की कार्रवाई हुई है । राज्य सरकार के द्वारा 1967 में ही यह निदेशनिर्गत है कि समुचित छान-बीन के उपरान्त ही अनुमंडल पदाधिकारी जमाबंदी खोल सकते हैं । अगर सरकार के इस अनुदेश का उल्लंघन किया गया है तो सरकार इसे गंभीरता से लेती है और जिला पदाधिकारियों एवं उपायुक्तों को यह निदेश देती है कि चूंकि ऐसी जमाबंदी बिल्कुल अवैध बिना आधार के है, अत: उसे रद्द कर सकते हैं एवं संबंधित पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सकती है ।

5- बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4-एच के अन्तर्गत अगर भूतपूर्व जमींदारों ने बिहार भूमि सुधार के उद्देश्यों को विफल करने के उद्देश्य से या सरकार को घाटा या क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से या निजी लाभ लेने के उद्देश्य से बन्दोबस्ती या हुकुमनामा निर्गत किया है और उसके आधार पर जमाबंदी खोल दी गयी है, तो इससंध में जांच समाहर्त्ता या उपायुक्त धारा 4 - एच के अन्तर्गत कर सकते हैं और अंतिम आदेश पारित कर सकते हैं । लेकिन उपर्युक्त धारा 4-एच में यह भी प्रावधान है कि ऐसे आदेश पर राज्य सरकार को संपुष्टि प्राप्त करने के बाद ही जमाबंदी रद्द की जाय अथवा जमीन को दखल कब्जा में लिया जाय । अत: ऐसे मामलों में आयुक्त के माध्यम से सरकार की अनुमति लेकर ही जमाबन्दी रद्द की जाय, अन्यथा उच्च या सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे आदेश को रद किया जा सकता है । इस संबंध में विभिन्न नयालयों के निर्णयों की संक्षिप्त विवरणीस्थिति को स्पष्ट करने के लिए दी जा रही है ।

6- माननीय उच्च न्यायालय में जमाबंदी रद्द करने के विरुद्ध कई रिट याचिकाएं निष्पादित हुई है जिसमें रिट याचिका संख्या 2297/98 शिस गोप एवं अन्य बनाम उप समाहर्ता भूमि सुधार, जमुई एवं अन्य में दिनांक 21.12.62 का फैसला ए0आई0ई0 1983, पेजा - 12 रिट याचिका संख्या - 641 /75 हरिहर सिंह एवं अन्य बनाम अपर समाहर्ता, भूमि सुधार मुंगेर में दिनांक 23.12.76 का फैसला, बीबी0सी0जे0 1978 पृष्ठ 323 रिट याचिका संख 4290/98 जमालुददीन अहमद बनाम एस.डी0ओ0 खगड़ियाएवं अन्य में दिनांक 26.9.79 काफैसला बी0बी0सी0जे0 1979 पृष्ठ - 605 पर प्रकाशित फैसलों को अवलोकन कियाजाय । अन्तिम दो रिट याचिकाओं में भूतपूर्व जमींदार द्वारा क्रमश: 1940 एवं 1938 में सादा हुकुमनामा द्वारा बन्दोबस्ती की गई थी। उसके बारे में रिटर्न में भीनाम नहीं दिया गया था परन्तु राजस्व पदाधिकारी द्वारा जमाबंदी कायम की गई। इसके वर्षो बाद जमाबंदी रद्द करने को रिट याचिकाओं में चुनौती दी गई थी जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया गया है । ऐसे मामलों में सरकार के विरुद्ध एस्टोपेल (.....) माना गया । उपर्युक्त प्रथम रिटयाचिका में यद्यपि बन्दोबस्ती 1950 की है जिसकी जांच धारा 4 एच के अधीन कीजा सकती थी परन्तु अपने हीस्तर से उप समाहर्ता भूमि सुधार जमुई द्वारा जमाबंदी रदद करने के आदेश को उक्त रिट याचिका में खारिज करते हुए रिट स्वीकृत किया गया है ।अतएव गैरमजरूआ मालिक या आम भूमि से संबंधित हुकुमनामा तथा जमाबंदी जिसके बारे में भूमि विवाद हो उस पर सावधानीपूर्वक जांच एवं कार्रवाई अपेक्षित है । सादा हुकुमनामा के आधार पर अभी भी काफी मामले विभिन्न पदाधिकारियों के समक्ष आते होंगे, जिनका नाम रिटर्न में नहीं हो सकता है। ऐसे एन्टीडेटेड अनिबंधित हुकुमनामों के आधार पर जमाबंदी खोलना गलत होगा। सरकार के निदेश देती है कि ऐसे अपुष्टआधारपर बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के खोले नए जमाबंदी पंजी-II में ऐसे सम्मिलित जमाबंदी का पतालगाकर ऐसे जमाबंदियों को समाहर्ता/उपायुक्त जांच कर रदद करते हुएधारा 4 - एच के अन्तर्गत सरकार को प्रस्ताव भेजें । सरकारकी सम्पुष्टि प्राप्त कर ही जमाबंदी रद्द की जाय ।

उल्लेखनीय है कि जमींदारों को ऐसी भूमि बन्दोबस्ती जिस भूमि कामूल्य सौ रुपया या अधिक था को इंडियन रजिस्टेशन एक्ट की धारा17 के अन्तर्गत निबंधित करानी चाहिए थी । अत: इस कारण से भीऐसे सादा हुकुमनामों को अब कोई बैध आधारनहीं रह गया है । इसके अतिरिक्त विभिनन जिलों में सर्वे एवं चकबन्दीके अन्तर्गत किस्तवार, खानापुरी तत्दीक एवं अन्य कार्य सम्पन्न किये गये हैं । उन अभिलेखों को भी देखने से ज्ञात होगा कि ऐसी भूमि बिहार सरकार या सार्वजनिक घोषित की गई है । अत: ऐसे दावों को रद्द करने में कोई हिचकिचाहट नहीं

होनी चाहिए। ऐसे मामलों में अगर न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया गया है तो सरकारके हितों की रक्षा के लिए प्रभावकारी कार्वाई की जानी चाहिए।

7- जहां तंक गैरमंजरूआ आम जमीन की जमाबंदी का प्रश्न है इसके बारे में पूरी जांच की जाये कि उक्त भूमि के स्वरुप में परिवर्तन के पश्चात ग्राम समाज से सहमति पाप्त कर सरकार द्वारा बन्दोबस्ती की गई या मनमाने ढंग से भूतपूर्व जमींदार द्वारा बंदोबस्ती की गई है उल्लेखनीय है कि मजींदारों को गैर मजरूआ आम भूमि की बंदोवस्ती का अधिकार ही नहीं था । अवैध आधार पर कायम ऐसी जमाबंदी भी रदद करने योग्य है और इन जमाबंदियों में सन्निहित जमीन पर विभागीय परिपत्र ई/XI/-1030/53-4097/ एल0 आर0 दिनांक 23.9.53 (प्रतिलिपि संलग्न) के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है। वर्तमान में केवल राज्य सरकार ही स्वरुप परिवर्तन हुए गैर मजरूआ आम भूमि को बन्दोबस्ती कर सकती है।

अनुरोध है कि उक्त निदेशों के आलोक में गैरमजरूआ आम एवं खास जमीन की अवैध जमाबंदी रदद करने की कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन

(डी० पी० महेश्वरी)
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक - 914 रा0, पटना दिनांक 9.12.98

प्रतिलिपि सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी समाहर्त्ता/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(डी० पी० महेश्वरी)
आयुक्त एवं सचिव ।

पत्र संख्या :- 1/ ल० - 3 - नीति - 11 / 98 837 /रा०,

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री डी० पी० महेश्वरी,
आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी समाहर्ता ।
संथाल परगना, उत्तरी छोटानागपुर एवं दक्षिणी छोटानागपुर के प्रमंडलों के उपायुक्तो को छोड़कर

पटना, दिनांक 3.11.98

विषय :- बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 की उपधारा - 4 के अंतर्गत प्रावधानों के आलोक में कृषि योग्य भूमि के गैर कृषि प्रयोजनों में उपयोग किये जाने पर लगान पुनर्निधारण के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक 1298 रा0 दिनांक 17.12.96 के प्रसंग में मुझे कहना है कि सरकार के समक्ष कुछ ऐसे दृष्टात आए हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि भूमि के बाजार मूल्य के निर्धारण एवं जिस भूमि काव्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है उस भूमि के व्यवसायिक लगान के निर्धारण में एकरूपता नहीं बरती जा रही है । फलस्वरुप कई विवाद उत्पन्न हो गए हैं । इस बिन्दु पर पूर्ण समीक्षोपरान्त राज्य सरकार न निर्णय लिया है कि-

(1) भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 अधिनियम - 1, 1899 के अंतर्गत बिहार स्टाम्प लिखित का न्यून मूल्यांकननिवारण नियमावली 1995 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित बाजार मूल्य को ध्यान में रखकर व्यवसायिक लगान की गणना की जाय ।

(2) बिहार लगानपुनर्निधारण नियमावली 1995 के क्रमांक, में यह प्रावधान किया गया है कि व्यवसायिक कार्य हेतु उपयोग किए जानेवाली भूमि का लगान युक्तिसंगत Reasonable आधार पर किया जाए । इस बिन्दु के आलोक में व्यवसाय की प्रकृति एवं आकार को ध्यान में रखते हुए आजार मूल्य काकम से कम 3 प्रतिशत अधिक से अधिक 5 पतिशत व्यवसायिक लगान निर्धारित किया जाए ।

(3) व्यवसायिक लगान की गणना उतनी ही भूमि पर की जाए जिनी भूमि वास्तविक रूप व्यवसाय एवं व्यवसाय से संबंधित कार्य में प्रयोग में लाई जारही है ।

(4) तत्संबंधी आवश्यक निदेश अपने स्तर से भी सभी अपर समाहर्त्ता/अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/अंचलाधिकारी को किया जाए ।

विश्वासभाजन

(डी० पी० महेश्वरी)
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक - 837 रा0, पटना दिनाक 3.11.98

प्रतिलिपि सभी प्रमंडलीय आयुक्त संथालपरगना एवं छोटानागपुर प्रमंडल को छोड़कर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डी० पी० महेश्वरी)
आयुक्त एवं सचिव ।

पत्र संख्या :- 15/ ल० - 3 - नीति - 16 / 98 668 /रा०,

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री डी० पी० महेश्वरी,
आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

समाहर्ता / उपायुक्त ।
पटना/नालंदा/भोजपुर/रोहतास/कैमुर/बक्सर/जहानाबाद/सीवान/मुजफ्फरपुर/सीतामढ़ी/वैशाली/बेतिया/मोतिहारी/दरभंगा/समस्तीपुर/पूर्णिया/कटिहार/किशनगंज/अररिया/बेगुसराय/हजारीबाग/गिरिडीह/बोकारो/कोडरमा/चतरा/रांची/लोहरदग्गा/चाईबासा/जमशेदपुर/पलामू एवं गढ़वा ।

पटना, दिनांक 15.10.98

विषय :- अनुसूची-एक्स आई० भी० (XIV) के प्रपत्र क्रम 180 भी (लगान रसीद बही) की आपूर्ति करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि अनूसूची एक्स०आई०भी० (XIV) के प्रपत्र क्रम 180 भी लगान रसीद बही संलग्न सूची के अनुसार पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर अपने जिले के व्यादेश के साथ आपको द्वारा प्राधिकृत विशेषदूत को अधीक्षक प्रेस और फार्म्स, गया भेजकर वहां से इन लगान रसीद बहियों को प्राप्त कर लें तथा इसकी सूचना फैक्स संवाद से सरकार को भी दी जाए ।

विश्वासभाजन

(डी० पी० महेश्वरी)
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक - 672 रा०, पटना दिनाक 15.10.98

प्रतिलिपि अधीक्षक प्रेस एवं फार्म्स, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(डी० पी० महेश्वरी)
आयुक्त एवं सचिव ।

पत्र संख्या :- 15/ ल० -3 - नीति - 1/ 97 521 /रा०,

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री डी० पी० महेश्वरी,

आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार बिहार, राँची ।

पटना, दिनांक 10.7.98

विषय :- सेस के बकाये पर सूद नहीं लिये जाने के संबंध में महालेखाकार के अंकेक्षण दल द्वारा अंकित आपत्ति के संबंध में ।

महाशय,

अंकेक्षण दलों द्वारा विभिन्न जिलों में अंकेक्षण के पश्चात अंकेक्षण प्रतिवेदन में यह आपत्ति उठाई गई थी कि सेस के बकाये पर 12 प्रतिशत की दर से सूद नहीं लिये जाने के कारण सरकारी राजस्व में क्षति हुई है । साथ ही इस संबंध में आपके अर्द्ध सरकारी पत्र सं० ए-ए आर रा० / 22/82-83/443 दिनांक 23.7.83 द्वारा यह अंकेक्षण आपत्ति संसूचित की गयी है कि सेस एक्ट 1980 के अन्तर्गत बकाये सेस पर कोई सूद या कैलकशन चार्ज 42 अंचलों में नहीं लिया गया जिससे कि वर्ष 1980-81 में 47,599.00 रुपये एवं वर्ष 1981-82 में 15,305.00 रूपये की राजस्व की क्षति हुई ।

2- इस संबंध में सरकार ने समीक्षा कर यह निर्णय लिया है कि जब तक बकाये सेस का पब्लिक डिमाण्ड रिकभरी एक्ट के अधीन सर्टीफिकेट दायर नहीं कर दिया जाय, तबतक बकाये राशि पर 6¼ प्रतिशत सूद नहीं वसूला जाय । अर्थात बिहार सरकार राजस्व विभागीय पत्रांक 10/ल0 2-04/79 -2062 (रा0) दिनांक 11.9.79 के अनुसार "इन्सट्रक्शन फौर दी गाईडेन्स ऑफ दी कर्मचारीगण इन गर्वनमेन्ट इस्टेट" पुस्तिका के नियम 13 और गर्वनमेन्ट इस्टेट मैनुअल के नियम 94 तथा बिहार भू-सुधार अधिनियम की धारा 13 के उपबंधों, जिन्हें मात्र कार्यपालक अनुदेश के रूप में नहीं लिया जा सकता है के आलोक में मालगुजारी के बकाये पर तभी सूद लिया जाता है जब उसके संबंध में सर्टिफिकेट दायर कर दिया गया हो । अत: सेस के बकाये के संबंध में भी सरकार ने वैसा ही निर्णय लिया है ।

3- अत: उपर्युक्त 42 अंचलों से संबंधित कुल 62,904.00 रूपये की राजस्व क्षति संबंधी सभी लेखा आपत्तियों को कृपया समाप्त कर दिया जाय ।

विश्वासभाजन

(डी० पी० महेश्वरी)
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक - 221 रा0, पटना दिनाक 10.7.98

प्रतिलिपि वित्त विभाग, बिहार पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त सभी जिला पदाधिकारी/सभी अपर समाहर्ता/सभी अनंमंडलाधिकारी / सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता / सभी अंचल अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

(डी० पी० महेश्वरी)
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक - 221 रा0, पटना दिनाक 10.7.98

प्रतिलिपि 25 अतिरिक्त प्रतियों के साथ श्री विजय कुमार गुप्ता सहायक प्रशाखा 15 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2- कृपया इसको एक प्रति प्रशाखा -15 के गार्ड फाइल में रख दिया जाय ।

(डी० पी० महेश्वरी)
आयुक्त एवं सचिव ।

पत्र संख्या :- 15-ल-2 नीति 11/95 भाग - 1298 रा०

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री एस० एन० पी० एन० सिन्हा,

आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता

सभी उपायुक्त

पटना 15 दिनांक 17.12.96

विषय :- बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की उपधारा (4) के अन्तर्गत प्रावधानों के आलोक में कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजनों में लाने पर लगान का पुनः निर्धारण करने के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्र सं0 11 भू0 सु0 -10-21/94-363 रा0 दिनांक 11.5.94 एवं अनुवर्ती प0 सं0 11 भू0 सु0 -10-21/94-247 रा0 दिनांक 4.6.96 की ओर आपका ध्यानाकृष्ट करते हुए कहना है कि बिहार काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम 1993 (गजट प्रति संलग्न) की प्रकाशित कर बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 23 मे उप-धारा (4) जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि कोई रैयत समाहर्ता की पूर्व निर्मित से अपनी भूमि का उपयोग वैसे प्रयोजनों के लिये कर सकेगा जो उक्त उपधिनियम की धारा (2) में प्रगणित नहीं होते हों । बिहार काश्तकारी (संशोधित) अधिनियम, 1993 में ऐसे भूमि के लगान पुनः निधारण करने हेतु समाहर्ता को अधिकृत करते हुए बाजार मूल्य का 5 (पाँच) प्रतिशत तक लगान निर्धारण का अधिकार दिया गया है ।

2- विभागीय पत्रसं0 11 भू0 सु0 - 10-21/94-363 रा0 दि0 11.5.94 की कंडिका 2 में कहा गया था कि यदि कोई रैयत उक्त अधिनियम के प्रवृत होने के पूर्व से ही उप-धारा (2) में प्रगणित प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों में अपनी भूमि का उपयोग कर रहा हो तो वह अनुमति के लिए इस अवधि नियम के प्रवृत होने की तिथि से 90 दिनों के अन्तर्गत समाहर्ता के पास आवेदन करेगा और ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर वह इस प्रकार कार्रवाई करेगा मानो उसका उपर्युक्त उपयोग इस अधिनियम के प्रवृत होने की तिथि से ही शुरू हुआ हो । यदि ऐसा रैयत करें तो वह इस अधिनियम के प्रवृत होने की तिथि और यथा स्थिति आवेदन की तिथि का पता चलने की तिथि की अवधि के लिये उस लगान से दुनी लगान भुगतान करने का दायी होगा जो उसे समुय पर आवेदन करने पर भुगतान करना होता ।

3- विभागीय पत्र सं0 11 भू. सु. 10/21-94-247 रा0 दि0 4.6.96 द्वारा आपसे यह पृच्छा की गई थी कि कंडिका 1 एवं 2 के आलोक में पूर्व निमिति । कार्योत्तर पर अनुमति हेतु प्राप्त आवेदनं पत्रों तथा जो रैयत का अधिनियम की धारा -23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भूमि को उपयोग में ला रहे हो तथा आवेदन पत्र नहीं किये हो, का सर्वेक्षण अपने-अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों कर्मचारियों से कराकर सम्पन्न कर लिया गया होगा। इसके साथ ही आपसे अनुरोध किया गया था कि इसका सर्वेक्षण आंकलन तैयार करा कर कितनी राशि आपके जिले से सरकार को प्राप्त होगा की सूचना दी जाय आशा है कि इसका सर्वेक्षण आकलन का कार्य अपने स्तर से सम्पन्न हो चुका होगा ।

4- अब बिहार लगान पुर्नाधिकरण नियमावली, 1995 (गजट प्रति संलग्न) प्रतिशत एवं तत्काल प्रभावी हो गया है, जिसके अन्तर्गत कृषि योग्य भूमि के गैर कृषि उपयोग पर लगान पुनः निर्धारण करना है । नियमावली के नियम 3(1) के अनुसार बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भूमि का उपयोग करने पर रैयत पुर्वनिर्मित के लिए विहित प्रपत्र "क" में समाहर्ता के पास आवेदन पत्र होगा यदि कोई रैयत उपरोक्त नियम 3(1) के अन्तर्गत आवेदन नहीं दिया हो और वह बिहार काश्तकारी अधिनियम के धारा-23 की उपधारा -4 के अन्तर्गत भूमि का उपयाग करते आ रहा हो तो कार्योतर अनुमति हेतु समाहर्ता के पास विहित प्रपत्र "ख" मे आवेदन देगा । उपर्युक्त कंडिका 2 में वर्णित यदि कोई रैयत बिहार काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम, 1993 के प्रवृत होने के 90 दिनों के अन्दर आवेदन समाहर्ता को नहीं दिये हों तो समाहर्ता बिहारलगान पुनः निर्धारण नियमावली 1995 के विहित प्रपत्र "घ" में निर्बंधित डाक अथवा विशेषदूत से संबंधित रैयत से कारण पृच्छा का नोटिस देगा एव नियमानुसार आवश्यक सुनवाई के पश्चात लगान पुनः निर्धारित करेगा ।

5- कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोग की दशा में समाहर्त्ता युक्ति युक्त (Reasonable) आधार पर लगान पुन निर्धारण करेंगे जो भूमि के बाजार मूल्य का 3 (तीन) प्रतिशत से कम नहीं हो ।

6- राज्य की गम्भीर वितीय स्थिति को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि अतिरिक्त संसाधनों का पता लगाकर योजनवद्ध तरीके से उगाही के लिए कारगर कदम उठाये जाये ।

7- अत: अनरोध है कि उपरोक्तानुसार कृषि योग्य भूमि के गैर कृषि प्रयोजनों में प्रयोग की दशा में लगान पुन: निर्धारण करते हुए वित्तीय वर्ष 1996-97 की मांग निर्धारित कर उसके वसूली हेतु कारगर कदम अपने स्तर से उठाने की कृपा की जाय । साथ ही इससे प्राप्त होनेवाले आय से संबंधित मासिक प्रतिवेदन निम्न प्रपंत्र में प्रत्येक माह की10वीं तिथि तक सरकार को भेजने की व्यवस्था की जाय एवं संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त एवं उप-निदेशक भू-लगान मानकीकरण को भीप्रत्येक माह प्रतिवेदन भेजने की कृपा की जाय :- कृषि योग्य भूमि के कृषि प्रयोग पर लगान पुन: निर्धारण से प्राप्त आय का प्रतिवेदन ..... वर्ष .....

मांग			वसूली			अवशेष		
बकाया	हाल	कुल	बकाया	हाल	कुल	बकाया	हाल	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9

8- उपर्युक्त लगान पुन: निर्धारण के फलस्वरुप लगान एवं सेस से प्राप्त राशि नियमानुसार बजट शीर्ष 0029 भू-राजस्व से प्राप्तियां शीर्षक मे जमा की जायेगी । उससे होनेवाली वसूली के लिए रसीद वही को अलग जिल्दें प्रयोग की जायेगी । जिसपर व्यवसायिक लगान अंकित हो ।

9- पत्र की प्रतिलिपि संलग्न गजट प्रतियां के साथ अपने स्तर अनुमंडल पदाधिकारी भूमि सुधार उप-समाहर्ता एवं अंचलाधिकारी को देने की कृपा की जाय ।

10- कृपया से अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

(एस० एन० पी० एन० सिन्हा)
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक - 1298 रा० पटना, दिनांक 17.12.96

प्रतिलिपि सभी प्रमण्डलीय आयुक्त । उप-निदेशक, भू-लगान मानकीकरण, पटना । मुजफ्फरपुर/भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्वाई हेतु प्रेषित ।

(एस० एन० पी० एन० सिन्हा)
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक - 1298 रा० पटना, दिनांक 17.12.96

प्रतिलिपि सभी अपर समाहर्ता/सभी अपर उपायुक्त के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(एस० एन० पी० एन० सिन्हा)
आयुक्त एवं सचिव ।

पत्र संख्या :- 1/ ल० - 3 - नीति - 11 / 98 837 /रा०,

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री डी० पी० महेश्वरी,
आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी समाहर्ता ।
संथाल परगना, उत्तरी छोटानागपुर एवं दक्षिणी छोटानागपुर के प्रमंडलों के उपायुक्तों को छोड़कर

पटना, दिनांक 3.11.98

विषय :- **बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 की उपधारा - 4 के अंतर्गत प्रावधानों के आलोक में कृषि योग्य भूमि के गैर कृषि प्रयोजनों में उपयोग किये जाने पर लगान पुनर्निधारण के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक 1298 रा० दिनांक 17.12.96 के प्रसंग में मुझे कहना है कि सरकार के समक्ष कुछ ऐसे दृष्टात आए हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि भूमि के बाजा रमूल्य के निर्धारण एवं जिस भूमि काव्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है उस भूमि के सामायिक लगान के निर्धारण में एकरूपता नहीं बरती जा रही है । फलस्वरुप कई विवाद उत्पन्न हो गए हैं । इस बिन्दु पर पूर्ण समीक्षोपरान्त राज्य सरकार न निर्णय किया है कि-

(1) भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1889 अधिनियम - 1 1899 के अंतर्गत बिहार स्टाम्प लिखित का न्यून मूल्यांकननिवारण नियमावली 1995 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित बाजार मूल्य को ध्यान में रखकर व्यवसायिक लगान की गणना की जाय ।

(2) बिहार लगानपुनर्निधारण नियमावली 1995 के क्रमांक में यह प्रावधान किया गया है कि व्यवसायिक कार्य हेतु उपयोग किए जारनेवाली भीम कालगान युक्तिसंगत Reasonable आधार पर किया जाए । इस बिन्दु के आलोक में व्यवसाय की प्रकृति एवं आकार को ध्यान में रखते हुए आजार मूल्य काकम से कम 3 प्रतिशत अधिक से अधिक 5 पतिशत व्यवसायिक लगान निर्धारित किया जाए ।

(3) व्यवसायिक लगान की गणना उतनी ही भूमि पैर की जाए जिनी भूमि वास्तविक रूप व्यवसाय एवं व्यवसाय से संबंधित कार्य में प्रयोग में लाई जारही है ।

(4) तत्संबंधी आवश्यक निदेश अपने स्तर से भी सभी अपर समाहर्त्ता/अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/अंचलाधिकारी को किया जाए ।

विश्वासभाजन

(डी० पी० महेश्वरी)
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक - 837 रा०, पटना दिनाक 3.11.98

प्रतिलिपि सभी प्रमंडलीय आयुक्त संथालपरगना एवं छोटानागपुर प्रमंडल को छोड़कर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डी० पी० महेश्वरी)
आयुक्त एवं सचिव ।

पत्र संख्या :- 15 / ल० - 3 - नीति - 14/98 159 रा०,

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री वैद्यनाथ प्रसाद
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

समाहर्ता, पटना ।

पटना, दिनांक 16.2.99

विषय :- बिहार कास्तकारी अधिनियम 1885 की धारा 23 को उपधारा के प्रावधानों के आलोक में कृषि योग्य भूमि के गैर कृषिप्रयोजनों में उपयोग किए जाने पर लगान पुनर्निधारण के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्र संख्या - 1298 दिनांक 17.12.96 के प्रसंग में कहना है कि बिहार कास्तकारी (संशोधन) अधिनियम 1993 द्वारा 1865 के अधिनियम की धारा 23 में उपधारा (4) जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि व्यवसायिक लगान ऐसे मामलों में निर्धारित दर पर लिया जाए, जिन मामलों में भूमि का उपयोग व्यवसायिक कार्य के लिए कियाजा रहा है ।

2- उक्त संशोधन को वैद्यता को माननीय उच्च न्यायालय में कई याचिकाएँ दायर कर चुनौतीदी गई है । समादेश याचिका संख्या - 5411/95 में माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 25.8.95 को निम्न आदेश पारित किया है :-

"so far as the stay is concerned any retrospectivge demand at the revised rate is stayed.So far as current demands are concerned, from 11.5.94, the petitioner shall pay the 25% of the enhanced amount. "

3- माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश एवं विधि विभाग के परामर्श के आलोक में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि:-

(i) माननीय उच्च न्यायालय के उक्त फैसले का लाभ सिर्फ उपर्युक्त याचिका के याचिकाकर्त्ता को हीं प्राप्त होगा ।

(ii) किन्तु संशोधित अधिनियम के अनुसार संप्रति लगान एवं सेस दिनांक 11.5.94 से ही आकलित एवं वसूलनीय होगा ।

विश्वासभाजन

(वैद्यनाथ प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक - 15/ल०-3-नीति-14/98 159 रा०, पटना - 15, दिनांक 16.2.99

प्रतिलिपि, सभी समाहर्ता को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(वैद्यनाथ प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव ।

पत्र संख्या :- 15-ल-2 नीति 11/95 भाग - 1298 रा०

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री एस० एन० पी० एन० सिन्हा,

आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता

सभी उपायुक्त

पटना 15 दिनांक 17.12.96

विषय :- बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की उपधारा (4) के अन्तर्गत प्रावधानों के आलोक में कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजनों में लाने पर लगान का पुनः निर्धारण करने के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्र सं0 11 भू0 सु0 -10-21/94-363 रा0 दिनांक 11.5.94 एवं अनुवर्ती प0 सं0 11 भू0 सु0 -10-21/94-247 रा0 दिनांक 4.6.96 की ओर आपका ध्यानाकृष्ट करते हुए कहना है कि बिहार काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम 1993 (गजट प्रति संलग्न) की प्रकाशित कर बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 23 मे उप-धारा (4) जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि कोई रैयत समाहर्ता की पूर्व निर्मित से अपनी भूमि का उपयोग वैसे प्रयोजनों के लिये कर सकेगा जो उक्त उपधिनियम की धारा (2) में प्रगणित नहीं होते हों । बिहार काश्तकारी (संशोधित) अधिनियम, 1993 में ऐसे भूमि के लगान पुनः निधारण करने हेतु समाहर्ता को अधिकृत करते हुए बाजार मूल्य का 5 (पाँच) प्रतिशत तक लगान निर्धारण का अधिकार दिया गया है ।

2- विभागीय पत्रसं0 11 भू0 सु0 - 10-21/94-363 रा0 दि0 11.5.94 की कंडिका 2 में कहा गया था कि यदि कोई रैयत उक्त अधि नियम के प्रवृत होने के पूर्व से ही उप-धारा (2) में प्रगणित प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों में अपनी भूमि का उपयोग कर रहा हो तो वह अनुमति के लिए इस अबोध नियम के प्रवृत होने की तिथि से 90 दिनों के अन्तर्गत समाहर्ता के पास आवेदन करेगा और ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर वह इस प्रकार कार्रवाई करेगा मानो उसका उपर्युक्त उपयाग इस अधिनियम के प्रवृत होने की तिथि से ही शुरू हुआ हो । यदि ऐसा रैयत करें तो वह इस अधिनियम के प्रवृत होने की तिथि और यथा स्थिति आवेदन की तिथि का पता चलने की तिथि की अवधि के लिये उस लगान से दुनी लगान भुगतान करने का दयारी होगा जो उसे समय पर आवेदन करने पर भुगतान करना होता ।

3- विभागीय पत्र सं0 11 भू0 सु0 10/21-94-247 रा0 दि0 4.6.96 द्वारा आपसे यह पृच्छा की गई थी कि कंडिका 1 एवं 2 के आलोक में पूर्व निमिति । कार्योत्तर पर अनुमति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों तथा जो रैयत का अधिनियम की धारा -23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भूमि को उपयोग में ला रहे हो तथाआवेदन पत्र नहीं किये हो, का सर्वेक्षण अपने-अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों कर्मचारियों से कराकर सम्पन्न कर लिया गया होगा। इसके साथ ही आपसे अनुरोध किया गया था कि इसका सर्वेक्षण आंकलन तैयार करा कर कितनी राशि आपके जिले से सरकार को प्राप्त होगा कीसूचना दी जाय आशा है कि इसका सर्वेक्षण आकलन का कार्य अपने स्तर से सम्पन्न हो चुका होगा । .

4- अब बिहार लगान पुर्नाधिकरण नियमावली, 1995 (गजट प्रति संलग्न) प्रतिशत एवं तत्काल प्रभावी हो गया है, जिसके अन्तर्गत कृषि योग्य भूमि के गैर कृषि उपयाग पर लगान पुनः निर्धारण करना है । नियमावली के नियम 3(1) के अनुसार बिहार क्रांतिकारी अधिनियम 1885 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भूमि का उपयोग करने पर रैयत पुर्वनिर्मित के लिए विहित प्रपत्र "क" में समाहर्ता के पास आवेदन पत्र होगा यदि कोई रैयत उपरी नियम 3(1) के अन्तर्गत आवेदन नहीं दिया हो और वह बिहार क्रांतकारी अधिनियम के धारा -23 की उपधारा -4 के अन्तर्गत भूमि का उपयाग करते आ रहा हो तो कार्योतर अनुमति हेतु समाहर्ता के पास विहित प्रपत्र "ख" मे आवेदन देगा । उपर्युक्त कंडिका 2 में वर्णित यदि काई रैयत बिहार क्रांतिकारी (संशोधन) अधिनियम, 1993 के प्रवृत होने के 90 दिनों के अन्दर आवेदन समाहर्ता को नहीं दिये हों तो समाहर्ता बिहारलगान पुनः निर्धारण नियमावली 1995 के विहित प्रपत्र "घ" में निर्बंधित डाक अथवा विशेषदूत से संबंधित रैयत से कारण

पृच्छा का नोटिस देगा एवं नियमानुसार आवश्यक सुनवाई के पश्चात लगान पुनः निर्धारित करेगा ।

5- कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोग की दशा में समाहर्त्ता युक्ति युक्त (Reasonable) आधार पर लगान पुन निर्धारण करेंगे जो भूमि के बाजार मूल्य का 3 (तीन) प्रतिशत से कम नहीं हो ।

6- राज्य की गम्भीर वितीय स्थिति को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि अतिरिक्त संसाधनों का पता लगाकर योजनवद्ध तरीके से उगाही के लिए कारगर कदम उठाये जाये ।

7- अतः अनरोध है कि उपरोक्तानुसार कृषि योग्य भूमि के गैर कृषि प्रयोजनों में प्रयोग की दशा में लगान पुनः निर्धारण करते हुए वित्तीय वर्ष 1996-97 की मांग निर्धारित कर उसके वसूली हेतु कागर कदम अपने स्तर से उठाने की कृपा की जाय । साथ ही इससे प्राप्त होनेवाले आय से संबंधित मासिक प्रतिवेदन निम्न प्रपत्र में प्रत्येक माह की10वीं तिथि तक सरकार को भेजने की व्यवस्था की जाय एवं संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त एवं उप-निदेशक भू-लगान मानकीकरण को भीप्रत्येक माह प्रतिवेदन भेजने की कृपा की जाय :- कृषि योग्य भूमि के कृषि प्रयोग पर लगान पुनः निर्धारण से प्राप्त आय का प्रतिवेदन ..... वर्ष .....

मांग			वसूली			अवशेष		
बकाया	हाल	कुल	बकाया	हाल	कुल	बकाया	हाल	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9

8- उपर्युक्त लगान पुनः निर्धारण के फलस्वरुप लगान एवं सेस से प्राप्त राशि नियमानुसार बजट शीर्ष 0029 भू-राजस्व से प्राप्तियां शीर्षक मे जमा की जायेगी । उससे होनेवाली वसूली के लिए रसीद वही तो अलग जिन्हें प्रयोग की जायेगी । जिसपर व्यवसायिक लगान अंकित हो ।

पत्र की प्रतिलिपि संलग्न गजट प्रतियां के साथ अपने स्तर अनुमंडल पदाधिकारी भूमि सुधार उप-समाहर्ता एवं अंचलाधिकारी को देने की कृपा की जाय ।

कृपया से अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

(एस० एन० पी० एन० सिन्हा)
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक - 1298 रा० पटना, दिनांक 17.12.96

प्रतिलिपि सभी प्रमण्डलीय आयुक्त । उप-निदेशक, भू-लगान मानकीकरण, पटना । मुजफ्फरपुर/भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्वाई हेतु प्रेषित ।

(एस० एन० पी० एन० सिन्हा)
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक - 1298 रा० पटना, दिनांक 17.12.96

प्रतिलिपि सभी अपर समाहर्ता/सभी अपर उपायुक्त के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(एस० एन० पी० एन० सिन्हा)
आयुक्त एवं सचिव ।

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 कार्तिक 1917 (श०)

(सं० पटना 446) पटना, शुक्रवार 17 नवम्बर 1995

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचनाएँ

14 नवम्बर 1995

जी० एस० आर० 30 दिनांक 17 नवम्बर - 1995 बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 (बिहार अधिनियम 8, 1885) की धारा 23 की उप-धारा (4) एवं (5) के साथ पठित धारा 189 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (4) एवं (5) के प्रयोजनार्थ लगान निर्धारण की प्रक्रिया विनियमित करने हेतु नियमावली बनाना चाहते हैं, जिसका निम्नलिखित प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा 190 के अनुसार इससे प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है और इसके द्वारा उन्हें सूचित किया जाता है कि इसके प्रकाशन की तिथि से तीस (30) दिनों के अन्दर जो भी आपत्ति या सुझाव देना चाहते हैं अद्योहस्ताक्षरी के पास प्रस्तुत करें । उक्त अवधि समाप्त होते की तिथि को या उसके पूर्व जो भी सुझाव या आपत्ति प्राप्त होगा उस पर राज्य सरकार भली भाँति विचार करेंगी :-

नियमावली का प्रारूप

1. (1) यह नियमावली बिहार लगान पुर्ननिर्धारण नियमावली, 1995 कही जा सकेगी ।

(2) यह तत्काल प्रभावी होगा ।

2. परिभाषाएं - (क) बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885, की धारा 23 की उप-धारा (4) में प्रयुक्त शब्द "रैयत" से अभिप्रेत उक्त अधिनियम की धारा 4(2) में परिभाषित "रैयत" से है ।

(ख) बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 23 की उप-धारा (4) एवं 5 (क) (i) के अन्तर्गत शब्द "समाहर्त्ता" से अभिप्रेत उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (16) में परिभाषित अधिकारी से है ।

(ग) बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 23 की उप-धारा (5) (क) (i) के अन्तर्गत शब्द 'समाहर्त्ता से भिन्न किसी पदाधिकारी" का तात्पर्य संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी का भूमि सुधार उप-समाहर्ता है ।

(घ) बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 23 की उप-धारा (5) (क) (ii) के अन्तर्गत शब्द "विहित प्राधिकार" का तात्पर्य संबंधित अप्रमंडलीय आयुक्त से है ।

(ङ) जो शब्द विशेष रूप से इस नियमावली में परिभाषित नहीं किये गये हैं उनका वही अर्थ होगा जो मूल अधिनियम में उनकी परिभाषा या अर्थ नहीं दिया गया है ।

(च) प्रपत्र से अभिप्रेत है इस नियमावली से उपाबद्ध प्रपत्र ।

3. समाहर्त्ता के पास आवेदन-पत्र दिया जाना - (1) बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 23 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत भूमि का उपयोग करने का इच्छुक रैयत पूर्वानमति के लिये प्रपत्र "क" में समाहर्त्ता के पास आवेदन - पत्र देगा ।

उदाहरण - भूमि पर आटा चक्की, आयल एस्पेलर बैठाना, दुकान या अन्य व्यवसाय करना, मिल कारखाना बैठाना आदि ।

(2) यदि किसी रैयत ने उपरोक्त नियम 3(1) के अन्तर्गत आवेदन नहीं दिया है और वह उक्त अधिनेयम की धारा 23 की उप-धारा 4 के अन्तर्गत भूमि का उपयोग करते आ रहा है, तो कार्योत्तर अनुमति क लिये समाहर्त्ता के पास प्रपत्र "ख" में आवेदन-पत्र देगा ।

(3) यदि कोई रैयत बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 23 की उप-धारा (4) के तृतीय परन्तुक के अन्तर्गत भूमि का उपयोग

कर रहा है तो प्रपत्र "ग" में समाहर्ता के पास आवेदन-पत्र देगा ।

4. भूमि का बाजार मूल्य का निर्धारण - (1) इस नियमावली क नियम 3 के उप-नियम (1) (2) (3) के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त होने परसमाहर्ता भूमि के उपयोग (बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 23 की उप-धारा (4) यानि वैसे प्रयोजनों के लिये करने पर जो धारा 23 की उप-धारा (2) में प्रमाणित न हो) की तिथि से पहले का संबंधित भूमि के अंश या समतुल्य निकटवर्ती आस-पास की भूमि के निकटतम तिथि से विक्रय मूल्य के आधार पर संबंधित भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित करेगा ।

(2) यदि उप-नियम (1) के अन्तर्गत भूमि का बाजार मूल्य निर्धारण का आधार उपलब्ध नहीं हो, तो आस-पास के गांव टोला, मुहल्ला पंचायत के समतुल्य भूमि के विक्रय मूल्य के आधार पर भी समाहर्त्ता संबंधित भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित करेगा :

परन्तु यह कि यदि ऐसा विक्रय मूल्य भूमि के उपयोग से ठीक पहले प्रथम वर्ष में उपलब्ध नहीं होता दूसरे अथवा तीसरे वर्ष में भी उपलब्ध होने पर उसे आधार मानकर संबंधित भूमि का बाजार मूल्य का निर्धारण किया जा सकेगा ।

5. भूमि का लगान का पुन: निर्धारण की रीति :- (1) भूमि का लगान का पुन: निर्धारण करते समय समाहर्त्ता इस बात का ध्यान रखेगा कि लगान का पुन: निर्धारण युक्ति-युक्त (Reasonable) आधार पर ही परन्तु यह कि किसी भी हालत में सामान्य तौर पर भूमि के बाजार के मूल्य का तीन प्रतिशत से कम न होगा ।

6. पूवानूमति :- यदि कोई रैयत इस नियमावली के नियम 3(1) में अंकित प्रयोजनों के लिये भूमि का उपयोग बिहार काश्त-कारी अधि नियम की धारा 23 की उप-धारा (4) के प्रवृत्त होने की तिथि से पूर्व से ही करते चला आ रहा है तथा उक्त धारा के तृतीय परन्तुक के अन्तर्गत समय पर समाहर्त्ता के पास आवेदन दे दिया है तो समाहर्त्ता उक्त अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (4) के तृतीय परन्तुक के अन्तर्गत उस पर कारवाई करेगा ।

7. कार्योतर अनुमति - यदि कोई रैयत समाहर्त्ता की पूर्वानुमति लिये बगैर इस नियमावली क नियम 3 (1) के अन्तर्गत कथित प्रयोजनों हेतु भूमि का उपयोग कर रहा है या करते चला आ रहा है तो बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 23 की उप-धारा (4) के द्वितीय परन्तुक के अन्तर्गत समाहर्त्ता कार्योत्तर अनुमति दे सकेगा ।

8. दुगुनी लगान का भुगतान - यदि कोई रैयत इस नियमावली के नियम 3(1) के अन्तर्गत भूमि का उपयोग पूर्व से ही कर रहा है और समाहर्त्ता के पास पूर्वानुमति कार्योत्तर अनुमति के लिये आवेदन पत्र नहीं दिया है तथा इसकी जानकारी/सूचना समाहर्त्ता को हो गई है तो समाहर्त्ता निबन्धित डाक द्वारा/विशेष दूत से प्रपत्र "घ" में रैयत को कारण पृच्छा का नोटिस देगा । सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद समाहर्त्ता यथोचित निर्णय लेगा यदि भूमि का उपयोग इस नियमावली के नियम 3(1) के अन्तर्गत उपरोक्त अधिनियम की धारा 23(4) के अन्तर्गत पाया गया तो नियम 4 के अनुसार उक्त भूमि का बाजार मूल्य निर्धारण कर नियम 5 के अन्तर्गत लगान का पुन: निर्धारण समाहर्त्ता करेगा, तदोपरान्त उपरोक्त अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (4) के तृतीय परन्तुक के अंतिम खण्ड के अन्तर्गत भूमि के उपयोग की तिथि से पता चलने तक की तिथि की अवधि के लिये उपरोक्त पुन: निर्धारित लगान से दुगुना लगान भुगतान करने पर कार्योत्तर अनुमति/पूर्वानुमति समाहर्त्ता द्वारा प्रदान किया जा सकेगा।

9. लगान का पुनरीक्षण :- बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 23 की उप-धारा (4) के चतुर्थ परन्तुक के अन्तर्गत भूमि उपयोग की तिथि से प्रत्येक दस वर्ष बाद समाहर्त्ता इस नियमावली के नियम 4 के अन्तर्गत भूमि का बाजार मूल्य का निर्धारण कर नियम 5 के अन्तर्गत उक्त भूमि के लगान को पुन: निर्धारण कर पुन: निर्धारित करेगा ।

10. अपील की प्रक्रिया :- उक्त अधिनियम की धारा 23 (5) (ग) के अधीन अपील की सुनवाई एवं उसका निष्पादन यथा संभव व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम 5, 1908) के आदेश 41 (सी० पी० सी० आर्डर 41) द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा ।

(सं० 11/ भू० सु० - 35/95)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सी० अशोक वर्द्धन
सरकार के विशेश सचिव ।

प्रपत्र - क

धारा - 23 (4) के अधीन अनुमति के निमित्त आवेदन-पत्र

(नियमावली 3 (1) देखें)

सेवा में,

समाहर्त्ता,

.....

महोदय,

मैं ..... पिता का नाम ..... ग्राम ..... टोला ..... थाना ..... अंचल ..... अनुमंडल ..... जिला ..... का निवासी हूँ। मैं अपनी निम्नांकित भूमि, जिसका पूर्ण विवरण अंकित है, का उपयोग बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 की धारा 23 (2) में प्रगणित प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिये करना चाहता हूं ।

अतः अनुरोध है कि निम्नलिखित भूमि का लगान, बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 23 (4) के अधीन निर्धारित करते हुए प्रस्तावित उपयोग में लानग की अनुमति देने की कृपा की जाय ।

भूमि का विवरण

खेसरा सं०	खाता सं०	चौहद्दी	रकवा	ग्राम	राजस्व थाना
1	2	3	4	5	6

अंचल	अनुमंडल	जिला	वर्तमान लगान	प्रस्तावित प्रयोजन (जिसे उपयोग में लाना चाहते हैं उसका पूर्ण विवरण)	अभ्युक्ति
7	8	9	10	11	12

विश्वासभाजन

आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर एवं तिथि ।

प्रपत्र - ख

धारा - 23 (4) के द्वितीय परन्तुक के निमित्त आवेदन-पत्र

(नियम - 3 (2) देखें)

सेवा में,

समाहर्त्ता,

.....

महोदय,

मैं ..... पिता का नाम ..... ग्राम ..... टोला ..... अंचल ..... अनुमंडल ..... जिला ..... का निवासी हूँ। मैं निम्नांकित अपनी भूमि, जिसका पूर्ण विवरण अंकित है, का उपयोग बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 की धारा 23 के प्रवृत्त होने के पूर्व दिनांक ..... से ही धारा 23 (2) में प्रगणित प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन में उपयोग में ला रहा हूं तथा समय पर आवेदन-पत्र देने में असमर्थ था । नहीं दे सका ।

अतः अनुरोध है कि निम्नलिखित भूमि का लगान, बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 23 (4) के अधीन निर्धारित करते हुए इस भूमि को उपयोग में लाने की कार्योत्तर अनुमति देने की कृपा की जाय ।

भूमि का विवरण

खेसरा सं०	खाता सं०	चौहद्दी	रकवा	ग्राम	राजस्व थाना	अंचल	अनुमंडल
1	2	3	4	5	6	7	8

जिला	वर्तमान लगान	प्रयोजन का पूर्ण विवरण	उपयोग में लाने की तिथि	अभ्युक्ति .
		प्रयोजन का नाम		
9	10	11	12	13

विश्वासभाजन

आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर एवं तिथि ।

प्रपत्र - ग

धारा - 23 (4) के तृतीय परन्तुक के निमित्त आवेदन-पत्र

(नियम - 3 (3) देखें)

सेवा-में,

समाहर्त्ता,

.....

महोदय,

मैं ..... पिता का नाम ..... ग्राम ..... टोला ..... थाना ..... अंचल ..... अनुमंडल ..... जिला ..... का निवासी हूँ। मैं निम्नांकित अपनी भूमि, जिसका पूर्ण विवरण अंकित है, बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 23 (4) के प्रवृत्त होने के पूर्व दिनाक ..... से ही धारा 23(2) में प्रगणित प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन में उपयोग में ला रहा हूं ।

अतः अनुरोध है कि निम्नलिखित भूमि का लगान, बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 23 (4) के अधीन निर्धारित करते हुए इस भूमि को उपयोग में लाने की कार्योत्तर अनुमति देने की कृपा की जाय ।

भूमि का विवरण

खेसरा सं०	खाता सं०	चौहद्दी	रकवा	ग्राम	राजस्व थाना	अंचल	अनुमंडल
1	2	3	4	5	6	7	8

जिला	वर्तमान लगान	प्रयोजन का पूर्ण विवरण	उपयोग में लाने की तिथि	अभ्युक्ति
		प्रयोजन का नाम		
9	10	11	12	13

विश्वासभाजन

आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर एवं तिथि ।

प्रपत्र - घ

बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत नोटिस

(नियमावली 8 देखें)

सेवा में,

समाहर्त्ता,

.....

नोटिस बनाम ..... पिता का नाम ..... ग्राम ..... थाना ..... अंचल .... जिला ..... चूँकि आप निम्नलिखित भूमि का उपयोग, बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 की धारा 23 उप-धारा (4) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कर रहे हैं, अतः दिनांक ..... को मेरे न्यायालय में 10.30 बजे पूर्वाह्न तक कारण बतायें कि उक्त धारा की उपधार (4) के द्वितीय परन्तुक तृतीय परन्तुक के आलोक में आपके विरुद्ध क्यों नहीं कार्रवाई की जाय, यदि आप उक्त तिथि एवं समय तक कारण नहीं बताते हैं तो एक तरफा की कारवाई होगी ।

मोहर

समाहर्त्ता

.....

भूमि का विवरण

खेसरा सं०	खाता सं०	चौहद्दी	रकवा	ग्राम	राजस्व थाना	अंचल	अनुमंडल
1	2	3	4	5	6	7	8

जिला	वर्तमान लगान	प्रयोजन का पूर्ण विवरण	अभ्युक्ति
9	10	11	12

14 नवम्बर 1995

जी० एस० आर० 31- जी० एल० आर० 30, दिनांक 17 नवम्बर 1995- निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (१) के अधीन उक्त नियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायगा

बिहार - राज्यपाल के आदेश से,
सी० अशोक वर्द्धन
सरकार के विशेष सचिव ।

G.S.R. 30, dated 17th November 1995. - In exercise of the powers conferred by sub-section (4) and (5) of section 23 red with section 189 of the Bihar Tenancy Act, 1885 Bihar Act 8, 1885), the Governor of Bihar intends to make Rules for the purpose of sub-section. (4) and (5) of section 23 of the said Act to regulate the procedure of redetermination of rent, the following draft of which is being published inaccordance with the section 190 of the said Act for information to those who are likely to be affected thereby and they are inforemd to submit their objections and suggestions, if any, to the undersigned within 30 days from the date of its publication. Any objection or suggestion received on or before the date of expiry of the said period shall duly be considered by the State Government.

Draft Rules

1. (1) These Rules may be called the Bihar Rent Refixation Rules, 1995.

(2) It shall come into force at once.

2. *Definitions.* - (a) The word "Raiyat" used in sub-section (4) of section 23 of the B.T. Act, 1885 has the same meaning as defined in sectin 4(2) of the Act.

(b) The word "Collector" used in sub-section (4) and (5) (a) (1) of the section 23 of the B.T. Act 1885 means an officer as defined in sub-section (16) of section 3 of the B.T. Act, 1885.

(c) The words "an Officer other than the Collector of a district" used in clause (i) (a) of sub-section (5) of section 23 of the B.T. Act 1885, means the concerned sub-divisional officer or land Reforms Deputy Collector of the district.

(d) The words "prescribed authority" used in clasue (ii) of sub-section 5(a) section 23 of the B.T. Act 1885 means concerned Divisional Commissioner.

(e) Words not specifically defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Bihar Tenancy Act, 1885.

(f) Proforma means proforma annexed to these rules.

3. *Filing of application to the Collector.* - (1) Raiyat intending to utilise his land under sub-section (4) of section 23 of the B.T. Act, 1885 shall file an application to the Collector in Form A for prior permission.

Examples - Use of the land, for the purpose of running a Flouer Mill, Oil Spelleru, Shops and other Business, Mills, Factories, Workshops etc.

(2) If a raiyat, has not filed application under rule 3(1) and has been using his land under sub-section (4) of section 23 of the Act, he shall file an application to the Collector in Form B for post Facto permission.

(3) If a raiyat has been using his land under the third proviso of sub-section (4) of section 23 of the B. T. Act, 1885, he shall file an application to the Collector in form C.

4. *Fixation of the Market value of the land.* - (1) on receipt of an application under sub-rule (1) (2) (3) of rule 3 of these rules, the Collecror shall determine the market value of the land or part there of on the basis of the sale price of the lands in the vionity immediately proceeding the date of the use of the land (under sub-section (4) of sectio 23 of B.T. Act 1885 i.e.for purposes not enumerated in sub-section (3) of section 23 of the B.T.Act)

(2) If the base of the fixation of market value of the land as mentioned in sub-rule (1) is not available, the Collector shall determine the market value of the concerned land evenon the basis of the sale price of similar land in the neighbouring village/tola/mohalla/panchayat ;

Provided that, if such sale price is not available in the preceding 1st year of the use of the land,the market value may be determined even on the basis of sale price in the preceding 2nd or 3rd year.

5. *Manner for re-determination of the rent of land.*- At the time of redetermination of the rent of a land the Collector shall take care that the re-determination of rent should be reasonable :

Provided that in any circumstances generally it should not be less than 3 percent of the market value of the land.

6. *Prior permission.*- If any raiyat has been using his land for the purposes mentioned in rule 3(1) of these rules prior to the date of commencement of subsection (4) of section 3 of the B.T. Act and has filed his application to the Collector in time unde rthe third proviso of the said section, the Collector shall take action according to the third proviso of sub-section (4) of section 23 of the said Act.

7. *Post-Facto permission.* - If a raiyat is using or has been using his land for the purpose mentioned in rule 3(1) of these rules without taking prior permission of the Collector, the Collector may grant post facto permission under the second proviso of sub-section (4) of section 23 of the B.T. Act, 1885.

8. *Payment of double rent.* - If a raiyat has been using his land for the purposes mentioned in rule 3(1) of these rules and has not filed application to the Collector for prior permission/post-facto permission and if comes to the knowledge/notice of the Collector, the Collector shall give a show cause notice in Form 'D' to the raiyat through Registered Post/Special messenger. After giving reasonable opportunity to the raiyat concerned of being heard the Collector shall pass an appropriate Order. If the use of land is found to be in accordance with the rule 3(1) of these rules under section 23(4) of the said Act, the Collector shall after determining the market value of the land under rule 4 redetermine the rent of the land under rule 5 of these rules. After that under the third proviso of sub-section (4) of section 23 of the said Act, the Collector may give post-facto/prior permission on payment of double of the redetermined rent for the period between the date of use of the land till the date of detection.

9. *Revision of rent.* - After every ten years from the date of use of the land under the fourth proviso of sub section (4) of section 23 of the B.T Acter, 1885 the Collector after reassessing the market value of the land under rule 4 of these rules shall redetermine the rent of the land under rule 5 of these rules.

10. *Procedure of appeal* - The hearing and disposal of an appeal under section 23 (5) (c) of the said Act, shall be made as far as possible in as per the procedure laid down in order 41 (C.P.C. Order 41) of the Civil Procedure Code, 1908 (Act 5, 1908)

[No. 11/L.R. 10 -- 35/96]

By order of the Governor of Bihar,

C. ASHOKVARDHAN,

Special Secretary to Government.

विश्वासभाजन

ाक्षर, एवं तिथि ।

प्रपत्र (फार्म - ए)

धारा - 23 (4) के अधीन अनुमति के निमित्त आवेदन-पत्र

(नियमावली 3 (1) देखें)

सेवा में,

समाहर्त्ता,

....

महोदय,

मैं .... पिता का नाम .... ग्राम .... टोला .... का निवासी हूँ। मैं थाना .... अंचल .... अनुमंडल .... जिला .... अपनी निम्नांकित भूमि, जिसका पूर्ण विवरण अंकित है, का उपयोग बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 की धारा 23 (2) में प्रगणित प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिये करना चाहता हूं।

अतः अनुरोध है कि निम्नलिखित भूमि का लगान, बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 23 (4) के अधीन निर्धारित करते हुए प्रस्तावित उपयोग में लाने की अनुमति देने की कृपा की जाय।

भूमि का विवरण

खेसरा सं०	खाता सं०	चौहद्दी	रकवा	ग्राम	राजस्व थाना
1	2	3	4	5	6

अंचल	अनुमंडल	जिला	वर्तमान लगान	प्रस्तावित प्रयोजन (जिसे उपयोग में लाना चाहते हैं उसका पूर्ण विवरण)	अभ्युक्ति
7	8	9	10	11	12

आवेदक का पूर्ण हस

प्रपत्र (फार्म - बी)

धारा - 23 (4) के द्वितीय परन्तुक के निमित्त आवेदन-पत्र

(नियम - 3 (2) देखें)

सेवा में,

समाहर्त्ता,

.....

महोदय,

मैं ..... पिता का नाम ..... ग्राम ..... टोला .....

अंचल ..... अनुमंडल ..... जिला ..... का निवासी हूँ। मैं निम्नांकित अपनी भूमि, जिसका पूर्ण विवरण अंकित है, का उपयोग बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 की धारा 23 के प्रवृत्त होने के पूर्व दिनाक ..... के ही धारा (2) में प्रगणित प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन में उपयोग में ला रहा हूं तथा समय पर आवेदन-पत्र देने में असमर्थ था । नहीं दे सकता ।

अत: अनुरोध है कि निम्नलिखित भूमि का लगान, बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 23 (4) के अधीन निर्धारित करते हुए इस भूमि को उपयोग में लाने की कार्योत्तर अनुमति देने की कृपा की जाय ।

भूमि का विवरण							
खेसरा सं०	खाता सं०	चौहद्दी	रकवा	ग्राम	राजस्व थाना	अंचल	अनुमंडल
1	2	3	4	5	6	7	8

ना	वर्तमान लगान	प्रयोजन का पूर्ण विवरण	उपयोग में लाने की तिथि	अभ्युक्ति
		प्रयोजन का नाम		
)	10	11	12	13

विश्वासभाजन

आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर एवं तिथि ।

प्रपत्र - ग (फार्म - सी)

धारा - 23 (4) के तृतीय परन्तुक के निमित्त आवेदन-पत्र

(नियम - 3 (3) देखें)

सेवा में,

समाहर्त्ता,

.....

महोदय,

मैं ..... पिता का नाम ..... ग्राम ..... टोला .....

थाना ..... अंचल ..... अनुमंडल ..... जिला ..... का निवासी हूँ।

मैं निम्नांकित अपनी भूमि, जिसका पूर्ण विवरण अंकित है, बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 23 (4) के प्रवृत्त होने के पूर्व दिनांक ..... से ही धारा 23(2) में प्रगणित प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन में उपयोग में ला रहा हूं।

अतः अनुरोध है कि निम्नलिखित भूमि का लगान, बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 23 (4) के अधीन निर्धारित करते हुए इस भूमि को उपयोग में लाने की कार्योत्तर अनुमति देने की कृपा की जाय।

भूमि का विवरण							
खेसरा सं०	खाता सं०	चौहद्दी	रकबा	ग्राम	राजस्व थाना	अंचल	अनुमंडल
1	2	3	4	5	6	7	8

जिला	वर्तमान लगान	प्रयोजन का पूर्ण विवरण		उपयोग में लाने की तिथि	अभ्युक्ति
		प्रयोजन का नाम			
9	10	11		12	13

विश्वास

आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर एवं

प्रपत्र - घ (फॉर्म - डी)

बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत नोटिस

(नियमावली 8 देखें)

सेवा में,

समाहर्त्ता,

.....

नोटिस बनाम ..... पिता का नाम ..... ग्राम ..... थाना ..... अंचल .... जिला ..... चूँकि आप निम्नलिखित भूमि का उपयोग, बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 की धारा 23 उप-धारा (4) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कर रहे हैं, अतः दिनांक ..... को मेरे न्यायालय में 10.30 बजे पूर्वाह्न तक कारण बतायें कि उक्त धारा की उपधारा (4) के द्वितीय परन्तुक/तृतीय परन्तुक के आलोक में आपके विरुद्ध क्यों नहीं कार्रवाई की जाय, यदि आप उक्त तिथि एवं समय तक कारण नहीं बताते हैं तो एक तरफा की कारवाई होगी ।

मोहर

समाहर्त्ता

.....

भूमि का विवरण

खेसरा सं०	खाता सं०	चौहद्दी	रकवा	ग्राम	राजस्व थाना	अंचल	अनुमंडल
1	2	3	4	5	6	7	8

जिला	वर्तमान	प्रयोजन का पूर्ण विवरण	अभ्युक्ति
9	10	11	12

(Fill No. II/L.R. 10-35/95)
By order of the Governor of Bihar,
C. ASHOK VARDHAN.
Special Secretary to Government

पत्र संख्या :- 15 / ल० - 2 - नीति - 15 / 96 555 /रा०,

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री बलदेव सिन्हा,
सरकारके अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता/उपायुक्त ।

पटना-15, दिनांक 17.6.96

विषय :- बिहार की अचल सम्पति से संबंधित लिखितों को बिहार के बाहर तथा कलकता, मद्रास, बम्बई और दिल्ली आदि में निबंधित कराये जाने पर दाखिल खारिज के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि रजिस्ट्रीकरण (बिहार संशोधन) अधिनियम, 1991 के आलोक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्राक - 15/ल0-2-निति-15/92-547 रा0 दि0 4.7.1992 द्वारा यह निदेश दिया गया था कि बिहार की सम्पति से संबंधित लिखितों का बिहार के बाहर कलकता मद्रास, बम्बई और दिल्ली आदि में प्रतिबंध लग गया है जिसके फलस्वरुप बिहार की भूमि की निबंधन कुछ व्यक्ति/संस्था उक्त संशोधन की अवहेलना करते हुए बिहार की भूमि का निबंधन दूसरे राज्यों में करा रहे हैं जो गैर कानूनी है । साथ ही सभी अचलाधिकारियों को ऐसे कराये गये निबंधन के आधारपर दाखिल खारिज नहीं करने का निदेश भी दिया गया था ।

2- इस सम्बन्ध में बिहार सरकार के निबंधन विभाग द्वारा विधि विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया है जिसके फलस्वरुप दिनांक 25.3.1991 की तिथि के उपरान्त बिहार राज्य में अवस्थित भूमि/संपति का अन्तरण प्रेसिडेन्सी शहरों तथा दिल्ली के निबंधनों के द्वारा किए जाने पर अन्तरणों को मान्यता नहीं दी जानी है ।

3- अतएव अनुरोध है कि दिनांक 25.3.1991 की तिथि के उपरान्त ऐसे अन्तरण को साक्ष्य के रूप में मान्यता न देते हुए इसके आधार पर राजस्व नगरपालिका अभिलेखों के नामान्तरण की कार्रवाई न करने का स्पष्ट आदेश अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को अपने स्तर से निर्गत किए जायें । निबंधन विभाग की प्रासंगिक पत्रांक 450/ दि0 24.2.96 की एक प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है ।

विश्वासभाजन

(बलदेव सिन्हा)
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक - 555/रा0, पटना - 15, दिनांक 17.6.96

प्रतिलिपि सचिव-सह-निबंधन महानिरीक्षक, बिहारपटना को उनके पत्रांक 450/दि0 4.2.96 के प्रसंग में सचिव, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी अपर समाहर्त्ता/सभी अनुमंडलाधिकारी/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/सभी अंचलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(बलदेव सिन्हा)
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक 1366 रा0, सासाराम, दिनांक 7 वी0 अगस्त, 96 ई० ।

प्रतिलिपि अनुलग्नक की प्रति सहित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सासाराम/डिहरी/विक्रमगंज/अंचलाधिकारी ..... /13 एवं कार्यपालक पदाधिकारी नगर पालिका सासाराम/डिहरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

अनुलग्नक :- यथा उपर्युक्त

अपर समाहर्त्ता रोहतास
सासाराम

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 कार्तिक 1917 (शक)
(सं० पटना 446) पटना, शुक्रवार 17 नवम्बर 1995

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

14 नवम्बर 1995

जी० एस० आर० 30 दिनांक 17 नवम्बर 1995- बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 (बिहार अधिनियम 8, 1885) की धारा 23 की उप-धारा (4) एवं (5) के साथ पठित धारा 189 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (4) एवं (5) के प्रयोजनार्थ लगान निर्धारण की प्रक्रिया विनियमित करने हेतु नियमावली बनाना चाहते हैं, जिसका निम्नलिखित प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा 190 के अनुसार इससे प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है और इसके द्वारा उन्हें सूचित किया जाता है कि इसके प्रकाशन की तिथि से तीस (30) दिनों के अन्दर जो भी आपत्ति या सुझाव देना चाहते हैं अद्योहस्ताक्षरी के पास प्रस्तुत करें । उक्त अवधि समाप्त होने की तिथि को या उसके पूर्व जो भी सुझाव या आपत्ति प्राप्त होगा उस पर राज्य सरकार भली भांति विचार करेंगी :-

नियमावली का प्रारूप

1. (1) यह नियमावली बिहार लगान पुर्ननिर्धारण नियमावली, 1995 कही जा सकेगी ।

(2) यह तत्काल प्रभावी होगा ।

2. परिभाषाएं - (क) बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885, की धारा 23 की उप-धारा (4) में प्रयुक्त शब्द ''रैयत'' से अभिप्रेत उक्त अधिनियम की धारा 4(2) में परिभाषित ''रैयत'' से है ।

(ख) बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 23 की उप-धारा (4) एवं 5 (क) (i) के अन्तर्गत शब्द ''समाहर्त्ता'' से अभिप्रेत उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (16) में परिभाषित अधिकारी से है ।

(ग) बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 23 की उप-धारा (5) (क) (i) के अन्तर्गत शब्द 'समाहर्त्ता से भिन्न किसी पदाधिकारी'' का तात्पर्य संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी या भूमि सुधार उप-समाहर्ता से है ।

(घ) बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 23 की उप-धारा (5) (क) (ii) के अन्तर्गत शब्द ''विहित प्राधिकार'' का तात्पर्य संबंधित अप्रमंडलीय आयुक्त से है ।

(ङ) जो शब्द विशेष रूप से इस नियमावली में परिभाषित नहीं किये गये हैं उनका वही अर्थ होगा जो मूल अधिनियम में उनकी परिभाषा या अर्थ दिया गया है ।

(च) प्रपत्र से अभिप्रेत है इस नियमावली से उपाबद्ध प्रपत्र ।

3. समाहर्त्ता के पास आवेदन-पत्र दिया जाना - (1) बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 23 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत भूमि का उपयोग करने का इच्छुक रैयत पूर्वानमति के लिये प्रपत्र ''क'' में समाहर्त्ता के पास आवेदन - पत्र देगा ।

उदाहरण - भूमि पर आटा चक्की, आयल एस्पेलर बैठाना, दुकान या अन्य व्यवसाय करना, मिल कारखाना बैठाना आदि ।

(2) यदि किसी रैयत ने उपरोक्त नियम 3(1) के अन्तर्गत आवेदन नहीं दिया है और वह उक्त अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा 4 के अन्तर्गत भूमि का उपयोग करते आ रहा है, तो कार्योत्तर अनुमति क लिये समाहर्त्ता के पास प्रपत्र ''ख'' में आवेदन-पत्र देगा ।

(3) यदि कोई रैयत बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 23 की उप-धारा (4) के तृतीय परन्तुक के अन्तर्गत भूमि का उपयोग

कर रहा है तो प्रपत्र ''ग'' में समाहर्ता के पास आवेदन-पत्र देगा ।

4. भूमि का बाजार मूल्य का निर्धारण - (1) इस नियमावली क नियम 3 के उप-नियम (1) (2) (3) के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त होने परसमाहर्ता भूमि के उपयोग (बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 23 की उप-धारा (4) यानि वैसे प्रयोजनों के लिये करने पर जो धारा 23 की उप-धारा (2) में प्रमाणित न हो) की तिथि से पहले का संबंधित भूमि के अंश या समतुल्य निकटवर्ती आस-पास की भूमि के निकटतम तिथि से विक्रय मूल्य के आधार पर संबंधित भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित करेगा ।

(2) यदि उप-नियम (1) के अन्तर्गत भूमि का बाजार मूल्य निर्धारण का आधार उपलब्ध नहीं हो, तो आस-पास के गांव टोला, मुहल्ला पंचायत के समतुल्य भूमि के विक्रय मूल्य के आधार पर भी समाहर्त्ता संबंधित भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित करेगा :

परन्तु यह कि यदि ऐसा विक्रय मूल्य भूमि के उपयोग से ठीक पहले प्रथम वर्ष में उपलब्ध नहीं होता दूसरे अथवा तीसरे वर्ष में भी उपलब्ध होने पर उसे आधार मानकर संबंधित भूमि का बाजार मूल्य का निर्धारण किया जा सकेगा ।

5. भूमि का लगान का पुनः निर्धारण की रीति :- (1) भूमि का लगान का पुनः निर्धारण करते समय समाहर्त्ता इस बात का ध्यान रखेगा कि लगान का पुनः निर्धारण युक्ति-युक्त (Reasonable) आधार पर ही परन्तु यह कि किसी भी हालत में सामान्य तौर पर भूमि के बाजार के मूल्य का तीन प्रतिशत से कम न होगा ।

6. पूर्वानुमति :- यदि कोई रैयत इस नियमावली के नियम 3(1) में अंकित प्रयोजनों के लिये भूमि का उपयोग बिहार काश्त-कारी अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (4) के प्रवृत्त होने की तिथि से पूर्व से ही करते चला आ रहा है तथा उक्त धारा के तृतीय परन्तुक के अन्तर्गत समय पर समाहर्त्ता क पास आवेदन दिया है तो समाहर्त्ता उक्त अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (4) के तृतीय परन्तुक के अन्तर्गत उस पर कारवाई करेगा ।

7. कार्योत्तर अनुमति - यदि कोई रैयत समाहर्त्ता की पूर्वानुमति लिये बगैर इस नियमावली क नियम 3 (1) के अन्तर्गत कथित प्रयोजनों हेतु भूमि का उपयोग कर रहा है या करते चला आ रहा है तो बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 23 की उप-धारा (4) के द्वितीय परन्तुक के अन्तर्गत समाहर्त्ता कार्योत्तर अनुमति दे सकेगा ।

8. दुगुनी लगान का भुगतान - यदि कोई रैयत इस नियमावली के नियम 3(1) के अन्तर्गत भूमि का उपयोग पूर्व से ही कर रहा है और समाहर्त्ता के पास पूर्वानुमति कार्योत्तर अनुमति के लिये आवेदन पत्र नहीं दिया है तथा इसकी जानकारी सूचना समाहर्त्ता को हो गई है तो समाहर्त्ता निबन्धित डाक द्वारा/विशेश दूत से प्रपत्र ''घ'' में रैयत को कारण पृच्छा का नोटिस देगा । सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद समाहर्त्ता यथोचित निर्णय लेगा यदि भूमि का उपयोग इस नियमावली के नियम 3(1) के अन्तर्गत उपरोक्त अधिनिथम की धारा 23(4) के अन्तर्गत पाया गया तो नियम 4 के अनुसार उक्त भूमि का बाजार मूल्य निर्धारण कर नियम 5 के अन्तर्गत लगान का पुनः निर्धारण समाहर्त्ता करेगा, तदोपरान्त उपरोक्त अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (4) के तृतीय परन्तुक के अंतिम खण्ड के अन्तर्गत भूमि के उपयोग की तिथि से पता चलने तक की तिथि की अवधि के लिये उपरोक्त पुनः निर्धारित लगान से दुगुना लगान भुगतान करने पर कार्योत्तर अनुमति/पूर्वानुमति समाहर्त्ता द्वारा प्रदान किया जा सकेगा।

9. लगान का पुनरीक्षण :- बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 23 की उप-धारा (4) के चतुर्थ परन्तुक के अन्तर्गत भूमि उपयोग की तिथि से प्रत्येक दस वर्ष बाद समाहर्त्ता इस नियमावली के नियम 4 के अन्तर्गत भूमि का बाजार मूल्य का निर्धारण कर नियम 5 के अन्तर्गत उक्त भूमि के लगान को पुनः निर्धारण कर पुनः निर्धारित करेगा ।

10. अपील की प्रक्रिया :- उक्त अधिनियम की धारा 23 (5) (ग) के अधीन अपील की सुनवाई एवं उसका निष्पादन यथा संभव व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम 5, 1908) के आदेश 41 (सी० पी० सी० आर्डर 41) द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा ।

(सं० 11/ भू० सु० - 10-35/95)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सी० अशोक वर्द्धन

सरकार के विशेश सचिव ।

प्रपत्र - क

धारा - 23 (4) के अधीन अनुमति के निमित्त आवेदन-पत्र

(नियमावली 3 (1) देखें)

सेवा में,

समाहर्त्ता,

.....

महोदय,

मैं ..... पिता का नाम ..... ग्राम ..... टोला ..... थाना ..... अंचल ..... अनुमंडल ..... जिला ..... का निवासी हूँ। मैं अपनी निम्नांकित भूमि, जिसका पूर्ण विवरण अंकित है, का उपयोग बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 की धारा 23 (2) में प्रगणित प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिये करना चाहता हूं ।

अतः अनुरोध है कि निम्नलिखित भूमि का लगान, बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 3 (4) के अधीन निर्धारित करते हुए प्रस्तावित उपयोग में लाने की अनुमति देने की कृपा की जाय ।

भूमि का विवरण

खेसरा सं०	खाता सं०	चौहद्दी	रकबा	ग्राम	राजस्व थाना
1	2	3	4	5	6

अंचल	अनुमंडल	जिला	वर्तमान लगान	प्रस्तावित प्रयोजन (जिसे उपयोग में लाना चाहते हैं उसका पूर्ण विवरण)	अभ्युक्ति
7	8	9	10	11	12

विश्वासभाजन

आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर एवं तिथि ।

प्रपत्र - ख

धारा - 23 (4) के द्वितीय परन्तुक के निमित्त आवेदन-पत्र

(नियम - 3 (2) देखें)

सेवा में,

समाहर्त्ता,

.....

महोदय,

मैं ..... पिता का नाम ..... ग्राम ..... टोला ..... अंचल ..... अनुमंडल ..... जिला ..... का निवासी हूँ। मैं निम्नांकित अपनी भूमि, जिसका पूर्ण विवरण अंकित है, का उपयोग बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 की धारा 23 के प्रवृत्त होने के पूर्व दिनाक ..... से ही धारा 23 (2) में प्रगणित प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन में उपयोग में ला रहा हूं तथा समय पर आवेदन-पत्र देने में असमर्थ था । नहीं दे सका ।

अत: अनुरोध है कि निम्नलिखित भूमि का लगान, बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 23 (4) के अधीन निर्धारित करते हुए इस भूमि को उपयोग में लाने की कार्योत्तर अनुमति देने की कृपा की जाय ।

भूमि का विवरण

खेसरा सं०	खाता सं०	चौहद्दी	रकवा	ग्राम	राजस्व थाना	अंचल	अनुमंडल
1	2	3	4	5	6	7	8

जिला	वर्तमान लगान	प्रयोजन का पूर्ण विवरण	उपयोग में लाने की तिथि	अभ्युक्ति
		प्रयोजन का नाम		
9	10	11	12	13

विश्वासभाजन

आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर एवं तिथि ।

प्रपत्र - ग

धारा - 23 (4) के तृतीय परन्तुक के निमित्त आवेदन-पत्र

(नियम - 3 (3) देखें)

सेवा में,

समाहर्त्ता,

.....

महोदय,

मैं ..... पिता का नाम ..... ग्राम ..... टोला ..... थाना ..... अंचल ..... अनुमंडल ..... जिला ..... का निवासी हूँ। मैं निम्नांकित अपनी भूमि, जिसका पूर्ण विवरण अंकित है, बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 23 (4) के प्रवृत्त होने के पूर्व दिनाक ..... से ही धारा 23(2) में प्रगणित प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन में उपयोग में ला रहा हूं ।

अत: अनुरोध है कि निम्नलिखित भूमि का लगान, बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 23 (4) के अधीन निर्धारित करते हुए इस भूमि को उपयोग में लाने की कार्योत्तर अनुमति देने की कृपा की जाय ।

भूमि का विवरण

खेसरा सं०	खाता सं०	चौहद्दी	रकवा	ग्राम	राजस्व थाना	अंचल	अनुमंडल
1	2	3	4	5	6	7	8

जिला	वर्तमान लगान	प्रयोजन का पूर्ण विवरण	उपयोग में लाने की तिथि	अभ्युक्ति
		प्रयोजन का नाम		
9	10	11	12	13

विश्वासभाजन

आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर एवं तिथि ।

प्रपत्र - घ

बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत नोटिस

(नियमावली 8 देखें)

सेवा में,

समाहर्त्ता,

.....

नोटिस बनाम ..... पिता का नाम ..... ग्राम ..... थाना ..... अंचल .... जिला ..... चूँकि आप निम्नलिखित भूमि का उपयोग, बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 की धारा 23 उप-धारा (4) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कर रहे हैं, अतः दिनांक ..... को मेरे न्यायालय में 10.30 बजे पूर्वाह्न तक कारण बतायें कि उक्त धारा की उपधार (4) के द्वितीय परन्तुक तृतीय परन्तुक के आलोक में आपके विरुद्ध क्यों नहीं कार्रवाई की जाय, यदि आप उक्त तिथि एवं समय तक कारण नहीं बताते हैं तो एक तरफा की कारवाई होगी ।

मोहर

समाहर्त्ता

.....

भूमि का विवरण

खेसरा सं०	खाता सं०	चौहद्दी	रकबा	ग्राम	राजस्व थाना	अंचल	अनुमंडल
1	2	3	4	5	6	7	8

जिला	वर्तमान लगान	प्रयोजन का पूर्ण विवरण	अभ्युक्ति
9	10	11	12

14 नवम्बर 1995

जी० एस० आर० 31- जी० एल० आर० 30, दिनांक 17 नवम्बर 1995- निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त नियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायगा

बिहार - राज्यपाल के आदेश से,
सी० अशोक वर्द्धन
सरकार के विशेष सचिव ।

G.S.R. 30, dated 17th November 1995. - In exercise of the powers conferred by sub-section (4) and (5) of section 23 red with section 189 of the Bihar Tenancy Act, 1885 Bihar Act 8, 1885), the Governor of Bihar intends to make Rules for the purpose of sub-section. (4) and (5) of section 23 of the sid Act to regulate the procedure of redeterminationof rent, the following draft of which is being published inaccordance with the section 190 of the said Act for information t othose who are likely to be affected thereby and they are inforemd to submit their objections and suggestions, if any, to the undersigned with 30 days from the date of its publication. Any objection or suggestion received onor before the date of expiry of the said period shall duly be considered by the State Government.

Draft Rules

1. (1) These Rules may be called the Bihar Rent Reflxation Rules, 1995.

(2) It shall come into force at once.

2. *Definitions.* - (a) The word "Raiyat" used in sub-section (4) of section 23 of the B.T. Act, 1885 has the same meaning as defined in sectin 4(2) of the Act.

(b) The word "Collector" used in sub-section (4) and (5) (a) (1) of the section 23 of the B.T. Act 1885 means an officer as defined in sub-section (16) of section 3 of the B.T. Act. 1885.

(c) The words "an Officer other than the Collector of a district" used in clause (i) (a) of sub-section (5) of section 23 of the B.T. Act 1885, means the concerned sub-divisional officer or land Reforms Deputy Collector of the district.

(d) Thewords "prescribed authority" used in clasue (ii) of sub-section 5(a) section 23 of the B.T. Act 1885 means concerned Divisional Commissioner.

(e) Words not specifically defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Bihar Tenancy Act, 1885.

(f) Proforma means proforma annexed to these rules.

3. *Filing of application to the Collector.* - (1) Raiyat intending to utilise his land under sub-section (4) of section 23 of the B.T. Act, 1885 shall file an application to the Collectorin Form A for prior permission.

Examples - Use of the land, for the purpose of running a Flouer Mill, Oil Spelleru, Shops and other Business, Mills, Factories, Workshops etc.

(2) If a raiyat, has not filed application under rule 3(1) and has been using his land under sub-section (4) of section 23 of the Act, he shall file an application to the Collector in Form B for post Facto permission.

(3) If a raiyat has been using his land under the third proviso of sub-section (4) of section 23 of the B. T. Act, 885, he shall file an application to the Collector in form C.

4. *Fixation of the Market value of the land.* - (1) on receipt of an application under sub-rule (1) (2) (3) of rule 3 these rules, the Collecror shal ldetermine the market value of the land or part therof on the basis of the sale price the lands in the vionity immediately proceeding the date of the use of the land (under sub-section (4) of section 23 B.T. Act 1885 i.e.for purposes not enumerated in sub-section (3) of section 23 of the B.T.Act)

(2) If the base of the fixation of market value of the land as mentioned in sub-rule (1) is not available, the llector shall determine the market value of the concerned land evenon the basis of.the sale price of similar land in neighbouring village/mohalla/panchayat :

Provided that, if such sale price is not available in the preceding 1st year of the use of the land,the market e may be determined even onthe basis of sale price in the preceding 2nd or 3rd year.

5. *Manner for re-determination of the rent of land.*- At the time of redetermination of the rent of a land the ctor shall take care that the re-determination of rent should be reasonable :

Provided that in any circumstances generlly it should not be less than 3 percent of the market value of the

6. *Prior permission.*- If any raiyat has been using his land for the purposes mentioned in rule 3(1) of these prior to the date of commencement of subsection (4) of section 23 of the B.T. Act and has filed his application Collector in time under the third proviso of the said section, the Collector shall take action according to the third

proviso of sub-section (4) of section 23 of the said Act.

7. *Post-Facto permission.* - If a raiyat is using or has been using his land for the purpose mentioned in rule 3(1) of these rules without taking prior permission of the Collector, the Collector may grant post facto permission under the second proviso of sub-section (4) of section 23 of the B.T. Act, 1885.

8. *Payment of double rent.* - If a raiyat has been using his land for the purposes mentioned in rule 3(1) of these rules and has not filed application to the Collector for prior permission/post-facto permission and if comes to the knowledge/notice of the Collector, the Collector shall give a show cause notice in Form 'D' to the raiyat through Registered Post/Special messenger. After giving reasonable opportunity to the raiyat concerned of being heard the Collector shall pass an appropriate Order. If the use of land is found to be in accordance with the rule 3(1) of these rules under section 23(4) of the said Act, the Collector shall after determining the market value of the land under rule 4 redetermine the rent of the land under rule 5 of these rules. After that under the third proviso of sub-section (4) of section 23 of the said Act, the Collector may give post-facto/prior permission on payment of double of the redetermined rent for the period between the date of use of the land till the date of detection.

9. *Revision of rent.* - After at every ten years from the date of use of the land under the fourth proviso of sub ection (4) of section 23 of the B.T Act, 1885 the Collector after reassessing the market value of the land under rule 4 of these rules shall redetermine of the rent of the land under rule 5 of these rules.

10. *Procedure of appeal* - The hearing and disposal of an appeal under section 23 (5) (c) of the said Act, shall be made as far as possiblein as per the procedure laid down in order 41 (C.P.C. Order 41) of the Civil Procedure Code, 1908 (Act 5, 1908)

[No. 11/L.R. 10 -- 35/96]

Byorder of the Governor of Bihar,

C. ASHOKVARDHAN,

Special Secretary to Government.

प्रपत्र (फार्म - ए)

धारा - 23 (4) के अधीन अनुमति के निमित्त आवेदन-पत्र

(नियमावली 3 (1) देखें)

सेवा में,

समाहर्त्ता,

.....

महोदय,

मैं ..... पिता का नाम ..... ग्राम ..... टोला ..... थाना ..... अंचल ..... अनुमंडल ..... जिला ..... का निवासी हूँ। मैं अपनी निम्नांकित भूमि, जिसका पूर्ण विवरण अंकित है, का उपयोग बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 की धारा 23 (2) में प्रगणित प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिये करना चाहता हूं ।

अत: अनुरोध है कि निम्नलिखित भूमि का लगान, बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 23 (4) के अधीन निर्धारित करते हुए प्रस्तावित उपयोग में लाने की अनुमति देने की कृपा की जाय ।

भूमि का विवरण

खेसरा सं०	खाता सं०	चौहद्दी	रकबा	ग्राम	राजस्व थाना
1	2	3	4	5	6

अंचल	अनुमंडल	जिला	वर्तमान लगान	प्रस्तावित प्रयोजन (जिसे उपयोग में लाना चाहते हैं उसका पूर्ण विवरण)	अभ्युक्ति
7	8	9	10	11	12

विश्वासभाजन

आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर एवं तिथि ।

प्रपत्र (फार्म - बी)

धारा - 23 (4) के द्वितीय परन्तुक के निमित्त आवेदन-पत्र

(नियम - 3 (2) देखें)

सेवा में,

समाहर्त्ता,

.....

महोदय,

मैं ..... पिता का नाम ..... ग्राम ..... टोला ..... अंचल ..... अनुमंडल ..... जिला ..... का निवासी हूँ। मैं निम्नांकित अपनी भूमि, जिसका पूर्ण विवरण अंकित है, का उपयोग बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 की धारा 23 के प्रवृत्त होने के पूर्व दिनाक ..... से ही धारा (2) में प्रगणित प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन में उपयोग में ला रहा हूं तथा समय पर आवेदन-पत्र देने में असमर्थ था । नहीं दे सका ।

अतः अनुरोध है कि निम्नलिखित भूमि का लगान, बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 23 (4) के अधीन निर्धारित करते हुए इस भूमि को उपयोग में लाने की कार्योत्तर अनुमति देने की कृपा की जाय ।

भूमि का विवरण

खेसरा सं०	खाता सं०	चौहद्दी	रकबा	ग्राम	राजस्व थाना	अंचल	अनुमंडल
1	2	3	4	5	6	7	8

जिला	वर्तमान लगान	प्रयोजन का पूर्ण विवरण प्रयोजन का नाम	उपयोग में लाने की तिथि	अभ्युक्ति
9	10	11	12	13

विश्वासभाजन

आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर एवं तिथि ।

प्रपत्र - ग (फार्म - सी)

धारा - 23 (4) के तृतीय परन्तुक के निमित्त आवेदन-पत्र

(नियम - 3 (3) देखें)

सेवा में,

समाहर्त्ता,

.....

महोदय,

मैं ..... पिता का नाम ..... ग्राम ..... टोला ..... थाना ..... अंचल ..... अनुमंडल ..... जिला ..... का निवासी हूँ। मैं निम्नांकित अपनी भूमि, जिसका पूर्ण विवरण अंकित है, बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 23 (4) के प्रवृत्त होने के पूर्व दिनाक ..... से ही धारा 23(2) में प्रगणित प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन में उपयोग में ला रहा हूं।

अत: अनुरोध है कि निम्नलिखित भूमि का लगान, बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 23 (4) के अधीन निर्धारित करते हुए इस भूमि को उपयोग में लाने की कार्योत्तर अनुमति देने की कृपा की जाय।

भूमि का विवरण

खेसरा सं०	खाता सं०	चौहद्दी	रकबा	ग्राम	राजस्व थाना	अंचल	अनुमंडल
1	2	3	4	5	6	7	8

जिला	वर्तमान लगान	प्रयोजन का पूर्ण विवरण प्रयोजन का नाम	उपयोग में लाने की तिथि	अभ्युक्ति
9	10	11	12	13

विश्वासभाजन

आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर एवं तिथि।

प्रपत्र - घ (फॉर्म - डी)

बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत नोटिस

(नियमावली 8 देखें)

सेवा में,

समाहर्त्ता,

.....

नोटिस बनाम ..... पिता का नाम ..... ग्राम ..... थाना ..... अंचल .... जिला ..... चूँकि आप निम्नलिखित भूमि का उपयोग, बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 की धारा 23 उप-धारा (4) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कर रहे हैं, अतः दिनांक ..... को मेरे न्यायालय में 10.30 बजे पूर्वाह्न तक कारण बतायें कि उक्त धारा की उपधारा (4) के द्वितीय परन्तुक/तृतीय परन्तुक के आलोक में आपके विरुद्ध क्यों नहीं कार्रवाई की जाय, यदि आप उक्त तिथि एवं समय तक कारण नहीं बताते हैं तो एक तरफा की कारवाई होगी ।

मोहर

समाहर्त्ता

.....

भूमि का विवरण

खेसरा सं०	खाता सं०	चौहद्दी	रकवा	ग्राम	राजस्व थाना	अंचल	अनुमंडल
1	2	3	4	5	6	7	8

जिला	वर्तमान	प्रयोजन का पूर्ण विवरण	अभ्युक्ति
9	10	11	12

(Fill No. II/L.R. 10-35/95)
By order of the Governor of Bihar.
C. ASHOK VARDHAN.
Special Secretary to Government

पत्र संख्या :- 15 / ल० - 2 - नीति - 25 / 95 517 /रा०,

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री एस० एन० पी० सिन्हा
आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता
सभी उपायुक्त ।

पटना-15, दिनांक 13.9.95

विषय :- गरीबों के बीच अधिशेष भूमि, भूदान भूमि एवं सरकारी भूमि के वितरण के समय वृक्ष के पौधों की आपूर्ति ।

महाशय,

माननीय मंत्री, राजस्व पिछले दिनों पलामू एवं गढ़वा जिलों के दौर पर गए हुए थे । जहां पर जिला पदाधिकारी ने वन विभाग के पदाधिकारी को भी आमंत्रित किया था । जिन भूमिहीनों को मंत्री महोदय भूमि कापर्चा वितरण करते थे उनको वन विभाग कीओर से पौधों की आपूर्ति कर दी जाती थी । यह बड़े ही उत्साहवर्द्धक वातावरण का निर्माण करता था । सरकार का निर्णय है कि भविष्य में जहां-तहां भी भूमि वितरण का शिविर लगाया जाय इसी प्रकार वन विभाग के पदाधिकारी को भी आमंत्रित किया जाय जो आपकी सूचना के आलोक में पौधे लेकर शिविर स्थल पर तैयार रहें ताकि भूमिहीनों को पर्चे के साथ वृक्ष भी वितरित किये जाएं । आप इसके अनुरुप अनुपालन सुनिश्चित करायें ।

2- राज्य भर में भूदान के अन्तर्गत वितरित भूमि के नामान्तरण की गति से मंत्री, राजस्व संतुष्ट नहीं है । आवश्यक है कि ऐसे वातावरण का निर्माणकिया जाय जिसमें कि नामान्तरण यानी दाखिल खारिज में न तो पर्चाधारियो को अनावश्यक दौड़-धूप करनी पड़े और न इसमें अब और विलम्ब किया जाय । कृपया अभियान चलाकर अगले तीन महीनों में इस काम को पूरा कर लेने का लक्ष्य सुनिश्चित किया जाय कि आपके क्षेत्र में एक दिसम्बर, 95 को एक भी भूदान का पर्चाधारी न बचे जिसके नामान्तरण का मामला लंबित रहे । राज्य स्तर पर होने वाली समीक्षा बैठकों में इस विषय की नियमित समीक्षा की जायेगी ।

3- कृपया उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन से सरकार को भी अवगत कराया जाय ।

विश्वासभाजन

(एस० एन० पी० एन० सिन्हा)
आयुक्त एव सचिव ।

ज्ञापांक - 517 /रा०, पटना - 15, दिनांक 13.9.95

प्रतिलिपि प्रशाखा - 8, 10 एवं 12 को सूचनार्थ प्रेषित ।

(आर० पी० द्विवेदी)
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक - 517 /रा०, पटना - 15, दिनांक 13.9.95

प्रतिलिपि सभी प्रमण्डलीय आयुक्तो को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित । उनसे अनुरोध है कि प्रमण्डलीय समीक्षा में इन बातों की नियमित समीक्षा करने तथा सरकार को अवगत कराने की कृपा करें ।

(आर० पी० द्विवेदी)
सरकार के अपर सचिव ।

पत्र संख्या :- 11 / भू0 सु0 - 21/94 - 363 /रा०,

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

श्रीमती लक्ष्मी सिंह,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना, दिनांक 11.5.94

विषय :- बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 33 की उप धारा (4) के अन्तर्गत प्रावधानों के आलोक मे कृषक भूमि को गैर कृषि प्रयोजनों में लाने पर लगान का पुनर्निधारण संबंधी कार्य सम्पन्न करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक बिहार गजट असाधारण अंक में प्रकशित अधिसूचना संख्या 553 दिनाक 26.8.93 एवं उसका शुद्धि पत्र का प्रकाशन अधिसूचना संख्या 179 दिनाक 11.4.94 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि उक्त अधसूचनाओं के द्वारा बिहार काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम 1993 को प्रकाशित कर बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 की धारा 23 में उपधारा (4) जोड़कर यह प्रावध ान किया गया है कि कोई रैयत समाहर्त्ता की पूर्वानुमति से अपनी भूमि का उपयोग वैसे प्रयोजनों के लिये कर सकेगा जो उक्त अधिनियम की ध ारा 3 की उपधारा (2) में प्रगणित नहीं होते हैं । इस प्रकार क उपयोग के लिए रैयत समाहर्त्ता के पास पूर्वानुमति हेतु आवेदनपत्र देगा । समाहर्त्ता संबंधित भूमि का बाजार मूल्य का 5 प्रतिशत तक लगान का पुर्ननिर्धारण करेगा ।

2- परन्तु यदि कोई रैयत उक्त अधिनियम के प्रवृत होने के पूर्व से ही उप धारा (2) में प्रगणित प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों में अपनी भूमि का उपयाग कर रहा हो तो वह अनुमति के लिए इस अधिनियम के प्रवृत होने पर वह इस प्रकार कार्रवाई करेगामानों उसका उपर्युक्त उपयोग इस अधिनियम के प्रवृत होने की तिथि से ही शुरू हुआ हो । यदि ऐसा रैयत न करे तो वह इस अधिनियम के प्रवृत होने की तिथि और यथास्थिति आवेदन की तिथि यापता चलने की तिथि की अवधि के लिये उस लगान से द्वनी लगान भुगतान करने का दायी होगा जो उसे समय पर आवेदन करने पर भुगतान करना होता । समाहर्त्ता इस प्रकार के मामले में दुगुनी लगान का भुगतान करने पर कार्योत्तर अनुभव ।

3- कंडिका 1 एवं 2 में किये गये प्रावधानों के अनुसार अधिसूचना प्रकाशन के 90 दिन समाप्त हो गये हैं । ऐसा समझा जाता है कि समाहर्त्ता के पास रैयतो द्वारा पूर्वानुमति हेतु आवेदन पत्र प्राप्तम हो गय होंगे और यदि समाहर्त्ता के पास पूर्वानुमति/कार्योत्तर अनुमति प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र नहीं प्राप्त हुए हैं । तो इस प्रकार का उपयाग में आने वाले भूमि का सर्वेक्षण अपने अधिनस्थ पदाधिकारियों/कर्मचारियों से करा कर सभी कागजातों को शीघ्र तैयार करने तथा इसबात को सुनिश्चित कर लें कि जैसे ही संबंधित अधिनियम की नियमावली आदि प्राप्त हो वैसे ही संबंधित भूमि की लगान का पुनर्निधारण कर दियाजाय । इसके लिये प्राथमिक कार्रवाई शीघ्र करें । इस निमित अपने अधीनस्थ अधिकारी/कमचारी से आवश्यक सूचना शीघ्र प्राप्त कर ली जाय ।

विश्वासभाजन

(लक्ष्मी सिंह)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक - 363 /रा0, पटना, दिनांक 11.5.94

प्रतिलिपि सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(लक्ष्मी सिंह)
सरकार के सचिव ।

पत्र संख्या :- 15/ ल0 -2- नीति - 26 / 94 681

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री बी० राम
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता
सभी उपायुक्त ।

पटना - 15, दिनांक 5.7.94

विषय :- फेयर रेंट सेटलमेन्ट के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में राजस्व विभागीय संख्या -5/एल0 आर0सी0- 1053/70-2774 एल0 आर0 दिनांक 2.4.70 प्रतिलिपि संलग्न की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे कहना है कि उपर्युक्त परिपत्र में दिये गये निदेश के अनुसार अब तक क्या कार्रवाई हुयी इसका पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं है । पिछली बार नया भू-लगान कब निर्धारित हुआ है इसकी सूचना अपेक्षित है । जहां पर 15 वर्ष लगान निर्धारित किये गये हो गये हों या जहां अभी तक नयी दर पर लगान का निर्धारण परिपत्र के अनुसार हुआ ही नहीं हो उन जिलों में परिपत्र में निर्गत अनुदेशों के आधार पर कार्रवाई प्रारम्भ कर दिनांक 31.3.95 तक इसे अभियान चलाकर पूरा किया जाय और इसकी सूचना सरकार को शीघ्र भेजने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

(बी० राम)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक - 681 /रा0, पटना-15, दिनांक 5.7..94

प्रतिलिपि निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुरोध है कि कृपया यह सूचित किय जाय कि किन-किन जिलों में सर्वे सेटलमेंन्ट का अन्तिम प्रकाशन कब पुरा हुआ है । जिन जिलो में सर्वे सेटलमेंट का अन्तिम प्रकाशन हो गया है वहां पर परिपत्रानुसार लगान निर्धारण का कार्य कब पुरा हुआ । साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया जाय कि अभी किन-किन जिलों में सर्वे सेटलमेंट का कार्य चल रहा है ।

कृपया अपेक्षित प्रतिवेदन शीघ्र भेजा जाय ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

No. 5 LR/RC - 1053/70 - 2774 LR

Government of Bihar

Revenue Department

From,

Shri P.C. Singh,

Deputy Secretry to Government.

To,

All Collectors,

Patna - 15, the 1st/2nd April ' 70

Sub : Fixation of rent under Sections 5, 6, and 7 of the Bihar Land Reforms Act, 1950 as also in the case of new Settlement of land.

Sir,

I am directed to draw yor attention to para 9 of tis Department letter No. 697 R dated 31st Jan. ' 70 (copy enclosed) in which the rate of increase of rent has been prescribed for fil rent settlement in your district. It hs also been indicated in para 16 of the aofresaid letter that the proposed fair rents will also apply to the fixation of rent hereafter under Sections 5, 6 and 7 of the Bihar Land Reforms Act, 1950 as also in case of new settlement of land.

2. It is therefore, requested tht youmay kindly fix up fair rents accordingly.

Yours faithfully,

Sd/- P. C.Singh

Deputy Secretary to Govt.

Memo No. 5LR/RC - 1053/70-2774 R Patna, - 15, the Ist/2nd April ' 70

Copy with copy of enclosure forwarded to all Additional Collectors/Subdivisional Officiers/Land Reforms Deputy Collectorss/Block Development Officers/nchal Adhikaris for information and necessary action.

Receipt of this letter may kindly be acknowledged.

Sd/- P. C. Singh

Deputy Secretary to Govt.

No. 4 S-5-O- 5 / 70 - 697 R

Government of Bihar

Revenue Department

From,

Shri S. K.Chandra,

Additional Secretary to Government.

To,

All Collectors,

All settlement officers (except settlement officer, Singhbhum)

Patna - 15, the 31st Jan. '70.

Sub : FAIR RENT SETTLEMENT

Sir,

I am directed to address you on the above subject and to communicate the decision of the Government to take up Fair rent Settlement as part of survey and settlement operations. In consultation with their Law Officers Government have been pleased to prescribe the following procedure to be followed for settlement of fair rent in your district.

2. Government have been advised that in the district of Purnea in which the Bihar Tenancy Act applies and the records of-rights, have already been published, the settlement or revision of rent can be done under section 112A only. Government have also been advised that rationalisation of rent and enhancement of rent on the ground of rise in the average local price of staple food crops can be taken up under section 112A Bihar Tenancy Act, subject to the provisions of section 113 of the Act. The procedure prescribed in rules 113 to 124 read with rules 82 to 88A of the rules framed under the Bihar Tenancy Actr will apply in such cases of Fair Rent Settlement.

3. In other districts where settlement Operations are in progress, and the Bihar Tenancy Act applies, the settlement or revision of rent can be done under section 105 of the Bihar Tenancy Act only after the final publication of the records of rights under section 103 A (2) of the said Act. Rationalisation of rent and enhancement of rent on the ground of rise in the average local price of staple food crops can be taken up under section 105 of the Bihar Tenancy Act, subject to the provisions of section 113 of the said Act.

4. As stated above, fair rent settlements in the districts in which the provisions of Bihar Tenancy Act are appliable, nd the settlement operation is in progress, will have to be taken up their section 105 of the Bihar Tenancy Act and the procedure prescribed in rule 82 to 88A of the rules framed there thereunder will apply in these cases. Section 105 lays down that the settlement of rents in such cases can be made only on an application to be filed by either the landlord or the tenant within to months from the date of the giving of certificates of the final publication of the records under sub-section (2) of section 103A under rule 85 of the rules, joint application for settlement of rent may be filed by a landlord or a group of tenants with the consnt of the Revenue Officer.

The rent of holdings of ex-intermediaries assessed within the last 15 years under sections 6, 6(a) & 7 of the Bihar Land Reforms Act, or of other Kabil lagan lands under the provisions of Tenancy Act not however be altered.

5. Government have also to observe that the existing rent structure inhertied from ex-intermedaries is highly irrational. Incidence, of renton lands of similar productivity differs considerably in the same area Government have

therefore, decided that the existing ten structure should first be rationalised to the maximum tet possible and the rate worked out on the basis of productivity only. The lands have already been classified during the current settlement operations according to the productivity into different categories. Each category should be assigned different units based on relative productivity. The settlement officer should thereafter take up the calculation of unit for a village. For this purpose he will exclude the holding which have not been assessed to rent, and work, out the total are under different categories of lands. The areas should then be motiplied by the units allotted to each category and totalled mich willgive the total unit for the village. One unit may ballotted to wastel and recorded a ssuch in the possession of nant. The total rent for these holding should also be calculated the total rent divided by the total unit will give the unit for the village.

6. In some districts, e.g. Purnea after the last Survey settlement Operations were completed, flow irrigation has beenprovided to largeractsof land. Similarly in some of the districts, where the operationis still under progress and records not yet finally published low irrigationmay have beenprovided since of Gandak Project or chanan irrigationinBanka in Bhagalpur. Inthese districts it may be necessary to change the classificationof land due to corresponding upgrading of the quality of the land. This should be done during local inspections while conducting Fair Rent Settlement proceddings either suo-moto or on an application having been filed on behalf of the State. Similarly, the classificationmay have to be changed even when the quality of the land hs changed due to provision of State Tube-Well or Electric or DieselTube-well and other methods of irrigation either by the State or by the cultivation himself.

7. While it may be desirable to rationalise the rent structures in the entile district, this may not in actual practice, be possible, Government therefore, feel that it will be enough if the ratioinalisation is limited to anAnchal. For this purpose the unit rates for all the villages of an Anchal - 1 should be totalled up and divided by the total number of villages in the Anchal. This will give the Anchal unit rate. If the unit rate of a village in an Anchal differs from the Anchal unit rate by more than 25%, the village unit rate may be scaled up or down so that it may not exceed the Anchal under rate by more than 25%, If, however, the village unit rate is withinthis limit, it may be adopted as the unit rate for the particular village. The unit rate adopted for the village will form the basis for rationalisation of rent.

8. After the village unit rate has been fixed, the average rate for different classes should be worked out by multiplying it with the number of units allotted to the class of land. For example, if the rate per unit of a village is 50 paise and the unit allotted to Dhani I is 10, the rationalised rent for Dhani I will be 0.50 x 10=5/- per acre.

9. Since there has been considerable rise in the prices of staple food crops and the value of land too has appreciably increased due to its high productivity as a result of the increased irrigation potentialities, which are wholly to the advantage off the tenants. Governmet representatives on behalf of the landlords willurge before the Revenue Courts that they would ask for increses of rent up to 50% in every district of the Stte except Purnea, Champaran, Muzaffarpur, Darbhanga and Sahahabad districts whereinincrease suggested should be to extent of 75% because in these districts aprt from the general advantages to the tenants described hereinbefore,the incidence of rent also is lower to the rent of land of similar nature in other districts. While deciding about fixation of fair rent on these grounds, the Revenue Courts will no doubt, be guided by the Board's Rulings. If the Revenue Court allow enhancement in the manner above, the revised rate for Dhani I and willbe Rs. 5/- 150/100 = Rs. 7.50 in case of 50% increase and Rs. 5/ - x 175/100 = 8.25 in case of 75% increase. The fair rents to be proposed per other classes of land should be similarly worked out. The calculation of the fair rent of the holdings will thereafter be a simple exercise in arithmetic. The illustrationbelow will explain the procedure.

10. Taking into consideration the categoristionof the land on productivity, already adopted inthe districts where the Bihar Tenancy Act applies the units allotted to different categories of land will be as below :-

Category	Productivity	Units
Dhani - I	0 Mds. or above	10
Dhani - II	15 - do - -do-	7.5
Dhani - III	- do - -do-	5
Bhit - I	15 - do - -do-	7.5
Bhit - II	10 - do - -do-	5
Waste land - I		1

11. Let us take a village consisting of 50 acres as following.

Model village

Category	Rate	Area	Units.
Dhani - I	1	50	500
Dhani - II	7.5	150	1125
Dhani - III	7	100	500
Bhit - I	7.5	100	750
Bhit - II	5	100	500
Total		500	3375

Rent of the village = Rs. 1687.5

Rate per unit = Rs. 0.50 paise

The average rate for different classes will be as follows :-

Dhani - I	Rs. 5 per acre.
Dhani - II	Rs. 3.75 per acre
Dhani - III	Rs. 2.5 per acre.
Bhit - I	Rs. 3.75 per acre
Bhit - II	Rs. 2.5 per acre.

12. If enhancement of 50% / 15% is allowed the revised rates will be as follows :-

	@ 50% increase	@75% increase
Dhani - I	7.50 per acre.	8.75 per acre.
Dhani - II	5.62 per acre.	6.58 per acre.
Dhani - III	3.10 per acre.	3.60 per acre.
Bhit - I	5.62 per acre.	6.50 per acre.
Bhit - II	3.10 per acre.	3.60 per acre.

13. Let us now take holding consisting of the following categores of land :-

Dhani - i	1 acre.
Dhani - II	2 acre.
Dhani - III	2 acre.
Bhit - I	1 acre.
Bhit - II	2 acre
	8 acre.

14. The fair rent of this holding on the above basis will as follows.

Category	Area	Fair rent for the category @ 50% increase	per acre. @ 75% increase	Total @ 50% increase	@ 75% Min creases.
Dhani - I	1 acre	7.50	8.75	7.50	8.75
Dhani - II	2 acre	5.62	6.58	11.24	13.16
Dhani - III	2 acres	3.10	3.60	6.20	7.20
Bhit - I	1 acres	5.62	6.58	5.62	6.58
Bhit - II	2 acres	3.10	3.60	6.20	7.20

15. The settlement officers should immediately set up their organisations for working out the unit rates,and for making detailed calculations to the lines indicated in the paragraphs above. It would be advantageous to prepare sufficient number of ready-reckoners to cut down the clerical work.

16. The proposed fair rents will also apply to the fixation rent hereafter under sections 5, 6, 7 of th eBihar Land Reforms Act, 1959 as also in case of new settlement of land inany district.

17. These are in suppression of the earlier instructions issued in Revenue Deprtment's letter No. 5283 R dated the 15th July in regard to fair rent settlement inthe districts of Muzaffarpur and Shahabad.

18. Director of Land Records and Survey Bihar is being requested to issue further guidelines on the subject to the settlement officers, direct.

Yours faithfully

Sd/- S. K. Chandra,

Additional Secretry to Government.

Memo No. 4/S-5-0-5/70-697 R Patna - 15, the 31st Jan. ' 70.

Copy forwarded to the Director of Land Records and Survey's Bihar for favour of issuing further instruction.

Sd/- S. K. Chandra,

Additional Secretry to Government.

Memo No. 4/S-5-0-5/70-697 R Patna - 15, the 31st Jan. ' 70.

Copy forwarded to all commissioners of Divisions for information.

Sd/- S. K. Chandra,

Additional Secretry to Government.

No. 5 LR/RC - 1053/70 - 2774 LR

Government of Bihar

Revenue Department

From,

Shri P.C. Singh,

Deputy Secretary to Government.

To,

All Collectors,

Patna - 15, the 1st/2nd April ' 70

Sub : Fixation of rent under Sections 5, 6, and 7 of the Bihar Land Reforms Act, 1950 as also in the case of new settlement of land.

Sir,

I am directed to draw yor attention to para 9 of this Department letter No. 697 R dated 31st Jan. ' 70 (copy enclosed) in which the rate of increase of rent has been prescribed for fair rent settlement in your district. It has also been indicated in para 16 of the aofresaid letter that the proposed fair rents will also apply to the fixation of rent hereafter under Sections 5, 6 and 7 of the Bihar Land Reforms Act, 1950 as also in case of new settlement of land.

2. It is therefore, requested tht you may kindly fix up fair rents accordingly.

Yours faithfully,

Sd/- P. C.Singh

Deputy Secretary to Govt.

Memo No. 5LR/RC - 1053/70-2774 R Patna, - 15, the Ist/2nd April ' 70

Copy with copy of enclosure forwarded to all Additional Collectors/Subdivisional Officiers/Land Reforms Deputy Collectorss/Block Development Officers/Anchal Adhikaris for information and necessary action.

Receipt of this letter may kindly be acknowledged.

Sd/- P. C. Singh

Deputy Secretary to Govt.

बिहार सरकार

बिहार विधान-सभा

बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली (संशोधन) विधेयक, 1993

(बिहार विधान-मंडल द्वारा यथापारित)

बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली (संशोधन) विधेयक, 1993

(बिहार विधान-मंडल द्वारा यथापारित)

विषय - सूची ।

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

2. बिहार एवं उड़ीसा अधिनियम 4, 1914 की अनुसूची 1 मे नये अंक का जोड़ा जाना ।

3. व्यावृत्ति ।

६ बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली (संशोधन) विधेयक, 1993

(बिहार विधान-मंडल द्वारा यथापारित)

बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 का संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के चवालिसवें वर्ष में बिहार राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो ।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :- (1) यह अधिनियम बिहार एवं उड़ीसा लो मांग वसूली (संशोधन) अधिनियम, 1993 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह दिनाक 2 फरवरी, 1993 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. बिहार एवं उड़ीसा अधिनियम, 4, 1914 की अनुसूची 1 में नये मद काजोड़ा जाना :- बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 (बिहार एवं उड़ीसा अधिनियम 4, 1914) की अनुसूची 1 में मदसंख्या 8 के बाद निम्नलिखित नया मद जोड़ा जायेगा तथासदा से जोड़ा गया समझा जायेगा, यथा -

"8-क. राज्य सरकार अथवा उसके किसी विभाग या पदाधिकारी को किसी भी व्यक्ति द्वारा देय किसी भी ऋण एं अग्रमि का बकाया।"

4. व्यावृत्ति :- (1) बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली (संशोधन) अध्यादेश, 1992 (बिहार अध्यादेश सं० 26, 1992) द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के पयोग में किा गया कोई कार्य या की गयी, समझी जायेगी मानों यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त या जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी ।

यह विधेयक (बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली संशोधन) विधेयक, 1993)दिनांक 4 अगस्त 1993 को बिहारविधान-सभा में उद्‌भूत हआ तथा सभी द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 193 को पारित हुआ एवं बिहार विधान परिषद् द्वारा बिना किसी संशोधन के दिनांक 6 अगस्त, 1993 को पारित हुआ ।

(ह०) गुलाम सरवर

अध्यक्ष ।

THE BIHAR AND ORISSA PUBLIC DEMANDS RECOVERY (AMENDMENT) ORDINANCE, 1993

AN ORDINNCE

To amend the Bihar and Orissa Public Demands Recovery Act, 1914.

Preamble. - Where as, the Legislature of the State of Bihar is not in session :

And, Where as the Governorof Bihar is satisfied that circumstnaces exist which render it necessary for him to take immediate action to amend the Bihar and Orissa Public Demands Recovery Act, 1914 (Bihar and Orissa ct IV of 1914) to provide for recovery of outstnding loans and advances payable to the State Government or to a Department or Official of the State Government by anybody whatsoever in manner herein after appearing;

Now, Therefore,in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance :-

1. *Short title, extent and commencement.*- (1) This Ordinance may be called the Bihar and Orissa Public Demands Recovery (Amendment) Ordinance, 1993.

(2) It shall extend to the whole of the Staeof Bihar.

(3) It shall be deemed to have come into force with effect from 2nd February, 1993.

2. *Addition of a new item in Schedule I of Bihar and Orissa Act IV of 1914.* In Bihar and Orissa Public Demands Recovery Act, 1914 (Bihar and Orissa Act IV of 1914), after item no. 8 of Schedule I, the following new itemshall be added and shall be deemed to have always been added namely :-

"8-A. Any outstanding loans and advances payable to the State Government or to a Department or Official of the State Government by anybody whatsoever.

Patna :
Dated the 1993

Governor of Bihar.

अधिसूचनाएँ

26 अगस्त, 1993

सं० एल० जी० II-09/86-लेज०--398-- बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम जिसपर राज्यपाल 23 अगस्त, 1993 को अनुमति दे चुके हैं इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है –

(बिहार अधिनियम 21, 1993)

बिहार काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम, 1993

बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1985 का संशोधन करने के लिए अधिनियम भारत गणराज्य के चौवालीसवों वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :- (1) यह अधिनियम बिहार काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम, 1993 कहा जासकेगा ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. बिहार अधिनियम 8, 1985 की धारा 23 का संशोधन :- बिहारकाश्तकारी अधिनियम 1985 (बिहार अधिनियम 8, 1985) की धारा 23 की –

(i) उप-धारा (1) में शब्द "काश्तकारी" के बादशब्दऔर अक "उप-धारा (4) में यथा उपबंधित को छोड़कर" अन्त:स्थापित किये जायेंगे।

(ii) उप-धारा (3) के बाद निम्नलिखित नई उप-धारायें अन्त:स्थापित की जायेंगी, यथा--

"(4) कोई रैयत समाहर्त्ता की पूर्वानुमति से अपनी भूमि का उपयोग वैसे प्रयोजनों के लिए कर सकेगा जो उप-धारा (2) में प्रगणित न हो:

परन्तु यह कि ऐसी अनुमति देने के पूर्व समाहर्त्ता ऐसी भूमि का लगान विहित रीति से पुन: निर्धारित करेगा जो भूमि के बाजार मूल्य के 5 प्रतिशत तक होगा :

परन्तु यह और कि यदि कोई रैयत समाहर्त्ता की पूर्वानुमति नहीं ले सका हो तो उप-धारा (2) में प्रगणित प्रयोजनों से भिन्नप्रयोजन के लि उपयोग प्रारम्भ होने की तिथि तथा यथास्थिति आवेदन की तिथिया पता चलने तक की अवधि कीतिथि तक की अवधि के लिए पूर्वानुमति लेने पर जो लगान भुगतान करना पड़ता इससे दूनी लगान का भुगतानकरने पर समाहर्ता कार्योत्तर अनुमति दे सकेगा :

परन्तु यह भी कि यदि कोई रैयत इस अधिनियम के प्रवृत होने से पूर्व ही उप-धारा (20 में प्रगणित प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन में अपनी भूमि का उपयोग कर रहा हो तो वह अनुमति के लिए इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि से 90 दिनों के अन्तर्गत समाहर्त्ता के पास आवेदन करेगा और ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर यह इसप्रकार कार्रवाई करेगा मानों उसका उपर्युक्त उपयोग इस अधिनियम के प्रवृत होने की तिथि से ही शुआ हआ हो । यदि वैसा रैयत ऐसा न करे तो वह इस अधिनियम के प्रवृत होने की तिथि और यथास्थिति आवेदन की तिथि यापता चलने की तिथि की अवधि के लिये उस लगानसे दूरी लगान भुगतान करने का दायी होगा जो उसे समय पर आवेदन करने पर भुगतान करना होता :

परन्तु यह और भी कि यथानिर्धारित लगान को प्रति दस वर्ष बाद पुनरीक्षित करने की शक्ति समाहर्ता की होगी ।

(5) (क) इस धारा के अधीनपारित किसी आदेशके विरुद्ध उक्त आदेशके तीस दिनों के अन्दर कोई अपील की जा सकेगी :-

(i) यदि ऐसा आदेश किसीजिला के समाहर्त्ता से भिन्न किसी पदाधिकारी द्वारा दियागया हो तो उस जिला के समाहर्त्ता के पास अथवा ऐसी अपीलें सुनने के लिये राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित विशेषरूप से शक्ति प्रदत किसी भीपदाधिकारीके पास, तथा

(ii) यदि ऐसा आदेश जिला के समाहर्त्ता द्वारा किया गया हो तो विहित प्राधिकार के पास ।

(ख) जिला का समाहर्त्ता किसी समय अपने समक्ष की गई किसी अपील को, ऐसे अपीलों को सुनने के लिये विशेष रूप से शक्ति प्रदत्त किसी पदाधिकारी के पास अन्तरित कर सकेगा अथवा इस प्रकार शक्ति प्रदत्त किसी पदाधिकारी के पास लंबित किसी अपील को वापस लेकर ऐसी अपील की सुनवाई स्वयं कर सकेगा अथवा उसके निष्पादन के लिये उसे किसी शक्ति प्रदत्त अन्य पदाधिकारी को अन्तरित कर सकेगा ।

(ग) इस धारा के अधीनकिसी अपील की सुनवाई एवं उसका निष्पादन विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा ।"

26 अगस्त 1993

सं० एल० जी० 1.09/86 लज० - 399- बिहार विधान - मंडल द्वारा यथापारिक और राज्यपाल द्वारा 23 अगस्त 1993 को अनुमत बिहार काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम, 1993 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा :-

[Bihar Act 21, 1993]

THE BIHAR TENANCY (AMENDMENT) ACT, 1993

AN

ACT

To amend the Bihar Tenancy Act, 1885.

Be it enacted by the legislture of the State of Bihar in the Forty Fourth yer of the Republic of India as follows:-

1. *Short title and Commencement.* - (1) This Act may be called the Bihar Tenancy (Amendment) Act, 1993.

(2) It shallcome into force at once.

2. *Amendement of Section 23 of Bihar Act, 8 of 1885.* - Section 3 of Bihar Tenancy Act, 1885.(Bihar Act 8 of 1885).

(i) In sub-section(1) after the word "tenancy" the words and figure "except as provided in sub-section (4)" shall be inserted.

(ii) After sub-section (3) the following new sub-sections shall be inserted, namely:-

"(4) A raiyat may, with the previous permissionof the Collector, use his land for the purposes not enumerated in sub section (2) :

Provided that before giving such permission the Colector shall redetermine the rent of such land in the prescribed manner to te extent of five per cent of the market value of the land :

Provided further that if a raiyat has not taken prior permission of the Collector, the Collector may give post facto permission on payment of double amount of the rent which he would hve paid for obining prior permission, for the period between the date of commencement of use for purposes other than those enumerated in sub-section (2) and the date of application or detection, as the case may be :

Provided also that if a raiyat has been using his land for purposes other than those enumerated in sub-section (2), from before the commencement of this Act. he shall apply within 90 days of the date of commencement of this Act for permission to the Collector who on receipt of such application shall proceed in such manner as if the above use had started on the date of commencement of this Act. If the raiyat fails to do so, he shall be liable for payment of double amount of the rent which he would have been liable to pay. had he applied in time for the period between the date of commencement of this Act and the date of application or detection as the case may be :

Provided further also tht the Collector shall have the power to revise the rent so determined after every ten years.

5 (a) An appeal against an order passed under this section shall lie within a period of 30 days from the date of such order -

(i) If such order is passed by an officer other than the Collector of a district. to the collector of the district or to any officer specially empowered by the State Government by notification to hear such appeals and

(ii) If such order is passed by the Collector of a district, to the prescribed authority.

(b) The Collector of the district may, at any time, transfer any appeal filed before him to any officer specially empowered to hear such appeals or withdraw any appeal pending before anyofficer so empowered, and either hear such appeal himself or transfer it for disposlto any other officer so empowered.

(c) Appeals under this section shall be heard and disposed of in accordance with the prescribed procedure."

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विन्देश्वरी प्रसाद यादव,

सरकार के प्रधारी संयुक्त सचिव ।

विधि (विधान) विभाग

शुद्धि-पत्र

7 अप्रील, 1994

सं० लेज 109, दिनांक 7 अप्रील, 1994 - बिहार गजट (असाधारण), दिनांक 26 अगस्त, 1993 में विधि विभाग की अधिसूचना संख्या एल० जी० - 1- 09186-- लेज-399 दिनांक 6 अगस्त 1993 द्वारा प्रकाशित बिहार काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम 21, 1993) की अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ में -

खण्ड 2 में Amendment of Section 23 of the Bihar Act 8 of 1885 - Section 23 of Bihar Tenancy Act, 1885 (Bihar Act 8 of 1885) के स्थान पर -

"Amendment of Section 23 of Bihar Act 8 of 1885 - In Section 23 of Bihar Tenancy Act, 1885 (Bihar Act 8 of 1885)" पढ़ें/पढ़िये ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विन्देश्वरी प्रसाद यादव,
सरकार के प्रभारी संयुक्त सचिव ।

7 अप्रील, 1994

सं० लेज 110, दिनांक 7 अप्रील, 1994 - बिहार गजट (असाधारण), दिनांक 26 अगस्त, 1993 में विधि विभाग की अधिसूचना संख्या एल० जी० - 1- 09186-- लेज-400 दिनाक 26 अगस्त 1993 द्वारा प्रकाशित बिहार काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम 21, 1993) -

बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1985 का संशोधन करने के लिये अधिनियम के स्थान पर-

"बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 का संशोधन करने के लिये अधिनियम पढ़ा जाय ।"

खण्ड 2 में बिहार काश्तकारी अधिनियम 8, 1985 की धारा 23 का संशोधन :- बिहार काश्तकारी अधिनियम 1985 (बिहार अधिनियम 8, 1985) की धारा 23 के स्थान पर बिहार काश्तकारी अधिनियम 8, 1885 की धारा 23 का संशोधन - बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 (बिहार अधिनियम 8, 1885) की धारा 23 पढ़ा जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विन्देश्वरी प्रसाद यादव,

सरकार के प्रभारी संयुक्त सचिव ।

पत्र संख्या :- 11 / भू0 सु0 - 21/94 - 363 /रा०,

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्रीमती लक्ष्मी सिंह,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता/उपायुक्त

पटना, दिनांक 18.5.93

विषय :- बिहार की अचल सम्पति से संबंधित लिखितो को बिहार के बाहर यथा कलकत्ता, मद्रास, मुम्बई और दिल्ली आदि में निबंधित कराये जाने पर दाखिल खारिज के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयके संबंध में मुझे कहना है कि विभागीय परिपत्रसंख 447 रा0 दिनांक 4-7-92 (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा बिहार की अचल सम्पति से संबंधित लिखितो को बिहार के बाहर यथा कलकत्ता, मद्रास, बम्बई औरदिल्ली आदि में निबंधन कराये जाने पर उसका दाखिल खारिज नहीं किया जाय, ऐसा स्पष्ट निदेश सभी समाहर्ताओं को दिया जा चुका है ।

2- सरकार को ऐसी सूचना मिली है कि उपर्युक्त स्पष्ट निदेश के बावजूद भी कुछ व्यक्ति संस्था इसकी अवहलना करते हुए बिहार की भूमि का निबंधन दूसरे राज्य में करा रहे हैं और गैर कानूनी है तथा सरकार को राजस्व कीहानिभीहो रही है । इस प्रकारके निबंधन पर सरकारने दाखिल खारिज नहीं करने की मंशा की नईबार व्यक्ति की है । सरकार चाहती है कि राय प्रवृति पूरी तरह समाप्त की जाय ।

3- अत: अनुरोध है कि इसका अनुपालन कड़ाई से किया जाय तथा अपने अधीनस्थ सभी अंचलाधिकारी भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता, अपर समाहर्त्ता तथा अन्य राजस्व पदाधिकारियों को सब निदेश दें कि वे उपयुक्त अवैध तरीके से रजिस्ट्रीकृत लिखितों के आधार दाखिल खारिज न करें।

विश्वासभाजन

(लक्ष्मी सिंह)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक 1033 रा0, पटना, दिनांक 18.8.93

प्रतिलिपि अनुलग्नक की प्रति सहित सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सचिव, निबंधन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

(लक्ष्मी सिंह)
सरकार के सचिव ।

पत्र संख्या :- 15 / भू0 सु0 - 15/93 -447 /रा०,

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री शंकर प्रसाद
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता/उपायुक्त

पटना - 15, दिनांक 4.7.92

विषय :- बिहार की अचल सम्पति से संबंधित लिखितो को बिहार के बाहर यथा कलकता, मद्रास, मुम्बई और दिल्ली आदि में निबंधित कराये जाने पर दाखिल खारिज के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयके संबंध मे मुझे कहना है कि रजिस्ट्रीकरण (बिहार संशोधन) अधिनियम 1991 जो बिहार से 8 अगस्त 1991 से प्रभावी है के द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम - 1908 की धारा र- 30 (2) को विलोपित कर दिया गया है जिसके फलस्वरुप बिहार की सम्पति मे संबंधित लिखितों का विहार के बाहर कलकता, मद्रास बम्बई और दिल्ली आदि में निबंधन कराने का प्रतिबन्ध लग गया है इसी प्रकार रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा -22 के बाद एक उप-धारा 22 क जोड़ी गयी है जिसके अनुसार राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगी कि किसी दस्तावेज या किसी श्रेणी के दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण लोक नीति के विरुद्ध है और ऐसी अधिसूचना निर्गत होते ही रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ऐसे दस्तावेजो की रजिस्ट्री करने से इन्कार कर सकते हैं ।

2- अधिनियम की धारा-28 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की गयी है, यथा

"28 इस खंड में अन्यथा उपबंधित नहीं होने पर धारा -17 की उप-धारा (1) के खंड (क) (ख) (ग) (घ) तथा (ङ) तथा धारा-17 की उप-धारा (2) जहां तक ऐसे विलेख अचल सम्पति को प्रभावित करते हो एवं धारा -18 के खंड (क), (ख) (ग) और (घ) में उल्लिखित दस्तावेज उस अवर निबंधक के कार्यालय में उपस्थापित किये जायेंगे जिसके जिला या उप-जिला के क्षेत्राधिकार में विलेख से संबंधित बिहार राज्य के अन्तर्गत सम्पूर्ण सम्पति अवस्थित है ।

3- सरकार को ऐसी सूचना मिली है कि कुछ व्यक्ति । संसाधन उक्त संशोधनों की अवहेलना करते हुए बिहार की भूमि का निबंधन दूसरे राज्य में करा रहे हैं जो गैर कानूनी है तथा सरकार ने राजस्व की हानि भी हो रही है । सरकारी चाहती है कि यह प्रवृति पूरी तरह बन्द की जाय।

4- अत: अनुरोध है कि आप अपने अधीनस्थ सभी अंचलाधिकारी, उप-समाहर्त्ता अपर समाहर्त्ता एवं अन्य राजस्व पदाधिकारियों को यह निर्देश दें कि वे उपर्युक्त अवैध तरीके से रजिस्ट्रीकृत लिखित के आधार पर दाखिल खारिज न करें ।

विश्वासभाजन

(शंकर प्रसाद)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक - 547 (रा), पटना, दिनांक 4.7.92

प्रतिलिपि सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सचिव, निबंधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हतु प्रेषित ।

(शंकर प्रसाद)
सरकार के सचिव ।

पत्र संख्या :- 8 / खा0 म0 नीति - 102/83-1452 रा०,

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री के० पी० सिन्हा

परामर्शी, राजस्व सह भूमि सुधार आयुक्त ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी समाहर्त्ता/उपायुक्त

पटना, दिनांक 21.5.83

विषय :- भूमि के स्वरुप में परिवर्तन के फलस्वरुप सलामी एवं लगान वसूली के संबंध में ।

महाशय,

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि सरकार को विभिन्न स्तरों से जानकारी मिल रही है कि रैयत अपनी कृषि भूमि का स्वरुप बदलकर वाणिज्यिक एवं अन्य प्रयोजनों से व्यवहार कर रहे हैं और स्थानीय पदाधिकारी इस अनियमित कारवाई के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कारवाई नहीं कर रहे हैं । बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 और बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 के साथ पठित छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अन्तर्गत रैयत को कृषि प्रयोजन के लिये भूमि रखने का अधिकार प्रदान किया गया है । रैयत को भूमि को ऐसे उपयोग में लाने का अधिकार नहीं है जिससे जमीन के मूल्य में भौतिक कमी हो जाय या काश्तकारी के प्रयोजन के लिये अनुपयुक्त हो जाय । कृषि अन्य भूमि को वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग करना कृषि अन्य आयोग अधिकार के उपबंधों का उल्लंघन है और ऐसी हालत में उपबंधित नियम के द्वारा सरकारको यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि ऐसे रैयत को जिसके द्वारा जमीन के स्वरुप में परिवर्तन कर दिया जाता है आयोग अधिकार से बेदखल कर दे याबिहार सरकार सम्पदा मैनुअल इस्टेट मैनुअल के नियमो नियम 9 (11) के अनुसार उचित लगान निध रिण कर उसे नियमित कर दें । तदनुसार यदि वाणिज्यिक के प्रयोजनों के लिये उपयोग करने पर कृषि भूमि के मूल्य में परिवर्तन होता है तब सलामी की रकम बाजार में प्रचलित जमीन की कीमत के समतुल्य और वार्षिक लगान ऐसे सलामी काबीसवां भाग पूर्व निर्धारित लगानकीजगह देय होगा।

महालेखाकार बिहार ने विभिन्न अंचलों एवं जिला कार्यालय के अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी इस प्रकार की टिप्पणी दी है जो नियमाकुल सही है ।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में अनुरोध है कि प्रावैधिक सरकारी नियमों को कठोरता से अनुपालन करते की कृपा करें । उपोक्त कंडिका । वर्णित नियमों का कितने मामलों में उल्लंघन किया गया है इसका अभियान के तौरपरएक महीने के अन्दर सर्वेक्षण कराया जाय । सभी अंचलाधि कारीयों को निदेश दें कि ऐसे मामलों का वे स्वयं स्थल निरीक्षण एवं समीक्षा कर पूर्ण विवरण प्रस्तुत करें । विवरण प्राप्ति के पश्चात जिला कार्यालय द्वारा प्रावैधित नियमानुसार आवश्यक कारवाई सम्पन्न कराया ।

इस मामले का प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक महीने सरकार को नियमित रूप से भेजने का कष्ट करें ।

विश्वासभाजन

(के० पी० सिन्हा)

परामर्शी राजस्व सह भूमि सुधार आयुक्त ।

ज्ञापांक - 547 /रा0, पटना, दिनांक 4.7.92

प्रतिलिपि सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सचिव, निबंधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

(शंकर प्रसाद)

सरकार के सचिव ।

बिहार सरकार

विधि विभाग

बिहार भू-लगान (भुगतान से छूट) अधिनियम, 1982
बिहार अधिनियम 4, 1982

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
1983

बिहार भू-लगान (भुगतान से छूट) अधिनियम, 1982

(बिहार अधिनियम 4, 1982)

विषय सूची

धाराएं :

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।

2. परिभाषाएं ।

3. कुछ मामलों में भू-लगान के भुगतानसे छूट ।

4. विभिन्न क्षेत्रों की वसूली में प्रोजनार्थ भूलगान से छूट प्राप्त श्रोतों काभू-लगन से मुक्त न समझा जाय ।

5. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति ।

6. विस्मय और व्यावृत्ति ।

पत्र संख्या :- 4 / भू0

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री आर० एन० सिन्हा
सरकार के विशेश सचिव

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी समाहर्त्ता/उपायुक्त

पटना - 15, दिनांक 6.5.82

विषय :- परिसदनों के रूम रेंट तथा अन्य चार्जों को वसूली के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुझे पदाधिकारियों ने इस बात की शिकायत की है कि परिसदन में ठहरने के लिये जाने वाले शुल्क में एक रूपता नहीं है । एक पदाधिकारी द्वारा यह सूचना दी गयीहै कि दुमका में । दिन का चार्ज 5 रूपया लिया गया है । दूसरे पदाधिकारी ने यह सूचना दो है भागलपुर में एक दिन का 5 रु0 चार्ज दिया गया है । परिसदन में ठहरने हेतु जो शुल्क लेना है उससे सम्बन्धित विभागीय पत्रसं0 5940 रा0 दिनांक 19/12/74 की प्रति संलग्न है । अनुरोध है कि पत्र में अंकित दर के अनुसार चार्ज लिया जाय ।

विश्वासभाजन

(आर0 एन0 सिन्हा)
सरकार के विशेष सचिव ।

पत्र संख्या :- 2/43 - सी0 एन0

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री एस आर अडिगे

सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी समाहर्त्ता

पटना-15, दिनांक 19.12.74

विषय :- परिसदनों के रूप रेंट तथा अन्य चार्जों का पुनरीक्षण।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्टि करते हुए मुझे यह कहना है कि राज्य क विभिन्न परिसदनों के रूप रेन्ट तथा अन्य चार्जों के पुनरीक्षण का प्रश्न कुछ दिनों से सरकार के विचाराधीन था । इस संबंध में सभी पहलूओं पर विचारोपरान्त सरकार ने निम्नाकित निर्णय लिये हैं :-

1- परिसदनों की वर्तमान तीन श्रेणियों को समाप्त करते हुए रेन्ट तथा अन्य चार्जों के लिए राज्य के सभी परिसदनों को समान स्तर पर लाया जायगा । रुम रेन्ट का दर प्रत्येक कमरे के लिए प्रति दिन 3 रु0 की दर से देय होगा। प्रत्येक अतिक्ति कमरे के लिए उपर्युक्त दरों से ही अतिरिक्त रुम रेन्ट देय होगा । रुम रेन्ट देने से छूट के संबंध में सरकारी पदाधिकारिों की सरकारी कार्य पर दौरे के समय परिसदनों के इस्तेमाल हेतु जो वर्तमान सुविधा प्राप्त है वह अनुमान्य रहेगी लेकिन ऐसे सरकारी पदाधिकारी में छुटटी पर अपने मुख्यालय से बाहर परिसदनों में रहे हैं उन्हें रुम रेन्ट का दर 8 रु0 प्रति कमरा प्रति दिन के हिसाब से देय होगा ।

2- बिजली की खपत के लिए राज्य के सभी परिसदनों में समान तौरपरएक बकाया राशिकमरा प्रति दिन के हिसाग से देय होगा । इस बिन्दु पर राज्य के परिसदनों के व्यवहार हेतु नियमावली के नियम 9(1) में जो विभेद है उसे समाप्त करते हुए यह भी निर्णय लिया गया है कि जमशेदपुर परिसदन में बिजली कीखपत हेतु देय भार को राज्य के अन्य परिसदनों के समकक्ष लाया जाय । वैसे कमरों के लिये जहां एयर कंडिश्नर की सुविध ा प्रयोग में लायी गयी है बिजली खपत के मद में अतिरिक्त 3 रु0 पति कमरा प्रति दिन के हिसाब से देय होगा ।

3- परिसदनों द्वारा आपूर्ति किए गए क्षोम वस्त्रों (Linear के लिए क्षोम वस्त्र चार्ज (Linea charge) के मद में रु0 प्रति दिन के हिसा से चार्ज किया जाएगा । प्रत्येक सेट में दो चादर दो तकिया खोल एक या अधिक कंबल तथा एक तौलिया की आपूर्ति की जाएगी । क्षोभ वस्त्रों की आपूर्ति उसकी उपलब्धता पर निर्भर करेगा । इन वस्त्रों को आपूर्ति एक सप्ताह में एक बार कीजासकेगी तथा एक याएक से अधिक वस्त्रें की आपूर्ति होने पर भी पूरा (Linen charge) देय होगा ।

4- गैर सरकारी व्यक्तियों को भी प्रमंडलीय आयुक्त के अनुमोदन से परिसदन में ठहरने को अनुमति मिल सकती है, पर ऐसे व्यक्तियों से प्रति कमरा कम से कम 20 रु0 प्रति दिनकी दर से रुम रेन्ट देय होगा । बिजली की खपत के लिये तथा क्षोम वस्त्र के लिये उपरोक्त दरों के मुताबिक अतिरिक्त चार्ज लगेगा ।

5- विधायकों तथा संसद सदस्यों को प्रमंडलीय आयुक्त के अनुमोदन के परिसदनों में ठहरने की अनुमति दी जा सकती है और जब वे सरकारी कार्यों के दौरे पर ही, तब उनसे रूप रेन्ट देय नहीं होगा, लेकिन अन्य चार्ज देय होगा ।

6- परिसदनों के इस्तेमाल हेतु रुम रेन्ट तथा अन्य चार्जों के लिए प्रतिदिन से तात्पर्य होगा 3 घंटा या उससे अधिक तथा 24 घंटा तक ।

7- परिसदनों के रूप रेन्ट तथा अन्य चार्जों का उपर्युक्त दर दिनांक जनवरी 1975 से लागू होगा ।

8- परिसदनों के व्यवहार हेतु नियमावली संशोधन करने की कार्रवाई अलग से की जा रही है और पुनरीक्षित नियमावली शीघ्र ही निर्गत की जाएगी।

विश्वासभाजन

(एस0 आर0 अडिगे)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक - 5940 /रा0, पटना - 15, दिनांक 9.9.74

प्रतिलिपि मुख्य सचिव । सभी प्रधान सचिव/सरकार के सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/निबंधक उच्च न्यायालय पटना/राजस्व विभाग के संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(एस0 आर0 अडिगे)
सरकार के सचिव ।

पत्र संख्या :- 10/ल० द/ 82/80 1148 रा०,
बिहार सरकार,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री शिव प्रिय,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 16.8.80

विषय :- दाखिल खारिज मामलों का शिविर न्यायालय के द्वारा निष्पादन ।

महोदय,

निदेश नुसार उपर्युक्त विषय पर इस विभागीय पत्रांक 1284 भू0 सु0 दि0 4.7.77 पत्रांक 1828 भ0 स0 पत्रांक 1500 रा0 दिनांक 29.3.78 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे कहना है कि उपर्युक्त पत्रों में अनुदेश निर्गत किये गये थे कि दाखिलखारिज के मामलों का निष्पादन आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि से एक माह का अवधि में अभियान चलाकर या शिविर न्यायालय के माध्यम से कर दिया जाय । किन्तु उपर्युक्त अनुदेशों के बावजूद भी दाखिल खारिज के मामलों का निष्पादन स्थानीय राजस्व पदाधिकारियों द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर नहीं किया जा रहा है । विधान मण्डल स्तर तथा अन्य विश्वस्त सुत्रों से सरकार को ऐसी सूचना मिली है कि कुछ अंचलों में दाखिल खारिज के मामले काफी दिनों से निस्तारार्थ लंबित पड़े हैं ।

सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी लंबित दाखिल खारिज मामलों का निस्तार दिसम्बर 1980 तक पूर्ण रुप से शिविर कोर्ट करके करवा दिया जाय ।

अतः अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को शीघ्र इस सम्बन्ध में अनुदेश निर्गत करें कि वे सभी लंबित मामलों का निस्तार 31 दिसम्बर 80 तक अवश्य कर दें । साथही साथआप सरकार को 15.1.81 तक यह सूचना दें कि सभी लंबित दाखिल खारिज के मामलों का निस्तार कर दिया गया है ।

2- दाखिल खारिज मामलों के निष्पादन सम्बन्धी मासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अनियमित रूप से प्राप्त होती है । समय पर प्रतिवेदन नहीं मिलने के कारण उसकी महत्ता ही समाप्त हो जाती है । अतः आपसे यह भी अनुरोध है कि प्रत्येक माह कीमासिक प्रगति प्रतिवेदन दूसरे माह में 7 तारीख तक अपने स्तरसे निश्चित रूप से भेज दे जिसमें इस विभाग में 15 तारीख तक अवश्य प्राप्त हो जाय ।

3- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय एवं इस में अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को निर्गत अनुदेश कीएक प्रति भी इस विभाग को सूचनार्थ भेजी जाय ।

विश्वासभाजन

(शिव प्रिय)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक - 1148 रा0, पटना - 15 दि0 18.8.80

प्रतिलिपि सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(शिव प्रिय)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक - 1148 रा0, पटना - 15 दि0 18.8.80

प्रतिलिपि सभी अपर समाहर्त्ता/ अनुमण्डल पदाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल पदाधिकारी की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(शिव प्रिय)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

पत्र संख्या :- 10/ल० द/ 71/78 1920 रा०,
बिहार सरकार,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री फूलचन्द सिंह,
सचिव

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता ।

पटना-15, दिनांक 12 जुलाइ, 1978 ।

विषय :- भूदानी किसानों के साथ बंदोबस्त जमीन का दाखिल खारिज एवं लगान वसूली ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार मुझे कहना है कि भूदानी किसानों के दाखिल खारिज संबंधी प्रगति की समीक्षा से यह पता चलता है कि ये मामले लम्बे अरसे से लम्बित चले हा रहे हैं और इनके यथासमय निष्पादन की ओर स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है । सरकार को यह सूचना मिली है कि देर से दाखिल खारिज एवं लगान निर्धारण करने के उपरान्त भूदानी रैयतों से उसी तिथि से ही लगान कीमांग कीजा रही है जिस तिथि से उनके साथ जमीन की बन्दोबस्ती समिति द्वारा की गई है । आप सहमत होंगे कि कमजोर वर्ग के भूदानी रैयत विलम्ब से दाखिल खारिज एवं लगान निर्धारण होने पर 8--10 वर्षों के बकाये लगान का भुगतानकरने में स्वीाावत: समर्थ नहीं हो सकते । अत: जरूरत इस बात कीहै कि इनके दाखिल खारिज के एवं लगान निर्धारण के मामलों का निष्पादन शीघ्रतापूर्वक, अधिक-से-अधिक 3 महीने के अन्दर किया जाय ।

2- साथ यह भी जरूरी है कि लगान निर्धारण करते समय सरकारीनीति एवं अनुदेशों का अनुपालन किया जाय । इस संबंध में विभागीय परिपत्र संख्या 7041 एल० आर०, दिनांक 5 दिसम्बर, 1955 तथा 6756- एल० आर० दिनांक 20 अगस्त 1956 की ओर आपका ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार :-

(क) वैसी रैयतीजमीन जिसका अधिकार कब्जा भूदानी रैयतों को सौंपने के समय तक दानकर्त्ता उस पर कृषि कार्य करते चले आ रहे हों उसका वार्षिक लगान भूदानी रैयतों को उस तिथि से देना है जिस तिथि से दानकर्त्ता से उन्हें जमीन का कब्जा प्राप्त हुआ है, अर्थात् उसके पूर्व की अवधि का लगान दानकर्ता को ही देना है,

(ख) वैसी जमीन जिसे दान करे के बाद दानकर्त्ता अपना अधिकार परित्याग कर कृषि कार्य करना बन्द कर दिये हों और वह जमीन परती पड़ी हो तो दान करने की तिथि तथा उस जमीन पर नये रैयत की स्थापना की तिथि के बीच की अवधि कालगान कैसे और किससे वसूल जाय इस सम्बन्ध में प्रत्येक मामले में सरकार का निर्णय प्राप्त करना है, तथा

(ग) वैसी जमीन जो दान में प्राप्त होने के पूर्व से ही बजर एवं परती पड़ी हों, का वार्षिक लगान भूदान रैयत से उस समय से लेना है जबसे उसी पर कृषि कार्य कर पैदावार से रैयत लाभान्वित होते हैं ।

3- आपके सहज संकेत के लिए कंडिका-2 में उल्लिखित परिपत्रों की प्रतितलिपि संलग्न की जा रही है । सरकार चाहती है कि इन अनुदेशों के अनुसार ही भूदानी रैयत से लगान की वसूली की जाय ।

4- अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों को आवश्यक अनुदेश देने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

(फूलचन्द सिंह,)
सचिव

ज्ञापांक 1920 - भू० सु० ।

पटना - 15, दिनांक 12 जुलाइ, 1978 ।

प्रतिलिपि सभी प्रमंडलीय आयुक्त/अपर समाहर्ता/अनुमंडल पदाधिकारी/अंचल पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

(फूलचन्द सिंह,)
सचिव

Copy of letter no. E/VII - 2023/55 - 7041 L. R, dated Patna, the 5th December, 1955, fromShri S. Sahay, Deputy Secretry to Government of Bihar, Revenue Department to all Collectors, including the Additional Deputy Commissioner, Dhanbad.

Subject : Remission of rent of lands, donated in Bhoodan Yagna, till such time that there remain follow.

I am directed to say that section 18 of the Bihar Bhoodan Yagna Act, 1954 empowers the Revenue Officer to divide a holding and distribute the rent payable in respect thereof, where only a portionof the holding vests in the Bihar Bhoodan Yagna Committee under the provisions of the Act.The principle on which distribution of rent is to be made by the Revenue officer in such cases hs not however, been explained in the section. It has simply beenmentioned onit that the distribution of rent is to be mde by the Revenue Officer insuch cases hs not however, beenexplained inthe section. It has simply been mentioned init that the distribution will be effected by him insuch a manner as he deems fair and equitable One principle, which the Revenue Officer is to keep in vie in this regard is that the rent distributed by him for the lands comprised in the portion of the holding, donated in Bhoodan Yagna, is based on the rent payable for similar lands in the vicinity. If tus the land donated to the Committee is merely a wste land, the rent to be apportioned to the Committee for it should be the rent prevailing in the vicinity for waste land Another point to be ensured by the Revenue Officer in this regard is that no portionof the total rent of the holding is lost by such distribution and the total rent before and after the distribution remains the same.

2. Government have, however. been pleased to decide tht, while distribution of rent should be made on te lines indicated in the preceding paragraph, no rent should be realised, in cases in which Government are the landlords, for lands, donated in Bhoodn Yagna which are follow and that realisationof rent, in uch cases, should start from the year any crop begins to be grown thereon. This decision will govern also such lands as might have beencultivated before donation in Bhoodan Yagna but be lying fallow since such donation.

3. I amto request that all officers concerned, subordinate to you, may be informed about it.

4. 60 spare copies of the order are enclosed for necessary circulation.

Copy of letter no. E/VII - 206/56 - 6756 L. R, dated Patna, the 20th August, 1956, from Shri S. Sahay, Deputy Secretry to Government of Bihar, Revenue Department to all Collectors, including the Additional Deputy Commissioner, Dhanbad.

Subject : Rent Payable to the State in respect of lands donated by landowners in Bhoodan Yagna but continuing to be in their possession.

I am directed to say that Government conside it reasonable that their rent for the lands, donated in Bhoodan Yagna, shouldbe paid by the donors themselves during the period between the date of donation and that on which the possession thereqr is delivered by them to landless persons, to whom those are granted by the Bihar Bhoodan Yagna Committee, in cases in which the lands were in cultivating possession of the donors and they had enjoyed the usefruct therefrom

2. There may be cases, although rre, in which it might be found that, after making thedonstion, hedonorhad relinquished posseesion of the donated land and that during the period between the date of the donation and the date of indication of Bhoodan Tenant thereon the land was left uncultivated. In such cases, the donor may have objection to paying the rent of the land for the period. I am to say that whenever suchcases, arise, the question of realisationof rent in respect of suchlands for the intermediate period should bereferred to the Government for orders.

3. Th eforegoing pargraphs relate to only such lands as were already cultivated and had been yielding crops of the time of donation and not to such lands as were lying waste or fallow, at that time so far as wste or fallow lands are conderned, Government's decision has already been communicated to you, in paragraph 2 of this Department's letter no. 7041-L.R, dated the 5th December 1955 to exempt these from payment of rent from the date of donation till such time that crops begin to be grown therei.

Memo No. 6756 - L.R. dated Patna, the 20th August, 1956, by the Deputy Secretary to Government of Bihar, Revenue Department

Copy forwarded to all Divisional Commissioners/secretary, Bihar Bhoodan Yagna Committee, National Hall, Kadamkuna, Patna for information.

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
॥ संकल्प ॥

पटना – 15 दिनांक 5.8.76

विषय : राज्य की एक ही श्रेणी के कृषि जोतों की असमान भू-लगान-दर की समाप्त करने के उद्देश्य से भू-लगान का मानकीकरण करने के सिलसिले में समिति का गठन ।

राज्य की एक ही श्रेणी के कृषि जोतों की असमान भु-लगान दरको समाप्त करने के उद्देश्य से सरकार भु-लगान का मानकीकरण करना चाहती है । भू-लगान का मानकीकरण जैसी जटिल समस्या की सभी पहलुओं का परिक्षण कर इसे चालू वित्तीय वर्ष 1976-77 में लागू करने के सरल व्यवहारिक एवं कारगर योजना तैयार करने एवं इस हेतु प्रतिवेदन देने हेतु सरकार एक समिति का गठन करती है ।

2- (क) समिति कुछ क्षेत्रों में जाकर वहां के राजस्व कार्यालयों में उपलब्ध भू-अभिलेखों का परीक्षण करेगी साथ ही वहां के कृषि जोतों के किस्म और प्रचलित लगान दर की समिति का पता लगाकर लगान मानकीकरण संबंधी सरल व्यावहारिक एव कारगर योजना अपने प्रतिवेदन सहित सरकार को एक माह के अन्तर्गत अग्रसर दे देगी ।

(ख) समिति यदि महसूस करती हो कि भू-लगान मानकीकरण चालू वित्तीय वर्ष 1976-77 में किया जाना संभव नहीं है तब वैसी स्थिति में चालू वित्तीय वर्ष 1976-77 में ही भू-राजस्व श्रोत से 8 करोड़ रु0 के अतिरिक्त राशि प्राप्ति के उपायों के बारे में अपनी अनुशंसा सरकार को प्रतिवेदित करेगी ।

3- समिति के निम्नांकित सदस्य होंगे :-

(1) श्री शरण सिंह, सदस्य, राजस्व पर्षद :- अध्यक्ष ।

(2) श्री टी0 सी0 ए0 श्रीनिवास रामानुजम, सचिव, योजना विभाग, सदस्य

(3) श्री पी0 सी0 सिंह, अपर सचिव, सिंचाई विभाग, सदस्य ।

(4) श्री मोहिन्दर सिंह, सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, सदस्य ।

(5) श्री मधेश्वर प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक, लगान, मानकीकरण का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, सदस्य सचिव ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाता तथा इसकी प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को दी जाय ।

बिहार राज्य के आदेश से,
मोहिन्दर सिंह
सचिव

ज्ञापांक 10 -ल-नीति-203 / 79 (खण्ड) 2476 भू0 सु0, पटना - 15 दिनांक 5.8.76

प्रतिलिपि अधीक्षक सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना - 7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2- उनसे अनुरोध है कि इसकी 150 प्रति मुद्रित प्रतियां विभाग को तुरत भेजें ।

(मोहिन्दर सिंह)
सचिव

ज्ञापांक 10 -ल-नीति-203 / 79 (खण्ड) 2476 भू0 सु0, पटना - 15 दिनांक 5.8.76

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार / सदस्य राजस्व पर्षद/ विकास आयुक्त बिहार/साधन आयुक्त बिहार/वित्तीय आयुक्त बिहार/कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार/सिंचाई आयुक्त बिहार / उपाध्यक्ष योजना पर्षद योजना विभाग, बिहार / मुख्य मंत्री के सचिव / सचिव, योजना विभाग/अपर सचिव, सिंचाई विभाग/सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/संयुक्त सचिव सह-निदेशक लगान मानकीकरण राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/राजस्व मंत्री के आप्त सचिव । राज्य मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

(मोहिन्दर सिंह)
सचिव

पत्र संख्या :- 10/ल० 2028/75 2424 रा०

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री इन्द्रनाथ ठाकुर,
भूमि सुधार आयुक्त ।

सेवा में,

आयुक्त, पटना प्रमण्डल
आयुक्त, भागलपुर प्रमण्डल
आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर
आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा
आयुक्त दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा

पटना-15, दिनांक 13/11/75

विषय :- उप निदेशक भू-लगान विवेकीकरण करने और फंक्शनस के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि सरकार ने निर्णय लिया है कि भू-लगान का विवेकीकरण कराना नितान्त आवश्यक हो गया है और इसे शीघ्र किया जाय । इसके लिये राज्य स्तर पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में एक निदेशालय का सृजन किया गया है जिसमें एक निदेशक-सह-संयुक्त सचिव का पद मुख्यालय में तथा तीन उप निदेशक (पटना, भागलपुर और तिरहुत प्रमण्डल के लिये) स्वीकृत किया गया है । सभी पद पर पदाधिकारियों ने पद भार ग्रहण कर लिया है । भू-लगान का विकेन्द्रीकरण के लिये अभिति अधिनियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव विचाराधीन है । संशोधन से संबंधित अध्यादेश प्रख्यापित होते ही विकेकीकरण का कार्य आरम्भ किया जायेगा । इसी बीच भू-लगान की मांग से संबंधित अभिलेखों को खासकर पंजी-2 को अद्यतन करने का अभियान चलाया जा रहा है जिसके संबंध में आपको अलग से पत्र भेजे गये है और अंचल, अनुमण्डल और जिला स्तर पर कार्रवाई हो रही है । वार्षिक माँग के अद्यतन आँकड़े संशोधित पंजी 2 में 15.11.75 तक तैयार कर देना है । इसके अलावे भू-लगान पर अधिभार और उस पर सेस भी लगाया जा रहा है । जिसके लिये अध्यादेश शीघ्र की प्रख्यापित होगा । खान, खनिज, वन पदार्थों पर सेस की दर और प्रक्रिया में भी अपूल परिवर्तन करने काप्रश्न विचाराधीन है और इस पर भी अन्तिम निर्णय शीघ्र ही ले लिये जाने की सभावना है । इन सब उद्देश्यों की पूर्त्ति तभी होगी जबकि हल्का से जिला स्तर तक इसका कार्यान्वयन उचित ढंग से और तत्परता से है । भू-लगान की के अद्यतन करने सेस और अधिभार की नयी पद्धति के कारण राजस्व प्राप्ति की राशि भी पहले की अपेक्षा करीब तिगुनी होनी चाहिये । इसके लिये पहले मांग (हाल और बकाया) की राशि से संबंधित अभिलेख को अद्यतन और शुद्ध करना है और प्रभावशाली से वसूली के लिये कार्यक्रम बनाना और कार्यान्वयन करना है ।

2- प्रमण्डलीय आयुक्त के जिम्मे बहुतेरे कार्य है और उसमे से कुछ अति आवश्यक भी रहते हैं जिसके कारण राजस्व के उल्लिखित बिन्दुओं पर उनके लिये यथेष्ट ध्यान देना शायद संभव नहीं है । अतः सरकार ने आयुक्तों को हल्का से मिला स्तर तक उल्लिखित यानि भू-लगान, अधि भार और सेस से संबंधित सरकारी आदेशों और अनुदेशों के कार्यान्वयन की स्थिति से अवगत रखने के लिए समय पर जिलस स्तर तक उचित अनुदेशें भेजने या मार्ग दर्शन करने के लिये तथा प्रगति की समीक्षा में सहायता के लिये उप-निदेशक, भू-लगान विकेन्द्रकरण का पद सृजित किया है ।

3- उप निदेशक, भू-लगान विवेकीकरण के हल्का अंचल, अनुमण्डलीय जिला कार्यालय से सम्पर्क रखना होगा और उल्लिखित विषयों पर निर्गत किये गये आदेशों/अनुदेशों के कार्यान्वयन की स्थिति से प्रमण्डलीय आयुक्त और निदेशक, भू-लगान को अवगत रखना होगा । यदि किसी आदेश या अनुदेशों में किसी तरह की स्पष्टीकरण या किसी विषय पर सरकर का आदेश या स्वीकृति लेने की आवश्यकता है तो वे निदेशक से शीघ्र सम्पर्क स्थापित कर इसके लिये प्रयास करेंगे । वे निदेशक या जिला या अनुमण्डल स्तर के अधिकारियों से सीधे पक्षकार कर सकेंगे । वे मुख्यतः फील्ड पदाधिकारी होंगे और उन्हें कम से कम महीने में 12 दिन और 6 रात बाहर व्यतीत करना चाहिये । इन्हें महीनें में कम से कम चार हल्का कार्यालय, चार अंचल कार्यालय और चार अनुमण्डल कार्यालय में उल्लिखित विषयों से संबंधित किये जा रहे कार्य की समीक्षा का निरीक्षण कर संबंधित समाहर्त्ता प्रमण्डलीय आयुक्त और निदेशक भू-लगान को अवगत रखेंगे । इस कार्य के लिये उन्हें उसजिले के जिसके अन्तर्गत किये जा रहे कार्य की समीक्षा या निरीक्षक करेंगे । अपर समाहर्त्ता ट्रीट किया जायेगा और उनके द्वारा दिये गये अनुदेशों का अनुपालन तदनुसार करना होगा । उल्लिखित विषयों से संबंधित सभी बैठकों में (अनुमण्डल स्तर, जिला स्तर या प्रमण्डलीय स्तर पर) भाग लेने के सक्षम होंगे ।

4- चूंकि अभी हर प्रमण्डल के लिये उप निदेशक का पद स्वीकृत करना संभव नहीं हो सका है अतः भागलपुर प्रमण्डल में पदस्थापित उप निदेशक, कोशी प्रमण्डल और तिरहुत प्रमण्डल में पदस्थापित उप निदेशक, दरभंगा प्रमण्डल के कार्यों का भीदेख रेख करेंगे यद्यपि उनका मुख्यालय भागलपुर/मुजफ्फरपुर ही रहेगा और वे मुख्यालय के प्रमण्डलीय आयुक्त के निकटतम नियंत्रण में कार्य करेंगे । उप निदेशक के वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों के संबंध में और छुट्टी या उनके यात्रा भत्ता या विपत्र इत्यादि के लिये नियंत्रक पदाधिकारी के संबंध में अलग से आदेश जारी किये जा रहे हैं ।

विश्वासभाजन

(इन्द्रनाथ ठाकुर)
भूमि सुधार आयुक्त ।

ज्ञाप संख्या 2424 रा0, पटना-15, दिनांक 19.11.75

प्रतिलिपि सभी संबंधित समाहर्त्ता/उप निदेशक, भू-लगान विवेकीकरण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये प्रेषित ।

(इन्द्रनाथ ठाकुर)
भूमि सुधार आयुक्त ।

[BIHAR ACT V OF 1966]
THE BIHAR URBAN LAND TAX ACT, 1965 [1]

[This Act received the assent of the Governor on the 16th January 1966 and the assent ws first published inthe Bihar Gazette, Extraordinary of the 2nd February 1966.]

An .

Act

TO PROVIDE FOR THE LEVY OF TAX ONURBAN LAND IN THE STATE OF BIHAR

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Sixteenth Year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. *Short title, extned and commencement.*- (1) This Act may be called the Bihar Urban Land Tax Act, 1965.

(2) It extends to the areas lying within the locallimits of a municipality or a notified area under the Bihar and Orissa Municipal Act, 1922 (B. & O. Act VII of 1922), the Patna Municipal Corporation urider the Patna Municipal Corporation Act, 1951 (Bihar Act XIII of 1952) and a cantonment under the Cantomnments Act, 1924 (Act II of 1924) and areas lying within sixteen kilometres of such areas in the State of Bihar.

(3) It shall come into force on such date and in such area as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint and it may appoint different dates for different areas and for different provisions.

2. *Definitions.* - In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,-

(a) "assessee" means a person by whom urban land tax or any other sum of money is payable under the Act and includes every other person in respect of whom any proceeding under this Act has been taken for the determinationof the urban lnd tax payable by him ;

(b) "building" includes a house, out-house, stable, latrine, godown, shed, hut, wall and anyother structure, whether of masonry, bricks, mud, wood,metal or any other material whatsoever;

(c) "Collector means the Collector of the district and includes any other officer not below the rank of a Deputy Collector appointed by the State Government to exercise the powers and discharge the functions of the Collector under all or any of the provisions of this Act;

(d) "market value" means the market value as determined under section 5;

(e) "occupier" includes -

(i) any personfor the time being paying or liable to pay to ghe owner rent or any portion of the rent of the urban land or of the building constructed on the urban land or part of such land or building in respect of which the word is used, or the damages on account of the occupation of such and,building or part ; and

(ii) a rent-free occupant;

(f) "owner" includes -

(i) any personfor the time being receiving or entitled to receive,whether on his own account or as agent, trustee, guardian, manager or receiverfor anofher person or for any religious or charitable purposes, the rent or profit of the urban land or of the building constructed on the urban land in respect of which the word is used ;

(ii) a mortgagee in possession ; and

(iii) a lessee from any person including the State or the Central Governmfent for a term not less than twenty years ;

(g) "presceibed" means prescribed by rules made under this Act ;

(h) "State Government" means the State Governmet of Bihar;

(i) "urban land" means any land other than those used exclusively for agriculture or horticulture and includes any land on which any building has been constructed and garden or grounds, if any, appurtenant to a building ; and

(j) "year" means the financial year commencing on the first day of April.

CHAPTER II

LEVY OF URBAN LAND TAX

3.Levy of urban land tax. - Subject to the other provisions contained inthis Act, there shall be levied and collected for every year a tax on urban land (hereinafter referred to as the urban land tax) from every owner of urbanland at such rate not exceeding the following per centumof the market value of the urban land as may, from time to time, be fixed by the State Government bynotificationinthe official Gazette in this behalf, namely ;-

Urban land used for industrial or commercial 0.5 *per centum.* purposes.

Other urban land ... ... 0.2 *per centum :*

Provided that no such tax shall be levied on any owner of urban land if the total market value of all urban land owned by him in any zone does not exceed three thousand rupees.

CHAPTER III

PREPARATION OF URBAN LAND ASSESSMENT SCHEME.

4. *Classification of urbanland.* - (1) The Collector shall classify the areas to which this Act has beenapplied into such number of zones as may be found convenient having regard to the matters enumerated in sub-section(2).

(2) In making the classification under sub-section (1), the Collector shall follow such procedure as may be prescribed and shall have due regard to the following matters,namely.: -

(a) the locality in which the urban land is situated ;

(b) the predominant use to which the urban land is put, that is to say, industrial, commercialor residential ;

(c) accessibility or proximity to market,dispensary, hospital, railway station, educational institution, or Governmet offices;

(d) availability of civic amenities like water-supply, drainage and lighting; and

(e) such other matters as may be prescribed.

(3) Subject to the provisions of sub-section (2), in classifying zones under sub-section (1), the Collector shall, as far as practicable, include in a zone urbanlands which are contiguous and as nearly as may be of the same market value.

5. *Determinationof market value.* - (1) The Collector shall determine the market value of the urban land in a zone.

(2) In determining the market value under sub-section (1), the Collector shall have due regard to the price at which urban land in the zone has been sold within five years precedingthe date of the commencement of this Act and the market value so determined shall notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, for the purposes of this Act, be deemed to be the same in respect of allurbanlands comprised within a zone.

6. *Preparation of draft assessment scheme.* - As soon as may be, after the classification of the zones and the determinationof the market value,the Collector shall prepare a draft urban land assessment scheme (hereinafter referred to as the draft assessment scheme) containing the following particulars, namely :-

(a) particulars of all zones ;

(b) particulars of the market value for the urban land in each zone ;

(c) such other particulars as may be prescribed.

7. *Publication of draft assessment scheme.* - (1) The Collector shall publish the draft assessment scheme in such manner as may be prescribed, together with a notice stating that any objection to the said draft shall bepreferred within thirty days from the date of publicationof such scheme.

(2) The Collector may, of his own motion, at any time before the expiry of thirty days from the date of publication of the draft assessment scheme, make such modification or correction therein as he thinks fit, and where any such correction or modification ismade the draft assessment scheme as so amended or corrected shall berepublished and the provisions of sub-section (1) shall apply thereto.

8. *Decision on objections and publication of final assessment scheme.* - (1) Where o objection is preferred under section 7 the draft assessment scheme shall, subject to the provisions of sections 9 and 10, be the final urban land assessment scheme (hereinafter referred to as the final assessment scheme).

(2) Where any objection is preferred under section 7 the Collector shall, after affording a reasonable opportunity of being heard to the objector, decide the objection and may confirm or modify the draft assessment scheme and

the scheme as so confirmed or modified shall, subject to the provisions of sections 9 and 10, be the final assessment scheme.

(3) The Collector shall publish the final assessment scheme in such manner as may be prescribed.

9. *Appeal.* - (1) Any person aggrieved by any entry in the final assessment scheme may, at any time before the expiry of thirty days from the date of the publication of such scheme prefer an appeal to the prescribed authority.

(2) In disposing of an appeal under this section the appellate authority shall follow such procedure as may be prescribed.

10. *Collector to modify final assessment scheme on the basis of orders of appellate authority.* - On receipt of the orders passed in appeal under section 9 the Collector shall, if necessary, modify the final assessment scheme suitably to give effect to such orders, and the scheme as so modified shall be published in such manner as may be prescribed.

11. *Duration of urban land settlement scheme.* - (1) The final assessment scheme published under section 8 with the modifications, if any made under section 10 shall remain inforce for a period of ten years from the 1st day of April of the year in which the said scheme is published under section 8 or for a further period not exceeding ten years as the State Government may direct.

(2) After the expiration of the period or the further period referred to in sub-section (1), the State Government may, if it thinks fit, direct revisionof the final assessment scheme referred to in sub-section (1).

(3) All the provisions of this Act shall, as far as may be, apply to the urban land assessment scheme revised in pursuance of a direction under sub-section (2) as they apply to the preparation, publication and durationof the final assessment scheme for the first time after the date of the commencement of this Act.

CHAPTER IV.

PREPARATION OF LIST OF ASSESSEES.

12. *Preparation of provisional list of assessees.* - (1) The Collector shall, as soon as may be after the date of commencement of this Act, prepare or cause to be prepared in such manner as may be prescribed a provisional list of assessees containing the following particulars, namely :-

(a) particulars of the survey and subdivision number of each urban land in the zone ;

(b) particulars of the extent of urban land in respect of which each assessee is liable to pay urban land tax;

(c) names and addresses of assessees ;

(d) such other particulrs as may be prescribed.

(2) The Collector shall serve or cause to be served on each assessee an extract of such portion of the provisional list referred to in subsection (1) as relates to such assessee together with a statement that he shall be liable for the payment of the urban land tax onthe basis of the rates specified in the final assessment scheme published under section 8 or 10 as the case may be.

(3) The Collector shall give public notice in such manner as may be prescribed of the provisional list of assessees prepared under sub section (1) , of the place at, and the date from, which the same may be inspected.

13. *Objections to entries in the list.* - Any person aggrieved by any entry in the provisional list of assessees or by the insertion therein or omission therefrom of any matter or otherwise with respect to that list may, within a period of thirty days from the date of service of the extract under sub-section (2) of section 12, prefer any objectioninrespect thereof before the Collector.

14. *Finalisation of list of assessees.* - (1) Where no objection is preferred under section 13 the provisional list of assessees shall, subject to the provisions of section 15, be final.

(2) Where any objectionis preferred undersection 13 the Collector shall, after affording a reasonable opportunity of being herd to the objector, decide the objection and may confirm or modify the entries in the provisional list of assessees and the list as so confirmed or modified shall, subject to the provisions of section 15, be final.

(3) The finallist shall be published nd made available for public inspection in such manner as may be prescribed.

15. *Revision of Collector's order* .- (1) The prescribed authority may, either on his own motion or on applicationmade by any aggrieved person in this behalf, call for the records of any proceeding under section 14 in which anorder has been passed by the Collector andafter making such enquiry or causing such enquiry to be made, pass such order thereon as he may think fit :

Provided that he shall not pass any order prejudicial to any party unless he had a reasonable oppertunity of making his representation.

(2) Every application to the prescribed authority for the exercise of his powers under this section shall be preferred within thirty days from the date of publication of the final list of assessees under subsection (3) of section 14.

16. *Correction of clerical error, etc., in the final list.* - The Collector may, at any time and subject to such conditions as may be prescribed, amend the list published under sub-section (3) of section 14 where it appears to him that it is necessary to do so in order to bring the list into accord with the circumstances then existing and in particular may-

(i) correct any clerical, arithmetical or other apparent error in the list;

(ii) correct any erroneous insertion, omission or mis-description.

17. *Preparation of list of demand.* - (1) As soon as may be after the publication of the final list of assessees under section 14, the Collector shall prepare in such manner ad may be prescribed a list of demand containing the following articulars, namely :-

(a) survey number and subdivision number of the urban land ;

(b) extent of urbanland liable for tax;

(c) names of the assessees ;

(d) annual amount of urbanland tax payable by each assessee; and

(e) such other particulars as may be prescribed.

(2) The Collector shall give public notice in such manner as may be prescribed of the list of demand referred to in sub-section (1) of the place at, and the date from,which the list of demand may be inspected and every person claiming to be owner or occupier of the urban land mentioned in the demand including the agent of such person may inspect the same and shall be entitled toobtin a certified extract therefrom onpayment of the prescribed fees.

(3) The Collector may at any time modify the list of demand to give effect to any order passed by the prescribed authority under section 15.

18. *Notice toindividual assessees.* - The Collector shall cause a notice of demand containing such particulars as may be prescribed to be served every year or prt thereof on the owner calling upon him to pay the urbanland tax which has fallendue within a period of thirty days from the date of service of the notice.

(2) Where the urban land tax payable by an assessee is not paid before the date specified under sub-section (1), the assessee shall bedeemed to be in default from that date and the urban land tax together with interest at six and quarter percent per annum, shall be recovered from the assesseeas public demand.

19. *Urban land escaping assessment.* - If the Collector has reason to believe that for any reason anyurban land has escaped assessment, he may after following such procedure as may beprescribed, proceed to assess such urbanland and the provisions of this Act shall, so far as may be, apply to such assessment :

Provided that no assessment for any period prior to the date since which the assessee is the owner of the urban land or for anyperiod beyond three years preceding the year of assessment, whichever may be late,shallbemade.

20. *Refund of excess payment.* - Subject to such rules as may be made in this behalf, anysumpaid in excess of the amount due fromany assessee shall, on application by him to the prescribed authority, be refunded to him or, in the absence of such application, such excess shall be adjusted towards the urban and tax due fromhim for the subsequent year or years.

21. *Urban land tax to be first chrge onurban land.* - The urban land tax shall, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force,or any custom, uses or contract or decree or order of a court or other authority, be a first charge upon the urban land and upon the immovable or movable property, if any, found within or upon such urban land and belonging to the personliable to pay such tax.

22. *Recovery from occupier of urban land in certain cases* - (1) Where the owner of any urban land is himself not the occupier thereof and is in default of payment of the urban land tax,such tax may be recovered from the occupier of such urbanland for the period he has been in occupation of the urban land.

(2) (a) Any occupier who has paid the urbanland tax under subsection (1) shall be entitled to deduct the amount so paid fromthe amount of rent or any other sumdue fromtime to time to the owner or intermediary, if any.

(b) The intermediary shall be entitled to deduct such amount from the amount of rent or other sum due from time to time to the owner.

23. *Obligation of transferor and transferee to give notice of transfer.* - (1) Whenever the title of any person liable to the payment of urban land tax on any urban land is transferred, the person whose title is transferred and the person

to whom the same is transferred shall,within three months after the registrationof the document of transfer,give notice of such transfer tothe Collector.

(2) In the event of the death of any person liable as aforesaid, the person to whom the title of the deceased shall be transferred as heir or otherwise, shall give notice of such transfer to the Collector within one year from the death of the deceased.

(3) The notice to be given under this section shall be in such formas may be prescribed and the transferee or the person to whom the title passes, as the case may be, shall, if so required, be bound to produce before the Collector, any document evidencing such transfer or succession.

(4) Every person who makes a transfer as aforesaid without giving such notice to the Collector shall, in addition to any other liability which he may incur through such neglect, continue to beliable for the payment of theurbanland tax assessed on the urbanland transferred until he gives notice or until thetransfer shall have beenrecorded in the revenue registers but nothing in this section shall be held to affect the liability of the transferee for the payment of the said tax.

CHAPTER V

SURVEY OF URBAN LAND.

24. *Survey of urbanland.* - (1) Any office specially empowered by an order in this behalf by the State Government shall carry out survey of all urban lands in the area specified in such order, or, if such lands hae already been surveyed,carry out re-surveyof such lands for the purpose of -

(a) the preparation of the draft settlement scheme :-

(b) the preparation of the provisional list of assesses ; and

(c) carrying out the other purposes of tis Act.

(2) The survey or re-survey carried out under sub-section (1) shall, subject to such rules as may be made by the State Government in this behalf, be in accordance withtheprinciples contained in the Bihar and Orissa Municipal Survey Act, 1920 (B. & O. Act I of 1920).

(3) The cost of the survey or re-survey under this section shall be borne by the State Government.

CHAPTER VI

SPECIAL PROVISIONS.

25. *Power of the State Government to reduce or remit urban land tax.* - (1) The State Governmet or the prescribed authority may subject to such rules as may be made inthis behalf, by order,reduce or remit,whether prospectively or retrospectively, the urban land tax payable in respect of any class of urban lands or by any class of persons and inparticular the urbanland tax payable in respect of urban lands which are occupied wholly or partly by the owners themselves.

(2) The State Government or the authority referred to in sub-section (1) may at any time cancel or modify anyorder issued under sub-section (1) and upon such cancellation the urban land tax shall bepayable inrespect of theland concerned witheffect from the year in which such cancellation is made :

Provided that no such cancellation shall bemade unless the party likelyto beaffected bysuchcancellation has had a reasonable opportunity of making his representations.

CHAPTER VII

EXEMPTIONS.

26. *Exemptions.* - Nothing inthis Act shall apply to -

(a) any urban land owned by the State or the Central Government;

(b) anyurbanland owned by -

(i) the Patna Mucicipal Corporationestblished under the Patn Municipal Corporation Act, 1951 (Bihar Act XIII of 1952);

(ii) commissioners of a municipality constituted under Bihar and Orissa Municipal Act, 1922 (B. & O. ct VII of 1922)

(iii) a Panchayat Samiti or Zila Parishad constituted under the Bihar Panchayat Samitis and Zila Parishads Act, 1961 (Bihar Act VI of 1962);

(c) any uran land onwhich hospital primarily maintained by the Government or any local authority or charitblebodyhas beenconstructed;

(d) anyurbanland used for -

(i) public worship;

(ii) public roads, publicparks, publiclibrarites, public mseums, schools, colleges, universities andplaygrounds attached toschools, colleges or universities;

(iii) charitable purposes of sheltering destitute persons or animals ;

(iv) orphanages,homes and schools for thedeaf and dumb and for the infirm and diseased;

(v) asylum for the aged and fallen women ;

(vi) such other philanthropic institutions as the Government may, by notification, specify;

(vii) preservation of ancient monuments; and

(viii) disposal of the dead.

CHAPTER VIII.

MISCELLANEOUS

27. *Revision by Board of Revenue.* - (1) The Board of Revenue may, either on its own motion or on application made by the assessee in this behalf, call for and examine the records or anyproceeding under this Act tosatisfy itself as tothe regularity of such proceeding or the correctness, legality or proprety of any decisionor order passed thereinand if, in any case, it appears tothe Bord of Revenue that any such decisionor order should be modified, annulled,reversed orremitted for consideration,it maypass orders accordingly :

Provided that the Board of Revenue shall notpass anyorder under this sub-section in anycase, where thedecisionor order issought to be revised by the Board of Revenueon its ownmotion,if such decisionor order has been made more than three years previously:

Provided further that the Board of Revenue shallnot pass anyorder unde this sub-section prejudicialto any prtyunles she has had a reasonable opportunity of making his representations.

(2) The Board of Revenue may stay the execution of anysuch decisionor orderpending the exercise of its powers under sub-section (1) in respect thereof.

(3) Every applicationto the Board of Revenue for theexercise of its powers under this section shallbepreferred within three months from the date on whichthe order or proceeding to whichthe application relates was communicated to the applicant.

(4) No application to the Board of Revenuefor the exercise ofits powers unde this section shall bemade in respect of anydecisioncr order from which an appelalies under this Act,unless thepartyhas exercised his right of appeal.

28. *Computation of period of limitation.* - In computing the perid of limitationprescribed for an appealor revision against any order under this Act,the time required for obtaining the certified copyof theorder shall be excluded.

29. *Power to take evidence on oath, etc.* - (1) Every authority under this Act shall, for the purposes of this Act,have the same powers as are vested ina Court under the Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) when trying a suit in respect of the following matters, namely :-

(a) enforcing the attendance of any person and examining him on oath ;

(b) requiring the discovery and productionof documents ;

(c) receiving evidence on affidavit; and

(d) issuing commissions for the examination of witnesses.

(2) Every proceedingunder this Act shall be deemed to be a judicialproceeding within the meaning of sections 193 and 228 and for the purposes of section 186 of the Indian Penal Code (Act XIV of 1860).

30. *Power to call for information.* - Where, for the purpose of determining the urban land tax payable by any person, it appears necesary for any authority under this Act to obtain any statement or information from anyperson, he mayserve a notice requiring suchperson on or before a date to be therein specified, to furish a statement or information on the points specified in the notice and that person shall, notwithstanding anything in any law to the contrary, be bound to furnish such statemet or information to such authority or officer :

Provided that no legal practitioner shall be bound to furnish any statement or information under this section based on professional communication made to him otherwise than as permitted by section 126 of the Indian Evidence Act, 1872 (Act I of 1872).

31. *Service of notice.* - (1) A notice under this Act may be served on the person therein named,either by post

or, as if it were summons issued by a court under the Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908).

(2) Any such notice may, in the case of a firm or a Hindu undivided family, be addressed to any member of the firm, or to the manager or any adult member of the family, and in the case of a company or association of persons, be addressed to the principal officer thereof.

32. *Power of State Government to issue orders and directions.* - The State Government may issue such orders and directions of a general character, as it may consider necessary in respect of any matter relating to the power and duties of any authority under this Act.

33. *Delegation of powers.* - The State Government may, by notification, direct that any power or function exercisable by any authority under this Act, or th erules made thereunder shall, in relation to such matters and subject to such conditions as may be specified in suchnotification, be exercisable also by such officer subordiate to the Govenrment as may be specified in such notification.

34. *Bar of suits in Civil Courts.* - (1) No suit shall lie in any Civil Court to set aside or modify any assessment made under this Act.

(2) No Civil Court shall have jurisdiction to decide or deal with any question which by or under this Act is required to be decided or dealt with by any authority under this Act.

35. *Indemnity.* - No suit, prosecutionor other legal proceeding shall ie against the State Government or other authorities under this Act for any thing which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rule or order made thereunder.

36. *Power to enter upon land.* - Any authority under this Act or any person acting under the order of any such authority may, after giving reasonable notice to the occupier of an urban land, enter upon such urban land with such other officers and persons as he considers necessary and make a surveyand take measurements thereof and do any other act which he considres necessary for carrying out the purposes of this Act :

Provided that no such entry shall be made - (i) within the hours of sunset and sunrise :

(ii) in a human dwelling, except with the consent of the occupiter or after giving him not less than four days previous notice in writing of the proposed entry; and

(iii) without due regard to the socialand religious usages of the occupier, including necessary precautions for the observance of purdah.

37. *Power to make rules.* - (1) The State Governmentmay, after previous publication, make rules, not inconsistent withthe provision of this Act, to carry out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generalityof the foregoing power, such rules may provide for-

(a) all matters expressly required or allowed by this Act to be prescribed ;

(b) the form of appeal nd application for revision under this Act;

(c) the procedure to be followed in appeal or revision under this Act;

(d) the fees payable in respect of applications and appeals under this Act; and

(e) the manner of rounding up of the total amount of tax due from an assessee.

(3) Every rule made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made before each House of the State Legislature while it is in session for a tital period of fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions, and if, before expiry of the session in which it is so laid or the session immediately follwoing, both the Houses agree in making any modification in the rule or both the Houses agree that the rule should not be mde, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that tule.

38. *Power to remove difficulties.* - If any difficulty arises ingiving effect to the provisions of this Act, the State Government may, as occasion may require, by order, do anything which appears to it necessary for the purpose of removing the difficulty.

पत्र संख्या :- 9/सै०-9- अकि0 -10/2001 730 /रा०,

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री के० ए० एच० सुब्रमणियन,
आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला समाहर्त्ता ।

पटना-15, दिनांक 11.9.2001

विषय :- नियम एवं अनुदेशों का अनुपालन नहीं होने के फलस्वरूप सरकारी राजस्व की क्षति के सम्बन्ध में ।

महाशय;

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्र संख्या - 438 दिनांक 19.6.2001 प्रतिलिपि संलग्न की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि उक्त परिपत्र में दिए गए निदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय । किसी भी परिस्थिति में वैसे पोखर जिसमें मखाना, सिंघाड़ा आदि की खेती होती है उसे विभागीय संकल्प संख्या - 2443 (रा0) दिनांक 24.12.86 (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार मत्स्य विभाग को हस्तान्तरित नहीं किया जाना है यदि वैसे पोखरों को भी मत्स्य विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया है तो उसे तुरंत वापस लेकर नियमानुसार बन्दोबस्ती की कार्रवाई की जाय ।

अनुरोध है कि उपरोक्त अनुदेशों का तत्परता से पालन करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन सरकार को शीघ्र भेजने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

(के0 ए0 एच0 सुब्रमणियन)
आयुक्त एवं सचिव

ज्ञापांक 730 रा0, पटना 15, दिनांक 11.9.2001

प्रतिलिपि निदेशक, मत्स्य विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, कृषि विपणन पर्षद, बिहार, पटना को विभागीय ज्ञापाक - 438 दिनांक 19.6.2001 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(के0 ए0 एच0 सुब्रमणियन)
आयुक्त एवं सचिव

ज्ञापांक 730 रा0, पटना 15, दिनांक 11.9.2001

प्रतिलिपि - सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(के0 ए0 एच0 सुब्रमणियन)
आयुक्त एवं सचिव

पत्र संख्या :- 9/सै०-9- अंके0 -10/2001 438 /रा०,
बिहार सरकार,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री शिव रतन प्रसाद,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता ।
सभी अपर समाहर्त्ता ।

पटना-15, दिनांक 19.6.2001

विषय :- नियम एवं अनुदेशों का अनुपालन नहीं होने के फलस्वरूप सरकारी राजस्व की क्षति के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक अंकेक्षक दलका दिनांक 26.5.2001 का प्रतिवेदन (प्रतिलिपि संलग्न) की ओर आपका व्यक्तिगत ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि अंकेक्षक दल द्वारा उठाए गए आपत्तियों के प्रत्येक कंडिकाओं पर कंडिका वार प्रतिवेदन कृपया शीघ्र भेजने की कृपा करें ।

उल्लेखनीय है कि जिन सैरातों का हस्तान्तरण बाजार समिति को किया जाचुका है उससे 20 प्रतिशत राशि सरकार को प्राप्त हो रही है या नहीं तथा सुरक्षित राशि का निर्धारण विहित प्रक्रियानुसार हो रहा है या नहीं । साथ ही यह भी ध्यान रखा जाय कि मखाना वाले जलकरों को मत्स्य विभाग को हस्तान्तरित नहीं करना है । प्राय: ऐसा देखा जा रहा है कि मछली के नाम पर मखाना के जलकर को भी मत्स्य विभाग बन्दोबस्त कर रहा है जो नियमोचित नहीं है ।

विश्वासभाजन

(शिव रतन प्रसाद)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 438 रा0, पटना 15, दिनांक 19.6.2001

प्रतिलिपि निदेशक कृषि विपणन पर्षद, बिहार, पटना/निदेशक, मत्स्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शिव रतन प्रसाद)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 438 रा0, पटना 15, दिनांक 19.6.2001

प्रतिलिपि - श्री आर0 पी0 सिंह, ए0 ओ/एस. आर. ओ. महालेखाकार (अंके0)-II बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना एवं झारखण्ड डोरण्डा, पो0 - हिनू, रांची-2 को उनके प्रतिवेदन दिनांक 26.5.2001 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित ।

(शिव रतन प्रसाद)
सरकार के उप सचिव

Loss of revenue due to non-observance of the provisions/instructions of Govt. of Bihar

Under the Bihar Land reforms Act, 1950 th right of intermediaries on market places established by them were abolished and the revenue realisable from such markets become the revenue of Govt. In April 1974, vide Revenue Departments letter no. 633, an instruction was issued to all collectors Addl. Collectors sub-divisional officers and DCL Rs to hand over the management of the market places, under their control to the market committee established under the Bihar agriculture Produce market Act, 1960 with the stipulation that 20 percent of the icome of mrket places so handed over to them,should be credited to Government revenue. Para 4 of the lette further, envisaged that concerned sub divisional officer, who is the ex-officiers chairman of the market committee will verify the income earned by the market committee.

In course of scruting of the records along with the statements furnished by the managing director, Bihar Agriculture marketing board, patna and some returns of mrket committes submitted to the Marketing Board, it was observed the following irregulrities :-

(a) that most of the Hat Bazars/Bazar samities had not credited /short credited the proportionale income, i.e. 20% of income worked out to Rs. 18.25 lakhs.

(b) Non-levy of interest on belated credit of revenue Rs. 13.47 lakhs.

(c) Hat Bazars etc. were settled below Reserve Jama - Rs. 21.66 lakhs.

(d) Provision/instruction regarding fixation of Reserve Jama not followed - Rs. 11.26 lakhs.

(e) Several hat bazars situated in the vicinity of Tata nager, Jamshedpur were transferred in June 1976 but are not being settled since then loss of Rs. 1.47 lakhs.

the scrutiny of records revealed that the instructors of Govt. were not followed properly by the department and effective monitoring of proportionate income from Hat Bazars etc was also not done. Non observance of instructions and lack of effective monitoring of income resulted the heavy loss of Govt. revenue.

Reasons for such lapses may please be started and necessaryactionmay please takenfor effective monitoring of income from hat bazars andrealise the govt.revenue. Results ofaction takenmay also please he intimated to audit.

The Deputy secretary.

Revenue and land reforms deptt. govt. of Bihar Panta

R. P. Singh
26/5/2001
. Ao/SRO-XXI
C/o The A G (AU) VI
Bihar and Jharkhand

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 पौष 1908 (श०)

पटना, शनिवार 27 दिसम्बर 1986

सं0 14/सै०-2-0-17/86 - 2443-रा०

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

24/26 दिसम्बर 1986

विषय : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रकाशनाधीन राज्य के मत्स्य जलकरों के विकास बन्दोबस्ती एवं राजस्व वसूली कार्य हेतु पशुपालन एवं मत्स्य विभाग (मत्स्य विभाग) के हस्तान्तरण के संबंध में ।

राज्य भर में मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करने औरमत्स्य जलकरों को समूचित विकास, रख-रखाव एवं बन्दोबस्ती की सुनियोजित करने के अभिप्राय से राज्य मंत्रिमंडल ने अपने संकल्प दिनांक 26 नवम्बर 1986 द्वारा यह निर्णय लिया है कि राजस्व एवं भमि सुधार विभाग के प्रशासनाधीन राज्य के मत्स्य जलकरों का विकास, रख-रखाव, प्रबन्धन एवं बन्दोबस्ती का कार्य मत्स्य विभाग द्वारा किया जाय एवं एतदर्थ (राजस्व विभाग के मत्स्य जलकरों का हस्तान्तरण मत्स्य विभाग को किया जाय।) मत्स्य विभाग द्वारा इस प्रकार के मत्स्य जलकरों के विकास, बन्दोबस्ती एवं राजस्व वसूली संबंधी प्रशासनिक ढांचा तैयार किया जाय ।

2. उक्त निर्णय के आलोक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के परिपत्र संख्या 41 रा0 दिनांक 18 जनवरी, 1984 एवं अनुवर्ती पत्रों द्वारा मत्स्यपालक विकास अभिकरणों को हस्तान्तरित तालाबों एवं पोखरों के अलावे राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन राज्य के सभी अंचलों की सैरात पंजी में संधारित सभी मत्स्य जलकर यथा नदी [नाला, आहर, मोइन, पोखर, तालाब (मखाना, सिंघाड़ा तथा नाव यातायात से सम्बन्धित जलकर तथावैसे तालाब) पोखर जिनमें सिंचाई या सामुदायिक हित सन्निहित हो, को छोड़कर] का हस्तान्तरण मत्स्य विभाग को किये जाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया ।

3. मत्स्य विभाग वैसे जलकरों कारख-रखाव, विकास एवं मछली बन्दोबस्ती तथा राजस्व वसूली काकार्य अपने विभाग द्वारा परिचारित परिपत्र एवं निर्णय के अनुसार आगामी वितीय वर्ष अर्थात् 1 अप्रील 1987 से करेगा ।

4. मत्स्य विभाग यह धीसुनिश्चित करेगा कि मत्स्य जलकरों कीबन्दोबस्ती विगत वर्ष की बन्दोबस्ता राशि अथवा सुरक्षित जमा की राशि, जो भी अधिक हो, उससे कम पर नहीं की जायेगी ।

5. जिन जलकरों की बन्दोबस्ती राजस्व विभाग द्वारा की जा चुकी है, उनकी बन्दोबस्ती अवधि समाप्त होने के पश्चात् ही मत्स्य विभाग द्वारा उसकी बन्दोबस्ती एवं विकास के कार्य किये जायेंगे ।

6. मत्स्य विभाग को इस प्रकार हस्तान्तरित मत्स्य जलकरों की बन्दोबस्ती संबंधित पंचायत के मछुओं की सहयोग समिति या हरिजन सहयोग समिति या आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी सहयोग समिति के साथकी जायेगी ।

7. जिस पंचायत में ऐसी समिति नहीं है वहां उपर्युक्त सहयोग समितियों का गठन मत्स्य विभाग/सहकारिता विभाग द्वारा कियाजायेगा। ऐसी समिति कीसदस्यता हेतु उम्मीदवार सदस्यों को आर्थिक विपन्नता की स्थिति में सरकार के वर्तमान कार्यक्रम के अन्तर्गत सहकारिता विभाग द्वारा वितीय सहायता भी उपलब्ध कराई जायेगी ।

8. उक्त जलकरों की बन्दोबस्ती की वार्षिक जमा वसूल कर राजस्व के आय - व्ययक की प्राप्ति शीर्ष 112 मत्स्य उद्योग किराया मद में संबंधित कोषागार में चालान के माध्यम से मत्स्य विभाग द्वारा जमा कर चलान का एक प्रति संबंधित अंचलाधिकारी को प्रति वर्ष समयानुसार भेजी जायेगी ।

9. यह भी निर्णय लिया गया कि जलकरों की बन्दोबस्तीके विषय का पशुपालन एवं मत्स्य विभाग में विलयन के फलसवरुप राजस्व विभाग के संबंधित कर्मचारी, यथा प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक, निदचर्यालिपिक, टंकक एवं चतुर्थवर्गीय कर्मचारी भी पशुपालन एवं मत्स्य विभाग में स्थानान्तरित किये जायें । इसके लिये मत्स्य विभाग में पदों का सृजन एवं समन्जन आदि कार्य अलग से वित विभाग की सहमति से किया जायेगा।

10. उक्त निर्णय के आलोक में सभी समाहर्ताओं/उपायुक्तों को निर्देश दिया जाता है कि वे उपरोक्त कंडिकामें वर्णित सभी मत्स्य जलकरों की अंचलवार सूची जिला स्तर पर मंगा कर पुरे जिले की समेकित सूची स्थानीय जिला मत्स्य पदाधिकारी को एक माह के अन्दर उपलब्ध करा देंगे तथा उसकी एक प्रतिलिपि पशुपालन एवं मत्स्य विभाग तथा एक प्रतिलिपि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं एक प्रतिलिपि संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त को अवश्य भेज देंगे । उक्त सूची में प्रत्येक मत्स्य जलकर का स्थिति प्रतिवेदन (स्टेटस रिपोर्ट) यथाजलकर का नाम, ग्राम का नाम, खाता खंसरा संख्या, कुल क्षेत्रफल (जैसा सैरात पंजी में दर्ज हो) तथा पिछले तीन वर्षों की सुरक्षित जमा एवं बन्दोबस्ती की राशि और राजस्व विभाग द्वारा कृत बन्दोबस्ती की अवधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए ।

आदेश - आदेश दिया जाता है कि इस संकलप को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में तुरत प्रकाशित किया जाय औरइसकी प्रति सरकारके सभी विभाग,विभागाध्यक्षों सभी प्रमंडलीय आयुक्तों/सभी जिलाधिकारियों । सभी अपर समाहर्ताओं/सभी अनुमंडल पदाधिकारियों/सभी भूमि सुधार उप-समाहर्त्ताओं तथा सभी अंचलाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ अग्रसारित की जाय ।

बिहार-राज्य के आदेशसे,
सी० आर० वेंकटरामन,
आयुक्त एवं सचिव-सह-भूमि सुधार आयुक्त ।

पत्र संख्या :- 9/14 सै०-2-0 18/99 276 /रा०,

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री डी० पी० महेश्वरी,
भूमि सुधार आयुक्त ।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी
सभी उप विकास आयुक्त
सभी उपर समाहर्त्ता
सभी अनुमण्डल पदाधिकारी
उप उपसमाहर्त्ता, भूमि सुधार
सभीअंचलाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 9.5.2001

विषय :- प्रखण्ड स्तर पर निबंधित मत्स्यजीवी स्वावलम्बी सहकारी समितियों के साथ सरकारी जलकरों की अल्पकालीन बन्दोबस्ती निर्धारित सुरक्षित जमा पर किये जाने के सम्बन्ध में आदेश ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के प्रसंग में मुझे कहना है कि राजस्व विभाग द्वारा बन्दोबस्त किये जाने वाले सिंघाड़ा, मछली-सह-मखाना जलकरों एवं घाटों की अल्पकालीन बन्दोबस्ती सहकारीसमितियां अधिनियम 1935 के अन्तर्गत निबंधित समितियों के साथ किये जाने का प्रावधान है ।

2- सहकारिता विभाग के पत्रांक 1378 दिनाक 25.4.2000 (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन के आलोक में इस विभाग से निर्गत परिपत्रो/आदेशों में इस हद तक संशोधन करते हुएनिम्ननिदेश दिया जाता है कि जिन प्रखण्डों में 1935 अधिनियम अंतर्गत पूर्व से निबंधित मत्स्यजीवी सहयोग समिति निबंधित हों वहां उसी मत्स्यजीवी सहयोग समिति को प्राथमिकता दी जाय तथा साथ ही जिन प्रखण्डों में 1935 अधिनियम अंतर्गत एवं निबंधित मत्स्यजीवी सहयोग समिति का सम्परिवर्तन अधिनियम 1996 के तहत हो चुका है औरवहां अन्य स्वावलम्बी समिति भी निबंधित है ऐसी स्थिति में संपरिवर्तित समिति को जलकरों की बन्दोबस्ती में प्राथमिकता दी जाये ।

3- यह भी प्रावधान किया जाता है कि जिन प्रखण्डों में 1935 अधिनियम अन्तर्गत प्रखण्ड स्तरीय समिति निबंधित नही है और न ही संपरिवर्तित समिति है तो ऐसी स्थिति में उन प्रखण्डों में निबंधित स्वावलम्बी सहकारी समितियों में जिस समिति में परम्परागत मछुआ सदस्य अधिक हो, उस समिति को बन्दोबस्ती में प्राथमिकता दी जाये ।

विश्वासभाजन

(डी. पी. महेश्वरी)
भूमि सुधार आयुक्त

ज्ञापांक 276 रा०, पटना 15, दिनांक 9.5.2001

प्रतिलिपि सरकारके सचिव, सहकारिता विभाग को उनके पत्रांक - 1378 दिनांक 25.4.2000 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित ।

(डी. पी. महेश्वरी)
भूमि सुधार आयुक्त

बिहार सरकार,
सहकारिता विभाग ।
पत्र संख्या :- 9/सह० विधि-1- (विविध) 29/98-1378 / पटना
दिनांक 25 अप्रील 2000

प्रेषक,

श्री अमिताभ वर्मा,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

निबंधक, सहयोग समितियां, बिहार, पटना
अपर निबंधक, सहयोग समितियां
छोटानागपुर प्रमाण्डल, रांची
सभी प्रमण्डलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियां
सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी
सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियां

विषय :- प्रखण्ड स्तर पर निबंधित मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को जलकरों की बन्दोबस्ती ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्ष 1996 में प्रख्यापित स्वावलम्बी सहकारी समितियां अधिनियम के तहत मत्स्यजीवी स्वावलम्बी सहकारी समितियों के निबंधन तथा सहकारी समितियां अधिनियम 1935 के तहत निर्बंधित पूर्व कीमत्स्यजीवी सहयोग समितियों के बीच सहकारीसमितियों कीसुविधाओं एवं मत्स्य विभाग/राजस्व विभाग के जलकरों की बन्दोबस्ती के संबंध में उत्पन्न विवादों के फलस्वरुप उच्च स्तर पर हुई बैठक तथा सहकारिता विभाग के स्तर पर सम्पन्न बैठकों में कतिपय निर्णय लिए गए हैं ।

निर्णयानमुसारबिहारस्वावलम्बीसहकारीसमितियां अधिनियम 1996 के अन्तर्गत उन्हीं प्रखण्डों में समितियों का निबंधन होजहां अधिनियम 1935 के अंतर्गत निर्बंधित मत्स्यजीवी सहकारी समिति नहीं होंगे मुख्यतः नये प्रखण्डों में हीं निर्बंधित होंगे । निबंधन से पूर्व संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारीपूर्ण रुपसे आश्वस्त हो लेंगे कि प्रस्तावित स्वावलम्बी समिति के सदस्य मत्स्यपालन से परम्परागत रुप से जुड़े हुए हैं ।

2- यदि एक प्रखण्ड में एक से अधिक स्वावलम्बी समिति का निबंधन हुआ हो तो सबों को मिलाकर एक समिति बनाया जाय तदनुसार यदि समिति के उपविधि अधिनियम में कोई संशोधन अपेक्षित हो तो किया जाय ।

3- मत्स्यजीवी सहकारी समितियां क्षेत्रीय स्तर पर अभियान चलाकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में मत्स्य पालन से परम्पागत रूपसे जुड़े व्यक्तियों को समितियों का सदस्य बनाना सुनिश्चित करें ।

4- स्वावलम्बी मत्स्यजीवी सहकारी समिति के संबंध में विभाग की ओर से आदर्श उप विधि का प्रारुप तैयार कर क्षेत्रीय पदाधिकारियों को उदाहरण स्वरुप भेजा जाय ।

5- स्थानीय स्तर पर जलकरों की बन्दोबस्ती में अधिनियम 1935 के अंतर्गत निर्बंधित समिति को प्राथमिकता दी जाय । बिहार सहकारी समितियां अधिनियम 1935 के अंतर्गत निर्बंधित समितियों एवं बिहार स्वावलम्बी सहकारी समितियां अधिनियम 1996 के अंतर्गत निर्बंधित समितियों के बीच उनकी सदस्यता की संख्या के अनुपात में जलकरों की बन्दोबस्ती की जाय । परन्तु इसमें भी अधिनियम 1935 के तहत निर्बंधित समिति को प्राथमिकता दी जाय यदिअधिनियम 1935 के अन्तर्गत पूर्व से निर्बंधित समिति का सम्परिवर्तन अधिनियम 1996 के स्वावलम्बी समिति के रूप में हुआ हो, तो उसे बन्दोबस्ती में अन्य स्वावलम्बी समिति की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाय ।

6- यदि जलकरों की बन्दोबस्ती एवं विभागीय अनुशंसा में कोई समस्या उत्पन्न हो तो जिला सहकारिता पदाधिकारी के स्तरपर आहूत मासिक समन्वय समिति की बैठक में इस विषय पर जिला मत्स्य पदाधिकारी, राज्यस्तरीय/क्षेत्रीय मत्स्य जीवी सहकारी संघ के प्रतिनिधि आपस में विमर्श कर निर्णय लेंगे । समन्वय समिति की प्रत्येक माह आठ तारीख की आहूत बैठक में जिला मत्स्यपालन पदाधिकारी राज्यस्तरीय/क्षेत्रीय मत्स्यजीवी सहकारी संघ के प्रतिनिधि को भी भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाए ।

7- अधिनियम 1935 के अन्तर्गत निबंधित मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्यों के बीच जलकरों के वितरण के लिए एक वितरण कमिटी सहायक निबंधक की अध्यक्षता में गठित की जाय । इसमें प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी समिति के अध्यक्ष एवं मंत्री तथाजिला सहकारिता पदाधिकारीके अधीन पदस्थापित सहकारिता प्रसार पदाधिकारी (मत्स्यजीवी सहयोग समिति) सदस्य होंगे । समिति की बैठक अप्रील एवं जुलाई माह में

की जायेगी । जुलाई माह में जलकर वितरण का सत्यापन एवं प्रगति का आंकलन किया जायेगा । पूर्व में जिन जिलों में मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को देखने के लिए सहकारिता प्रसार पदाधिकारी की नियुक्ति उन सभी जिलों में पुनः मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के लिए सहकारिता प्रसार पदाधिकारी की पदस्थापना की जाय ।

राज्य भर में एक सघन अभियान चलाकर सभी क्षेत्रीय मत्स्यजीवी सहकारी संघ मत्स्यजीवी सहयोग समितियों एवं नाव यातायात समितियों में प्रबंधकारिणी का चुनाव 30.6.2000 तक सम्पन्न कराना सुनिश्चित किया जाय । इसकी जिम्मेदारी जिला सहकारिता पदाधिकारियों की होगी ।

कृपया लिए गए उपर्युक्त निर्णयों/निर्देशों का मुस्तैदी एवं पारदर्शिता से अनुपालन करें, ताकि कमजोर वर्ग की इन सहकारी समितियों में अनावश्यक विवाद उत्पन्न न हो तथा इसका समुचित विकास सम्भव हो सके ।

विश्वासभाजन

(अमिताभ वर्मा)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक 1378 रा0, पटना 15, दिनांक 25 अप्रील 2000

प्रतिलिपि सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अमिताभ वर्मा)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक 1378 रा0, पटना 15, दिनांक 25 अप्रील 2000

प्रतिलिपि मंत्री/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(अमिताभ वर्मा)
सरकार के सचिव ।

पत्र संख्या :- 14 /सै०-2-0-7 /97 601 /रा०,

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री संत शरण

सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता / सभी उपायुक्त ।

पटना-15, दिनांक 17.8.98

विषय :- सैरातों की बन्दोबस्ती हेतु शक्तियों का पुनर्निधारण ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक राजस्व विभाग के पत्र संख्या - 7095/रा0, दिनांक 5.8.1968 (सैरात कम्पोडियम का पृष्ठ 73) जिसके द्वारा सैरातों की बन्दोबस्ती हेतु विभिन्न पदाधिकारियों की शक्ति निर्धारण की गई थी को सम्यक विचारोपरान्त सरकार द्वारा संशोधित करते हुएअब विभिन्न पदाधिकारियों की शक्ति निम्न रुप से पुनर्निधारित की गई है :-

(1) अंचलाधिकारी - 5000/- रु0 (पांच हजाररु0) तक,

(2) अनुमंडल पदाधिकारी- 20,000/- रु0 (बीस हजार रु0) तक,

(3) समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता - 50,000/- रु0 (पचास हजार रु0) तक

(4) प्रमंडलीय आयुक्त - 1,00000/- रु0 (एक लाख रु0) तक

(5) 1,00000/- (एक लाख) रुपसे से अधिक के सैरातों की बन्दोबस्ती की स्वीकृति सरकार द्वारा की जाएगी ।

2- उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार कृपया सैरातों की बन्दोबस्ती की जाय ।

3- यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा ।

विश्वासभाजन

(संत शरण)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 601/ रा0, पटना-15, दिनांक 17.8.98

प्रतिलिपि सभी प्रमंडलीय आयुक्त/अपर समाहर्त्ताओं/ अनुमंडल पदाधिकारी/भू सुधार उप समाहर्त्ता एवं सभी अंचलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(संत शरण)
सरकार के उप सचिव

पत्रांक ई०/एस० आर० टी०- 1-133/68-7095 - रा०

बिहार सरकार,

राजस्व विभाग ।

प्रेषक,

श्री रामदत्त पांडे;
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता / सभी उपायुक्त ।

पटना-15, दिनांक 5 अगस्त 1968 ई० ।

विषय :- सैरातों की बन्दोबस्ती के लिए शक्तियों का हस्तांतरण ।

महाशय,

निदेशानुसार राजस्व विभाग के पत्रसंख्या 3081 - भु0 सु0, दिनांक 28 मार्च 1966 (सैरात कम्पेडियम का पृष्ठ 173) की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहना है कि सरकार के वर्तमान आदेश के अनुसार आयुक्त, जिला अधिकारी, अपर समाहर्त्ता तथा अनुमंडलाधिकारी को निम्नलिखित शक्तियां सैरातों को बन्दोबस्ती के लिए दी हुई है :-

(1) 500 रु० तक की सैरात अनुमंडलाधिकारी बन्दोबस्त कर सकते हैं ।

(2) 500 रु0 से ऊपर और 10,000 रु0 तक समाहर्त्ता या अपर समाहर्त्ता बन्दोबस्त कर सकते हैं ।

(3) 10,000 रु0 से ऊपर तथा 20,000 रु0 तक के सैरात प्रमंडलीय आयुक्त बन्दोबस्त कर सकते हैं ।

21 अनुभव के आधार यह देखा गया है कि उपरोक्त शक्तियों के रहते हुए भी सैरातों की बन्दोबस्ती में काफी देर हो जाती है । इसलिए सैरातों का बन्दोबस्ती समय पर हो और उसमें अनावश्यक विलम्ब नहीं हो इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि भविष्य मे सैरातों कीबंदोबस्ती निम्नलिखित शक्तियों के अनुसार की जाय :-

(1) 100 रु0 तक के सैरात अंचलाधिकारी बन्दोबस्त करें, पर बन्दोबस्ती की रकम रक्षित जमा (Reserved jama) से कम नहीं हो ।

(2) 5,000 रु0 तक सैरात अनुमंडलाधिकारी बन्दोबस्त करेंगे ।
यदि बन्दोबस्ती की रकम रक्षित जमा से कम हो तो वे अपने ऊपर के अधिकार से स्वीकृति लेकर बन्दोबस्ती करें ।

(3) 5,000 रु0 से अधिक पर 20,000 रु0 तक के सैरात समाहर्त्ता या अपर समाहर्त्ता बन्दोबस्त करेंगे ।

(4) 20,000 रु0 से अधिक और 50,000 रु0 तक सैरात प्रमंडलीय आयुक्त बन्दोबस्त करेंगे ।

(5) 50,000 रु0 से अधिक के सैरातों की बन्दोबस्ती सरकार की स्वीकृति लेकर की जाय ।

विश्वासभाजन

(रामदत्त पांडे)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक ई0 / अस0 आर0 टी0 -1-133/68--7095 - रा०

पटना - 15, दिनांक 5 अगस्त 1968 ।

प्रतिलिपि सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी अनुमंडलाधिकारी/ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभीअंचलाधिकारी को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित की जाती है ।

(रामदत्त पांडे)
सरकार के सचिव

पत्र संख्या :- 14 /सै०-2-0-7 /97 601 /रा०,
बिहार सरकार,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री संत शरण
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता / सभी उपायुक्त ।

पटना-15, दिनांक 17.8.98

विषय :- सैरातों की बन्दोबस्ती हेतु शक्तियों का पुनर्निधारण ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक राजस्व विभाग के पत्र संख्या - 7095/रा0, दिनांक 5.8.1968 (सैरात कम्पेंडियम का पृष्ठ 73) जिसके द्वारा सैरातों की बन्दोबस्ती हेतु विभिन्न पदाधिकारियों की शक्ति निर्धारण की गई थी को सम्यक विचारोपरान्त सरकार द्वारा संशोधित करते हुएअब विभिन्न पदाधिकारियों की शक्ति निम्न रुप से पुनर्निधारित की गई है :-

(1) अंचलाधिकारी - 5000/- रु0 (पांच हजाररु0) तक,
(2) अनुमंडल पदाधिकारी- 20,000/- रु0 (बीस हजार रु0) तक,
(3) समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता - 50,000/- रु0 (पचास हजार रु0) तक
(4) प्रमंडलीय आयुक्त - 1,00000/- रु0 (एक लाख रु0) तक
(5) 1,00000/- (एक लाख) रुपसे से अधिक के सैरातों की बन्दोबस्ती की स्वीकृति सरकार द्वारा की जाएगी ।

2- उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार कृपया सैरातों की बन्दोबस्ती की जाय ।

3- यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा ।

विश्वासभाजन

(संत शरण)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 601/ रा0, पटना-15, दिनांक 17.8.98

प्रतिलिपि सभी प्रमंडलीय आयुक्त/अपर समाहर्त्ताओं/ अनुमंडल पदाधिकारी/भू सुधार उप समाहर्त्ता एवं सभी अंचलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(संत शरण)
सरकार के उप सचिव

पत्र संख्या :- 14/सै० -7-0-11/97-612 - रा०

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री सुरेन्द्र प्रसाद

सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त ।

सभी समाहर्त्ता/उपायुक्त

पटना, दिनांक 18.9.97

विषय :- सभी प्रकार के सैरातो (यथा जलकर, फलकर, हाट बाजार, मेला, घाट एवं बस स्टैण्ड आदि के सुरक्षित जमा निर्धारण हेतु सरकारी परिपत्र के अनुपालन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध मे कहना है कि प्राय: ऐसा देखा जा रहा है कि विभिन्न जिलों से प्राप्त बन्दोबस्ती प्रस्ताव में सुरक्षित जमाका निर्धारण सरकारी परिपत्र के आलोक में नहीं कर भिन्न भिन्न प्रकारसे किया जा रहा है जिससे बन्दोबस्ती की स्वीकृति देने में सरकार को काफी कठिनाई हो रही है । साथ ही इससे सरकारी राजस्व की क्षति भी होती है । राजस्व विभागीय परिपत्र सं0 2 रा0 दिनांक 8.1.82 में सरकारकास्पष्ट निदेश है कि सुरक्षित जमा तीन वर्षों पर निर्धारित की जायेगी जिसमें विगत वर्ष की सुरक्षित जमा राशि/बदोबस्ती राशि जो भी अधिक हो उसमें 15 प्रतिशत को वृद्धि कर की जायेगी ।

अत: इस संबंध में पूर्व के परिपत्र सं0 2 रा0 दिनांक 8.1.82 की प्रतिलिपि पुन: संलग्न करते हुए अनुरोध है कि सभीप्रकार के सैरातों कीसुरक्षित जमा के निर्धारण में उक्त परिपत्र में उल्लिखित प्रावधानों काअनुपालन सख्ती से किया जाय ।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को भी तदनुसार संसूचित करने का कष्ट किया जाय ।

विश्वासभाजन

(सुरेन्द्र प्रसाद)

सरकार के उप सचिव ।

पत्र संख्या :- 14/सै० -1-0-11/94-301 - रा०

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री एस0 एन0 पी0 एन० सिन्हा
आयुक्त एवं सचिव

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता/उपायुक्त

पटना, दिनांक 28.6.95

विषय :- सैरात बन्दोबस्ती संबंधी प्रस्तावों को सरकार की स्वीकृति हेतु समय पर भेजने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक राजस्व विभागीय परिपत्रसंख्या 2583 भू0 सु0 दिनाक 21 नवम्बर 1974 तथा परिपत्रसंख्या 486 रा0 दिनांक 15.2.78 (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा सरकारी निदेश संसुचित किया गया था कि "सैरात बन्दोबस्त के वैसे प्रस्ताव, जिनकी बन्दोबस्ती प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से सरकार की स्वीकृति से होनी है बन्दोबस्ती अवधि के शुरु होने के दो माह पूर्व निश्चित रूप से पहूंच जाए" उक्त परिपत्र में यह भी कहा गया था, कि "किसी संबंधित पदाधिकारी के स्तर पर ऐसे प्रस्तावों को अग्रसारित करने मे विलम्ब हो तो उसका स्पष्टीकरण प्राप्त कर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाए ।" इन सब अनुदेशों के वावजूद पाया जा रहा है कि सैरात बंदोबस्ती के प्रस्तावों को भेजने में अप्रत्याशित विलम्ब हो रहा है । कुछ प्रस्ताव बन्दोबस्ती अवधि के समाप्त होने पर तथा कुछ प्रस्ताव बन्दोबस्ती अवधि के काफी समय बीत जाने के बाद प्राप्त होते हैं । ऐसी हालत में इन सब प्रस्तावों पर सरकार के समक्ष दूसरा कोई विकल्प नहीं रह जाता है कि स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा की गई व्यवस्था को मान लें । साथ ही निबंधन शुल्क एवं स्टाम्प शुल्क की वसूली भी संबंधित बन्दोबस्तदार से नहीं हो पाती जिससे सरकारी राजस्व की क्षति होती है वही दूसरी ओर अनावश्यक पत्राचार के साथ - साथ गैर जिम्मेदार पदाधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है ।

सरकारी चाहती है कि सैरात बन्दोबस्ती के वैसे प्रस्ताव जिसकी बन्दोबस्ती प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से सरकार की स्वीकृति से होनी है, बन्दोबस्ती अवधि के शुरु होने के दो माह पूर्व सरकार को भेजना कृपया सुनिश्चित किया जाय तथा किसी प्रकार का विलम्ब न हो । विलम्ब होने पर दोषी पदाधिकारी पर शीघ्र कारवाई की जाय ।

अत: अनुरोध है कि इस ओर विशेष ध्यान दें और अपने अधीनस्थ सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दें कि वे बन्दोबस्ती प्रस्ताव आपको यथा समय अग्रसारित करें ताकि आप समय पर प्रमंडलीय आयुक्त को भेज सकें ।

कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें ।

विश्वासभाजन

(एस0 एन0 पी0 एन0 सिन्हा)
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक 301 रा0, पटना, दिनांक 28..6.95

प्रतिलिपि प्रमंडलीय आयुक्त पटना प्रमंडल पटना/मगध प्रमंडल, गया/उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग/दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, रांची/पलामू प्रमंडल, पलामू/संथालपरगना प्रमंडल, दुमका/मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/भागलपुर प्रमंडल भागलपुर/पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया/कोशी प्रमंडल, सहरसा/ दरभंगा प्रमंडल दरभंगा/तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर/सारण प्रमंडल सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

अनुरोध है कि सैरात बन्दोवस्ती का प्रस्ताव सरकार की स्वीकृति हेतु दो माह पूर्व भेजना कृपया सुनिश्चित किया जाय ।

(एस0 एन0 पी0 एन0 सिन्हा)
आयुक्त एवं सचिव ।

पत्र संख्या :- 14/सै० -9-0-(अंके) 8/92-567 - रा०

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री एस0 एन0 चौधरी
उप सचिव ।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता/उपायुक्त

पटना - 15, दिनांक 9.7.1992

विषय :- सैरात बन्दोबस्ती से संबंधित एकरारनामें का निबंधन ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक राजस्व एवं भूमि सुधार विभागीय परिपत्र संख्या 1613 भू0 सु0 दिनाक 22.1.71 के क्रम में परिपत्र संख्या 2133, दिनांक 4.11.86 तथा 766, दिनांक 26.6.91 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि उपर्युक्त परिपत्रों द्वारा यह स्पष्ट निदेश दिया गया है कि भारतीय निबंधन अधिनियम के उपाबंधों के अनुसार सैरात बंदोबस्ती से संबंधित एकरारनामे के 100/- (एक सौ रुपये) से अधिक के विलेखों कासंपादन (निबंधन) निश्चित रूप से कराया जाय तथा निबंधन हेतु देय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क बन्दोबस्तदार से अग्रिम जमाकरा लिया जाय ।

2- सैरात बन्दोबस्ती हेतु एकरारनामा के निबंधित कराने पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क तथा निबंधन शुल्क की राशि डाक समाप्तिके तुरत बाद नियमानुसार बंदोबस्ती से संबंधित राशि जमा कराने के साथ ही प्रस्तावित बन्दोबस्तदार (उच्चतम डाकबक्ता) से नगद रूप में नाजीर रसीद के द्वारा जमा करा लिया जाय । स्टाम्प शुल्क तथा एकरारनामा शुल्क की जमा राशिको रेभन्यू डिपोजिट में रखा जाय । सैरात बन्दोबस्ती की स्वीकृति के पश्चात एकरारनामा का निबंधन करा कर ही विहित परवाना निर्गत किया जाय । यदि किसी कारणवश प्रमण्डलीय आयुक्त/राज्य सरकार के द्वारा किसी बन्दोबस्ती प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी जाती है, तब निबंधन शुल्क कीयह राशि प्रस्तावित बन्दोबस्तदार को वापस कर दी जायेगी ।

3- कृपया तदनुसार कार्रवाई सख्ती से करने हेतु अपने अधीनस्थ राजस्व पदाधिकारियों को अनुदेश दिया जाय। सैरात का विलेख निबंधन नही कराने में स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क की क्षति होने पर इसकी जिम्मेवारी संबंधित राजस्व पदाधिकारी की होगी ।

विश्वासभाजन

(एस0 एन0 चौधरी)
उप सचिव ।

ज्ञापांक 567 रा0, पटना, दिनांक 9.7.92

प्रतिलिपि सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

(एस0 एन0 चौधरी)
उप सचिव ।

ज्ञापांक 567 रा0, पटना, दिनांक 9.7.92

प्रतिलिपि सभीअपर समाहर्त्ता/अपर उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(एस0 एन0 चौधरी)
उप सचिव ।

ज्ञापांक 567 रा0, पटना, दिनांक 9.7.92

प्रतिलिपि उप सचिव, प्रभारी लोक लेखा समिति, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को पूर्व में प्रेषित राजस्व विभागीय पत्रांक-2142 दिनांक 4.11.86 पत्रांक-2277, दिनांक 28.11.86 तथा 11 , दिनांक 10.1.92 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

(एस0 एन0 चौधरी)
उप सचिव ।

पत्र संख्या :- 14/सै० -2-0-16/91- 958 - रा०

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री भास्कर बैनर्जी
भूमि सुधार आयुक्त-सह-सचिव ।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता/उपायुक्त

पटना - 15, दिनांक 25/27.7.91

विषय :- राजस्व विभाग के अधीन के हाट-बाजारएवं मेला के विभिन्न सामग्रियों के लिये टौल (टैक्स) का दर निर्धारण एवं उसकी सूची का प्रकाशन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे कहना है कि राजस्व विभागीय परिपत्र सं0 - 4683 दिनांक 8.6.57 तथा 8884 दिनांक 21/27.11.59 में विस्तृत निदेश है जिनके अनुसार टौल (टैक्स) का दर निर्धारण जिला समाहर्ता को ही करना है । परन्तु सरकार को ऐसी सूचना मिली है कि क्षेत्रीय स्तर पर इसकी जानकारी नहीं रहने से उक्त निदेशों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक नहीं हो रहा है जिससे कठिनाई है ।

अत: राजस्व विभागीय उपरोक्त परिपत्रों की प्रतिलिपियाँ संलग्न करते हुये आपसे अनुरोध है कि उसमें निहित सरकारी निदेशों के आलोक में आप राजस्व विभाग के अधीन के हाट, बाजार एव मेला (छोटानागपुर एवं संथाल परगना के ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित को छोड़कर) के विभिन्न सामग्रियों के लिये टौल (टैक्स) का दर निर्धारण एवं उसकी सूची का प्रकाशन का कार्य सुनिश्चित करें ।

कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें ।

विश्वासभाजन

(भास्कर बैनर्जी)
भूमि सुधार आयुक्त-सह-सचिव ।

ज्ञापांक 958 रा0, पटना, दिनांक 27.7.91

प्रतिलिपि सभी प्रमंडलीय आयुक्त प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

(भास्कर बैनर्जी)
भूमि सुधार आयुक्त-सह-सचिव ।

Copy of letter no. E/XIX-2-6-98/59-8884 L.R. dated Patna, the 21st/27th November, 1959 from the Deputy Secretary to Government of Bihar, Revenue Department to all Collectors.

Subject : Fixation of tolls before auctioning a Hat, Bazar and Mela for purpose of settlement.

I am directed to say that it has been brought to the notice of Government that some times rates of tolls to be levied in a Hat, Bazar or Mela are not announced before an auction is held for settling the same.

As this is likely to cause difficulty to the lessee and also to the people who expose their goods for sale in the Hat, Bazar or Mela I am to say that Government desire that the rate of tolls, which may be prescribed by the Collector, should invariably be announced before Hat, Bazar, Mela is put to auction.

Memo No. E/XIX-2-6-98/59-8884 L.R. dated Patna the 21st / 27th Nov. 1959 by the Deputy Secretary to Government of Bihar, Revenue Department, to all commissioner of Divisions/All Subdivisional Officers and all land reforms Deputy collectors for information.

पत्र संख्या :- 14/सै० -7-0-133/97 555 - रा०

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री डी० पी० महेश्वरी,
आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता/उपायुक्त

पटना - 15, दिनांक 21.7.98

विषय :- सैरात बंदोबस्ती संबंधी प्रस्तावों को सरकार को स्वीकृति हेतु समय पर भेजने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय परिपत्र संख्या - 301/रा० दिनांक 28.6.95 तथा परिपत्र संख्या- 273/रा० दिनांक 12.3.96 का कृपया स्मरण किया जाय । उक्त पत्रों द्वारा आपसे अनुरोध किया गया था कि सैरात बंदोबस्ती के वैसे प्रस्ताव, जिनकी बंदोबस्ती प्रमण्डलीय आयुक्त के माध्यम से सरकार की स्वीकृति से होनी है बंदोबस्ती अवधि के आरम्भ होने के दो माह पूर्व निश्चित रुप से पहुंच जाए" । उक्त परिपत्र में यह भी कहा गया था कि "किसी संबंधित पदाधिकारी के स्तर पर ऐसे प्रस्तावों को अग्रसारित करने में विलम्ब हो तो उनका स्पष्टीकरण प्राप्त कर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाय ।" इसके बावजूद ऐसा पाया जा रहा है कि सैरात बंदोबस्तीके प्रस्तावों को भेजने में अप्रत्याशित विलम्ब हो रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार के समक्ष दूसरा कोई विकल्प नहीं रह जाता है कि स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा की गयी व्यवस्था को मान लिया जाय । सरकार चाहती है कि सैरात बंदोबस्ती के वैसे प्रस्ताव जिसका बंदोबस्ती प्रमण्डलीय आयुक्त के माध्यम से सरकारकी स्वीकृति से होनी है, बंदोबस्ती अवधि के शुरु होने के दो माह पूर्व सरकार को भेजना सुनिश्चित किया जाय तथा इसमें किसी प्रकार का विलम्ब न हो ।

अतः अनुरोध है कि इस ओर विशेष ध्यान देते हुए अपने अधीनस्थ सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दें कि वे बंदोबस्ती प्रस्ताव आपको समय पर अग्रसारित करें ताकि आप समय पर उसे प्रमण्डलीय आयुक्त को भेज सकें ।

कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें ।

विश्वासभाजन

(डी० पी० महेश्वरी)
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक 555 रा०, पटना, दिनांक 21.7.98

प्रतिलिपि सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुरोध है कि सैरात बंदोबस्ती का प्रस्ताव सरकार की स्वीकृति हेतु दो माह पूर्व भेजना कृपया सुनिश्चित किया जाय ।

(डी० पी० महेश्वरी)
आयुक्त एवं सचिव ।

पत्र संख्या :- 14/सै० -6-15/88 549 - रा०

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री आर श्रीनिवासन
मुख्य सचिव, बिहार ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी समाहर्त्ता/उपायुक्त

पटना - 15, दिनांक 5.4.1988 ।

विषय :- कुम्भकारों को मिट्टी के वर्तन बनाने के लिये गैर-मजरूआ जमीन से नि:शुल्क मिट्टी लेने की सुविधा ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक बिहार सरकार उद्योग एवं सहकारिताविभाग (खनन् शाखा) का परिपत्रांक एम0 ई-20130/59-2608 /एम0 दिनांक 20 अगस्त 1959 की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए मुझे यह कहना है कि सरकार को ऐसी सूचना मिली है कि उक्त परिपत्र का सही-सही पालन राज्य के सभी अंचलों में नहीं हो रहा है । परिणामत: कहीं-कहीं कुम्भकारो की मिट्टी के वर्तन बनाने के लिये गैर मजरूआ जमीन से नि:शुल्क मिट्टी लेने में कठिनाई हो रही है ।

2- सरकारयह स्पष्ट करना चाहती है कि जिन कुम्भकारों को पुस्तैनी रीति-रिवाज के अनुसार गैर मजरूआ परती जमीन, तालाब, पोखरा, नदी आहर, वांध आदि से वर्तन बनाने के लिए नि:शुल्क मिट्टी लेने की सुविधा प्राप्त होती रही है वह पूर्व की भांति बरकरार रखी जाय और किसी भी कुम्भकार को जो स्वयं वर्तन बनाने के लिए मिट्टी लेना चाहते हैं, उनसे किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाय । यदि कोई व्यक्ति कुम्भकारों को निर्दिष्ट स्थान से मिट्टी लेने में बाधा उत्पन्न करे तो अंचल अधिकारी उसका निराकरण करें ।

3- सरकारयह भी स्पष्ट करना चाहेगी कि जहां कहीं भी नदी,तालाब, आदि के जलकरों की बन्दोबस्ती में मत्स्य सहयोग समिति या व्यक्ति विशेष को बन्दोबस्ती की सुविधा दी जाती रही है वहां यह भी सुनिश्चित करना होगा कि स्थानीय अन्य वर्ग के व्यक्तियों के व्यवसाय, जैरी मखाना, सिंघाड़ा, धोबियों के घाट पर कपड़ा धोना एवं कुम्भकारों के ताल की मिट्टी लेने आदि के स्थानीय अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और अंचलाधिकारी अपने क्षेत्र में कृपया इसे सुनिश्चित करें ।

4- समाहर्त्ता कृपया अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को सरकार के इस निदेश के अनुपालन के लिये उचित निदेश देंगे और इसे सुनिश्चित करेंगे ।

विश्वासभाजन

(आर० श्रीनिवासन)
मुख्य सचिव, बिहार ।

Copy of letter No. A/ME-20130/59-2608/M, dated Patna the 20 August, 1959 from Under Secretary to Government of Industries and co-operation, (Mining Branch) to all Collectors.

Subject : Permission to take clay and sand by Kumhars for earthen-ware pottery.

I am directed to invite your attentionto the Instructions contained in Revenue Deprtments' letter No. 1577 L.R.dated the 11th/13th March, 1954 (Reproduced at page 396 of the Compendium (and also to rule 34, as amended by correction slip no. 7, dated the 23 rd November, 1954, in the Bihar Government Estates Manual, 1953, wherein it has beenlaid down that whenstones or morum required for personal use, i.e.house building and other domestic purposes but not for sale, people should have free access to the materials without let or hindrance andthat there should beno restriction on removal there-of but if these are removed for commercial purposes, royalty should becharged at the prescribed rates.

2. It has now been brought to the notice of Government that where the Kumhars (L. Potters) want to extract earth or clay from Government lands including beds of tanks, rivers and bandhs for preparing earthenware potteries and tiles either for domestic purposes or for carrying on their trade as a home industry, they are called upon to pay some royalty as result of which they are facing considerable difficulties in eking out their livelihood and in suplying also the basic needs of the village community.

3. The matter has been carefully considered by Government and they are of the view that it will cause considerable hardship to the Kumhars if they are asked to pay any royalty for the removal of the same, Government have, therefore, been pleased to decide that in furutre the Kumhars may be permitted to take earth or clay or sand without any let or hindrance from Government waste lands including beds of tanks,bendhs,andrivers without any roylity. The place fromwhich they will take earth or clay or sand for such purpose should however, be marked out by the circle officer Anchal Adhikari, who should maintain a register showing the names and other details of the potters who are given these facilities.

The concession, above willnot, however, extend to contractors, industrialists and other people if remove earth or clay or sand and other materials for commercial or industrial purposes in truck loads or by other beans of transport. They should berequire to pay royalty according to the rates to be determined ineach case by the collector subject to approval by the commissioner inaccordance with the existing market rates and local circumstances subject to the rules in the Bihar Government Estate Manual, 1953, and the Waste Land and Mineral concession Manual, 1947. These rates for commercial or industrial purposes will be subject to revision in accordance with the provision of the Bihar Minor Mineral Extraction Rules, 1957, when promulgated and enforced.

3. Receipt of this letter may kindly be acknowledged.

पत्र संख्या :- 14/सै० -2-0-17/85 113 - रा०

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री बी० एन० सहाय

सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता/उपायुक्त

पटना - 15, दिनांक 16.1.86 ।
20

विषय :- सैरात बन्दोबस्ती से संबंधित एकारारनामा का निबंधन नहीं कराये जाने के फलस्वरूप सरकार को निबंधन शुल्क एवं स्टाम्प शुल्क की क्षति होने के संबंध में अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1976-77 के मद संख्या 59 की कंडिका 6-5, वर्ष 1977-78 के मद संख्या -65 की कंडिका-6-3 वर्ष 1978-79 के मद संख्या 80 की कंडिका 6-10 एवं वर्ष 1979-80 के मदसंख्या 87 की कंडिका -5-2 में निहित लेखा आपत्तियों के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे कहना है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के विभिन्न वर्षों, यथा विषयान्तर में के प्रतिवेदन में यह आपति उठाई गई है कि अनेक मामलों में अंचल एवं जिला स्तर पर सैरात बन्दोबस्ती से संबंधित एकारनामें का निबंधन नहीं कराया गया है जिसके फलस्वरुप सरकार को स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क की क्षति हुई है ।

इस संदर्भ में संबंधित जिलों से मांगा गया प्रतिवेदन अनेक स्मारों के उपरान्त मात्र दो तीन जिलों से प्राप्त हुए हैं किन्तु उनसे स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है । इनके निराकरण के संबंध में लोक लेखा समिति से वार-वार स्मार पत्र प्राप्त हो रहे हैं ।

अत: महालेखाकार कार्यालय से संबंधित वर्षों के लेखा आपतियों के संबंध में जो पत्राचार एवं विवरणियां प्राप्त हुए हैं उनकी प्रतिलिपि पुन:संलग्न करते हुए अनुरोध है कि अपने जिला से संबंधित लेखा आपतियों के निराकरण हेतु त्वरित कार्रवाई की जाय साथ ही वैसी आपतियां जिनमें अर्न्तग्रस्त राशि की वसूली सम्भव नही हो उन्हें अपलेखित करने हेतु विवरण निम्नविहित प्रपत्र में अपनी अनुशंसा के साथ भेजने की कृपा करें ।

विहित प्रपत्र

अंचल का नाम	जलक/हाट/बाजार मेलों का नाम	जिसके साथ बन्दोबस्ती की गई थी। म0 स0 स0/ग्राम पंचायत व्यक्ति विशेष बहुधंधी सहयोग समिति	एकरारनामा कराया गया अथवा नहीं
1	2	3	4

एकरारनामा अगर कराया गया तो उसके निबंधन कार्यालय मे किया गया अथवा नहीं	अगर एकरारनामा निबंधित नहीं कराया गया हो तो एकरारनामा निबंधन के अर्न्तगत वसूलनीय निबंधन एवं स्टाम्प शुल्क की राशि	वसूल की गई राशि	जो राशि वसूल करना सम्भव नहीं है तो कारण बताते हुए उसे अपलेखित करने की अनुशंसा	अभ्युक्ति
5	6	7	8	9

विश्वासभाजन

(वी0 एन0 सहाय)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञाप संख्या 14/सै0 2-0-17/85 113 रा0, पटना -15, दिनांक 20.1.86

प्रतिलिपि अनुलग्नकों की प्रतिलिपि सहित, सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(वी0 एन0 सहाय)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

पत्र संख्या :- 14/सै० -2-0-8/8 272 -रा०

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री भवनाथ मिश्र,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

समाहर्त्ता, उत्तरी बिहार के सभी ज़िला एवं पटना तथा मुंगेर

उपायुक्त, साहेबगंज, गोड्डा, देवघर एवं दुमका

प्रमंडलीय आयुक्त, सारण (छपरा)/तिरहूत (मुजफ्फरपुर)/दरभंगा कोशी (सहरसा)/ पटना/भागलपुर/संथाल परगना (दुमका) ।

पटना - 15, दिनांक 5.2.85

विषय :- मत्स्यपालन विकास एजेंसी के माध्यम से सरकारी जलकरों की दीर्घकालीन बन्दोबस्ती (दस वर्षों तक) के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे सूचित करना है कि विभागीय परिपत्र संख्या 41 भू० सु० दिनांक 18.1.84 में निहित अनुदेशों के विरोध में बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ एवं विभिन्न मत्स्यजीवी सहयोग समितियों द्वारा आपत्तियाँ उठाई गई । इन आपत्तियों में उठाये गये बिन्दुओं के सभी पहलुओं पर विचारोपरान्त सरकार ने निम्नांकित निर्णय लिया है :-

(1) जिन 17 जिलों को अभिकरण ने अभी चुना है, उन जिलों में अवस्थित 4 हेक्टेयर तक के जलकरों की दीर्घकालीन बन्दोबस्ती मत्स्यपालक विकास अभिकरण द्वारा की जायेगी । परन्तु नदी, नाला के रूप में विद्यमान जलकर एवं मखाना, सिंघाड़ा मौजन, जलकर 4 हेक्टेयर से अधिक जलक्षेत्र वाले सभी जलकर अभिकरण द्वारा बन्दोवस्त नहीं किये जायेंगे । इसकी बन्दोबस्ती राजस्व विभाग द्वारा वर्तमान नियमों एवं परिपत्रों के अनुसार की जायेगी जिसमें मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को प्राथमिकता दी जायेगी ।

(2) मत्स्यपालक विकास अभिकरण को हस्तान्तरित जलकरों में से 2½ हेक्टेयर तक के जलकरों की 10 वर्षों के लिए बन्दोबस्ती अभिकरण द्वारा इस परिपत्र की कंडिका 4 में इंगित प्राथमिकता एवं प्रक्रिया के आधार पर की जायेगी ।

(3) 2½ से 4 हेक्टेयर तक के जलकरों की बन्दोस्ती प्रशिक्षित व्यक्ति विशेष आदि के साथ नहीं कर संबंधित प्रखंड की मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के साथ की जाय, वशर्ते समिति इसके लिये सक्षम हो और अभिकरण सन्तुष्ट हो जाय कि समिति ने विश्व बैंक परियोजना में शामिल किसी भी बैंक से लेटर ऑफ इन्टेट प्राप्त कर लिया है, ताकि उन्हें संबंधित जलकरों के विकास के लिये ऋण मिल सके । सक्षमता की शर्तें वही होगी जो राजस्व विभाग के परिपत्र 41 भू० सु० दिनांक 18.1.84 की कंडिका -6 में इंगित है । यदि समिति ऐसा करने में विफल हो तो 2½ एकड़ से 4 हेक्टेयर तक के जलकरों की भी बन्दोबस्ती कंडिका - 4 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यक्ति विशेष या समूहों के साथ अभिकरण करेगा ।

(4) अभिकरण द्वारा व्यक्ति विशेष या समूह के साथ बन्दोबस्ती में निम्नांकित प्राथमिकता का अनुसरण किया जायेगा।

(क) पंचायत का मछुआ जो समिति का सदस्य हो,

(ख) पंचायत का मछुआ जो समिति के सदस्य नहीं हो, परन्तु प्रशिक्षित हो,

(ग) पंचायत का मछुआ जो प्रशिक्षित नहीं हो,

(घ) यदि किसी पंचायत में मछुओं की संख्या जलकरों की संख्या या क्षेत्र को देखते हुए कम हो तो निकटवर्ती पंचायत के मछुओं को जलकर (क, ख एवं ग) में इंगित प्राथमिकता के अनुसार बन्दोबस्ती की जाय, एवं

(च) पंचायत का अन्य व्यक्ति जिन्हें मत्स्य पालन में अभिरूची हो । मछुआ से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जिनका मुख्य पेशा मछली मारना है ।

(5) चुने हुए 17 जिलों के अतिरिक्त अन्य जिलों के जलकरों की बन्दोबस्ती राजस्व विभाग वर्तमान नियमों एवं तत्संबंधी परिपत्रों के अनुसार करेगा जिसमें मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को प्राथमिकता दी जायगी ।

(6) एक व्यक्ति से अधिक व्यक्तियों के साथ 10 वर्षों के लिए अभिकरण द्वारा जलकरों की बन्दोबस्ती देने से उत्पन्न होनेवाली व्यवहारिक कठिनाईयों तथा राजस्व वसूली में उत्पन्न होने वाली कठिनाईयों के निराकरण हेतु समाहर्त्ता सह-अध्यक्ष मत्स्य पालन विकास अभिकरण संचेष्ट रहेंगे ।

(7) राजस्व विभागीय परिपत्र संख्या 41 भू0 सु0 दि0 18.1.84 में जो निदेश दिये गये हैं वह मात्र 4 हेक्टेयर तक के जलकरों जो अभिकरण द्वार बंदोबस्त की जायेगी, पर ही लागू समझा जायेगा ।

(8) राजस्व विभागीय परिपत्र संख्या 41 भू0 सु0 दिनांक 18.1.84 की कंडिका 1, 2, 4 एवं 7 में दिये गये अनुदेशों को इस हद तक संशोधित समझा जाय तथा इस परिपत्र की कंडिका 5, 6 एवं 7 को उक्त परिपत्र की कंडिका 21 के बाद जोड़ा जाय ।

विश्वासभाजन

(भवनाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक 272 रा0, पटना - 15, दि0 5.2.85 ।

प्रतिलिपि आयुक्त-सह-सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग । आयुक्त-सह-सचिव, सहकारिता विभाग । निबन्धक सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना । निदेशक, मत्स्य बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(भवनाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

पत्र संख्या :- 14/सै० -2-0-11/84 1068 - रा०

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री राज कुमार प्रसाद सिन्हा
सरकार के उप-सचिव ।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता/उपायुक्त ।

पटना , दिनांक 22.8.84
25

विषय :- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रशासनाधीन हाट, बाजार एवं पशुमेला जो बिहार कृषि उपज बाजार अधिनियम 1960 के अन्तर्गत अधिसूचित किए गए हैं एवं तदनुसार बाजार समितियों के हस्तान्तरित किये गये हैं से प्राप्त आय का 20 प्रतिशत बाजार समितियों द्वारा जमा करने के संबंध में ।

महाशय,

निर्देशानुसार उपर्युक्त विशयक विभागीय परिपत्र सं0 - 633 रा0 दि0 15/17.4.1974 एवं सं0 1478 भू0 सु0 दिनांक 25.5.76 के प्रसंग में मुझे कहना है कि राजस्व विभागीय हाट बाजार समितियों को कुछ हाट, बाजार, एवं मेला का हस्तान्तरण इस शर्त पर किया था कि बाजार समितियां हाट, बाजार एवं मेला की बन्दोबस्ती से प्राप्त आय का 20 प्रतिशत राजस्व विभाग के आय मद में जमा करेंगी । बाजार समितियां तदनुसार बन्दोबस्ती से प्राप्त आय का 20 प्रतिशत राशि राजस्व विभाग के आय मद के उपर्युक्त शीर्ष में जमा करती है या नहीं इसकी विवरणी सरकार को प्राप्त नहीं हो रही है ।

अत: अनुरोध है कि इसके संबंध में वर्षवार पूर्ण विवरणी पत्र प्राप्ति के । महीने के अन्दर सरकार को निश्चित रूप से भेजने की कृपा करें ।

विश्वासभाजन

(राज कुमार प्र0 सिन्हा)
सरकार के उप-सचिव ।

पत्र संख्या :- 14/सै० -2-0-24/84 762 - रा०

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री भवनाथ मिश्र,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

समाहर्त्ता, उत्तरी बिहार के सभी जिला तथा

पटना, मुंगेर, साहेबगंज, गोड्डा, देवघर एवं दुमका

पटना - 15, दिनांक 5.7.84
9

विषय :- मत्स्यपालक विकास अभिकरण के माध्यम से सरकारी जलकरों की दीर्घ कालीन बन्दोबस्ती (दस वर्षों तक) के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक राजस्व विभागीय पत्रांक - 41 रा० दिनांक 18.1.84 के क्रम में मुझे कहना है कि पशुपालन एवं मत्स्य विभाग ने सरकार कोसूचित किया है कि राजस्व विभाग के उक्त परिपत्र में दिये गये अनुदेशों का अनुपालन स्थानीय राजस्व पदाधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है तथा अंचलाधिकारियों द्वारा अभिकरण के माध्यम से बन्दोबस्त कीजाने वाले तालाबों/पोखरों की स्थिति प्रतिवेदन (Status Report) नहीं दिया जा रहा है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त राजस्व विभागीय परिपत्र में दिये गये अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें तथा अब तक उक्त अनुदेशों के अनुपालन की दिशा में की गई कार्रवाई से अवगत करायें । साथ ही 4 (चार) हेक्टेयर तक जल-क्षेत्र वाले तालाबों / पोखरों की स्थिति प्रतिवेदन (स्टेट्स रिपोर्ट) मत्स्य पालक विकास अभिकरण को अविलम्ब भेज देने का निदेश अपने अधीनस्थ सभी अंचलाधिकारियों को देने का कष्ट करें तथा निदेश की अवहेलना करने वाले अंचलाधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करें ।

यह भी सुनिश्चित किया जाय कि मत्स्य पालक विकास अभिकरण द्वारा उक्त विभागीय परिपत्र में दिये गये अनुदेशों के अनुसार बन्दोबस्ती की कार्रवाई की जा रही है या नहीं । यदि नहीं तो उसकी सूचना सरकार को दी जाय । साथ ही मत्स्य पालक विकास अभिकरण द्वारा तालाबों/पोखरों की मांग के सम्बन्ध में यह ध्यान रखा जाय कि केवल विकसित एवं लाभकारी तालाबों/पोखरों की मांग उनके द्वारा न की जाय । परिपत्र के अनुसार उन्हें 4 हेक्टेयर तक के जल क्षेत्र वाले सभी तालाबों/पोखरों (मखाना, नदी नाला एवं सिंघाड़ा छोड़कर) चाहे वह विकसित हो या अविकसित उन्हें लेना है । यदि वे विकसित तालाब के साथ अविकसित तालाब/पोखरा लेने को तैयार न हो तो सरकार की स्वीकृति प्राप्त करके ही बन्दोबस्ती की जाय ।

विश्वासभाजन

(भवनाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक 762 रा०, पटना - 15, दि० 9.7.84

प्रतिलिपि प्रमण्डलीय आयुक्त, सारण (छपरा) तिरहुत (मुजफ्फरपुर) दरभंगा/ कोशी(सहरसा)/पटना । भागलपुर एवं संथालपरगना (दुमका) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(भवनाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक 762 रा०, पटना - 15, दि० 9.7.84

प्रतिलिपि पशुपालन एवं मत्स्य विभाग/सहकारिता विभाग को सूचनार्थ प्रेषित ।

(भवनाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

पत्र संख्या :- 14/सै० -2-0-8/83 (खण्ड) 642 - रा०

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री राज कुमार प्रसाद सिन्हा
सरकार के उप-सचिव ।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
पशुपालन एवं मत्स्य विभाग ।

पटना , दिनांक 12.6.84

विषय :- विश्व बैंक परियोजनान्तर्गत मत्स्य पालक विकास अभिकरण के माध्यम से सरकारी जलकरों की दीर्घकालीन बन्दोबस्ती राजस्व विभाग के पत्रांक - 41 दिनांक 18.1.84 पर अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु मार्ग दर्शन अनुदेश ।

महाशय,

निर्देशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक - 350 दिनांक - 14.2.84 के प्रसंग के मुझे कहना है कि राजस्व विभागीय परिपत्र संख्या -41 भू0 सु0 दिनांक 18.1.84 की कंडिका - 4 द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 4 (चार) हेक्टेयर से बड़े जल क्षेत्र वाले जलकरों की बन्दोबस्ती राजस्व विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत परिपत्रों के अनुसार मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के साथ प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी । आपके उक्त पत्र की कंडिका- 7 में यह लिखा गया है कि 4 (चार) हेक्टेयर से बड़े जलकरों की दीर्घकालीन बन्दोबस्ती स्थानीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति के साथ राजस्व विभाग के पत्रांक -41 दिनांक 18.1.84 की कंडिका - 6 एवं 17 के अनुरूप की जायेगी । यह निदेश 4 हेक्टर तक के जलकरों जिनकी दीर्घकालीन बन्दोबस्ती म0 स0 समिति के साथ की जाती है, से संबंधित है चार हेक्टर से अधिक जलक्षेत्र वाले जलकर के लिये यह परिपत्र लागू नहीं है ।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में अनुरोध है कि अपने पत्रांक 350 दिनांक 14.2.84 में चार हेक्टर से बड़े जलकरों के संबंध में जो निदेश दिये गये उसके संबंध में एक शुद्धि पत्र अविलम्ब निर्गत करने की कृपा करें तथा इसकी एक प्रति इस विभाग को भी भेजी जाए ।

विश्वासभाजन

(राज कुमार प्र0 सिन्हा)
सरकार के उप-सचिव ।

ज्ञापांक - 14/सै0-2-0-8/83 642 रा0, पटना 15, दिनांक 12.6.84

प्रतिलिपि समाहर्त्ता, उत्तर बिहार के सभी जिला/पटना/मुंगेर/उपायुक्त, साहेबगंज/गोड्डा/देवघर एवं दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(राज कुमार प्र0 सिन्हा)
सरकार के उप-सचिव ।

ज्ञापांक - 14/सै0-2-0-8/83 642 रा0, पटना 15, दिनांक 12.6.84

प्रतिलिपि आयुक्त, सारण प्रमंडल (छपरा)/तिरहुत प्रमंडल (मुजफ्फरपुर) दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/कोशी प्रमंडल (सहरसा)/पटना प्रमंडल, पटना / भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर एवं संथालपरगना प्रमण्डल दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

(राज कुमार प्र0 सिन्हा)
सरकार के उप-सचिव ।

पत्र संख्या :- 14/सै० -2-0-8/83 41 - भू० सु०
बिहार सरकार,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री एस० के चक्रवर्ती,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

समाहर्त्ता, उत्तर बिहार के सभी जिला एवं पटना/मुंगेर/साहेबगंज/गोड्डा/देवघर एवं दुमका ।
प्रमण्डलीय आयुक्त, सारण/छपरा/तिरहुत मुजफ्फरपुर/दरभंगा/कोशी (सहरसा)/पटना/भागलपुर एवं संथालपरगना (दुमका)

पटना - 15, दिनांक 18 जनवरी 1984 ।

विषय :- मत्स्य पालक विकास एजेंसी के माध्यम से सरकारी जलकरों की दीर्घकालीन बन्दोबस्ती (दस वर्षों तक) के संबंध में ।

प्रसंग :- पत्र संख्या - 2438/मत्स्य दिनांक 30.10.79
पत्र संख्या - 317/राजस्व, दिनांक 23.3.82
पत्र संख्या - 432/राजस्व, दिनांक 3.3.83

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार मुझे सुचित करना है कि आपको यह विदित ही है कि भारत सरकार द्वारा प्रयोजित एव विश्व बैंक की सहायता से तत्काल उत्तर बिहार के सभी जिलों तथा दक्षिण बिहारके पटना/मुंगेर/साहेबगंज/गोड्डा/देवघर एवं दुमका जिलों में में मत्स्य पालक विकास एजेंसी की स्थापना की गई है । विश्व बैंक कीसहायता से जो परियोजना लागू की जानेवाली है उसके कार्यक्रम में तीव्रता लाने हेतु राज्य सरकार के स्तर से निम्नलिखित निर्णय लिया गया है :-

1- मत्स्य पालक विकास एजेंसी के अध्यक्ष (जो समाहर्त्ता ही होते हैं) के हस्ताक्षर से सभी अंचलाधिकारी को पत्र देकर उनके अंचल के चार हेक्टेर जलक्षेत्र तक के तालाबों/पोखरों का स्थिति प्रतिवेदन (स्टेटस रिपोर्ट) देने का अनुरोध करेंगे तथा अंचलाधिकारीउसे पत्रप्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दरएजेंसी को उपलब्ध कर देंगे । इस प्रतिवेदन में वे प्रत्येक जलकर का नाम ग्राम का नाम जहां वे अवस्थित हैं, खाता एवं खेसरा नं०, कुल क्षेत्रफल (जैसा सैरात पंजी में दर्ज है) तथाजलक्षेत्र, पिछले तीन वर्षों का अलग-अलग बन्दोबस्ती की राशि किस अवधि में जलकर बन्दोबस्ती से रहित हो रहा है उसका पूर्ण विवरण भेजेंगे । इस कार्यक्रम में मखाना, जलकर एवं नदी, नाला इत्यादि बहते हुए जलकर नहीं सम्मिलित किए जाएंगे एवं ऐसे जलकरों की बन्दोबस्ती पूर्ववत राजस्व विभाग द्वारा ही की जाती रहेगी ।

2- चार हेक्टेर तक के जलक्षेत्र वाले तालाब/पोखरा की बन्दोबस्ती सीधे मत्स्यपालक विकास एजेंसी द्वारा कीजायेगी । एजेंसी का दायित्व रहेगा कि यह पट्टेदार/पटटेदारों से राजस्व विभाग द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में एकरारनामा जिसे मत्स्य विभाग के पत्र संख्या - 1130/मत्स्य, दिनांक 7.6.83 द्वारा निर्गत किया गया है, में करायेगी तथा पट्टेदारों से समय पर तालाबों का वार्षिक जमा वसूल कर उसे प्राप्ति शीर्ष -112 मत्स्य उद्योग किराया में कोषागार में जमाकर चालान की एक प्रति संबंधित अंचलाधिकारी को भेज देगी । समाहर्त्ता एकरारनामा की कंडिका - 16 के अनुसार तालाबों के विकास के लिए बैंकों से ऋण प्राप्त करने हेतु पट्टेदारों को जलकर को बन्धक रखने की अनुमति देंगे । परिपत्र की कंडिका - 8 को एकरारनामा में सम्मिलित कर दिया जाएगा । यदि इनकी बन्दोबस्ती मत्स्य सहयोग समिति के साथ की जायगी तो कंडिका (6) में के शर्तों के आलोक में की जाएगी ।

3- ऐसे जलकर जिनका वार्षिक सुरक्षित जमा पचास हजार तक होगी की बन्दोबस्ती समाहर्त्ता करेंगे पचास हजार से उपर तथा दो लाख रुपये तक हो, उनकी बन्दोबस्ती की स्वीकृति एजेंसी द्वारा प्रमण्डलीय आयुक्त से प्राप्त की जायेगी । जिन जलकरों का वार्षिक जमा दो लाख रूपये से उपर की होगी उसकी बन्दोबस्ती की स्वीकृति एजेंसी द्वारा राजस्व विभाग से प्राप्त कर की जाएगी ।

4- चार हेक्टर से अधिक जलक्षेत्र वाले जलकर की बन्दोबस्ती राजस्व विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत परिपत्रों के अनुसार ही मत्स्य जीवी सहयोग समिति के साथ प्राथमिकता के आधार पर की जायगी ।

5- बन्दोबस्ती की अवधि आरम्भ होने के लगभग तीन महीना पहले एजेंसी के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जलकरों की सूचि जिला समाहर्त्ता-सह-अध्यक्ष एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी को भेजेंगे जिसमें प्रखंडवार जलकरों का विवरण जैसे जलकर का नाम, खाता एवं खेसरा नम्बर, कुल क्षेत्रफल (जैसा सैरात पंजी में दर्ज हो) तथा जल क्षेत्र, पिछले तीन वर्षों का वार्षिक जमा तथा उनके सुधार एवं प्रथम वर्ष आदान ऋण पर प्रस्तावित राशि का उल्लेख होगा ।

6- स्थानीय मत्स्य जीवी सहयोग समितियों की सक्षमता की जांच राजस्व विभागीय पत्रांक - 432, रा0 दिनांक 23.2.83 में गठित जिला स्तरीय समिति के द्वारा की जायेगी जिला सहकारिता पदाधिकारी निम्नांकित बिन्दुओं परएक पक्ष में समिति को प्रतिवेदन देंगे ।

(क) सभी सरकारी वकाम का समय पर भुगतान हुआ है अथवा नहीं तथा समिति के जिम्मे कोई सरकारी बकाया तो नहीं है ।

(ख) अद्यतन लेखा अंकेक्षण हुआ है अथवा नहीं । समिति का कारोवार लगातार घाटे में तो नहीं है ।

(ग) नियमित रूपसे समय पर समिति कीआम सभा हुई है अथवा नहीं ।

(घ) समिति नियमानुसार निबंधित है अथवा नहीं ।

(ङ) समिति द्वारा लाभांश वरिष्ट संस्थाओं को उपलब्ध किया गया है तथा सदस्यों के बीच बांटा गया है या नहीं ।

(च) जिला स्तरीय समिति उपरोक्त बिन्दुओं के अतिक्ति मुख्य रूप से देखेंगे की स्थानीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति को जिला सहकारिता बैंक अथवा प्राधिकृत वाणिज्य बैंक से पोखरे के विकास हेतु ऋण लेने के लिये (Letter of intent) प्राप्त है या नहीं। यदि समिति ऋणउपलब्ध कराने संबंधी (Letter of intent) उपलब्ध नहीं करा पाती है तो समिति को बन्दोबस्ती के लिये सक्षम नहीं माना जा सकता है । यह प्रक्रिया व्यक्ति विशेष के लिये नहीं लागू रहेगा ।

प्रखण्ड वार चार हेक्टर तक जल क्षेत्र जलचरों की बन्दोबस्ती संबंधित पंचायत के निम्न कोटि के व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ निम्न प्राथमिकता के आधार पर किया जाय ।

(1) पंचायत के मछुआ, जो समिति के सदस्य हों,

(2) पंचायत का मछुआ, जो समिति के सदस्य नहीं है और प्रशिक्षण प्राप्त हैं ।

(3) पंचायत का मछुआ जो प्रशिक्षण प्राप्त नही है ।

(4) अन्य व्यक्ति जिन्हें मत्स्य पालन में अभिरुची हो ।

(3) एवं (4) कोटि के व्यक्तियों को प्रशिक्षण की व्यवस्था करा दी जाय ।

8- अगर पट्टेदार जलकर में समय पर विकास कार्य नहीं करेंगे अथवा जलकर का वार्षिक जमा एवं बैंक के कर्ज का किस्त समय पर अदायगी नहीं करेंगे तो मत्स्य पालक विकास एजेंसी को यह अधिकार रहेगा कि समिति अथवा मत्स्य पालक के साथकी गई बन्दोबस्ती को पूर्व सूचना के आधार पर रद्द कर दें । ऐसे मामलों में पट्टेदार पर बिहार पब्लिक डिमांड रिकभरी एक्ट के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है ।

9- प्रथम चरण में प्रत्येक सरकारी जलकर को 10 वर्षों के लिए बन्दोबस्ती किया जाएगा इसके लिए प्रथम वर्ष का सुरक्षित जमानिर्धारण पिछले तीन वर्षों के औसत जमा के आधार पर की जायगी । इसके बाद प्रत्येक दो वर्ष के बाद रक्षित जमा में पन्द्रह से बीस प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जायेगी रक्षित जमा का निर्धारण एवं उसमें बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा समाहर्त्तासह अध्यक्ष को प्रेषित कर स्वीकृत कराया जाएगा ।

10- बन्दोबस्ती की सारी औपचारिकताएं बन्दोबस्ती की अवधि आरम्भ होने के पहले ही पूरी कर ली जाएगी ताकि पट्टेदार को समय पर तालाब का कब्जा प्राप्त हो जाय ।

11- अंचलाधिकारी से प्राप्त जलकरों की सूची में जो जलकर बन्दोबस्ती से जिस तिथि से मुक्त होगा उस तिथि से उसकी बन्दोबस्ती एजेंसी द्वारा उपर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जायगी जिसकी पूर्व सूचना मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा अंचल, अनुमण्डल एवं जिला राजस्व कार्यालय को दे दी जाएगी ।

12- प्रतिवर्ष लक्ष्य के अनुसार एजेंसी द्वारा जलकरों कीलम्बी अवधि की बन्दोबस्ती की जाय तथा उसमें कोई बाधा उपस्थित नहीं हो इसका ध्यान समाहर्त्ता रखेंगे ।

13- जिन तालाबों / पोखरों को राजस्व विभाग द्वारा अभी तीन साल के लिए बन्दोबस्त कर दिया गया हो और अभी एकरारनामा नहीं किया गया है तो उसे एक ही वर्ष के लिए बनदोबस्ती हेतु एकरारनामा पट्टेदार के साथ किया जाय । अगर इन जलकरों को एजेंसी द्वारा मांग की जाती हो तो वर्तमान बन्दोबस्ती रद्द (अगर राजस्व विभाग द्वारा एकरारनामा नहीं किया गया हो) कर एजेंसी को सौप दिया जाय ।

14- सैरात में दर्ज ऐसे जलकर जो परती पड़ा हुआ हो एवं विकास के अभाव में उसकी बनदोबस्ती संभव नहीं हो सका हो तो ऐसे जलकरों की सूची अंचलाधिकारी द्वारा एजेंसी को उपलब्ध करा दी जाय ताकि उसका विकास एवं बन्दोबस्ती हो सके ।

15- ऐसे भी जलकर जो सरकारी होते हुए भी राजस्वपूंजी में दर्ज नहीं है और उनकी बन्दोबस्ती नहीं की जाती है, एजेंसी द्वारा ऐसे तालाबों की सूचना प्राप्त होने पर अंचलाधिकारी राजस्व पंजी में उन्हें दर्ज कर लेंगे और इसका सुरक्षित जमाअपर समाहर्त्ता से निर्धारित कराकर एजेंसी को सौंप देंगे ।

16- तालाब /पोखर का जलक्षेत्र भिण्डा छोड़कर जिसमें अधिकतम पानी स्थिर रह सकता हो को ही माना जाएगा ।

17- मत्स्यजीवी सहयोग समिति के साथ 50,000/- रु0 तक के सुरक्षित जमा वाले तालाबों की बन्दोबस्ती हेतु अनुशंसा देने के लिए जिला सहकारिता पदाधिकारी सक्षम होंगे । 50,000/- रु0 से उपर तथा दो लाख तक संयुक्त निबंधक एवं दो लाख से अधिक की सैरातों की अनुशंसा सहकारिता विभाग (मुख्यालय) द्वारा दी जायगी । जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं संयुक्त निबंधक दो सप्ताह में अनुशंसा दे देंगे तथा सहकारिता विभाग अपनी अनुशंसा एक माह के अंदर दे देगी । समय पर अनुशंसा प्राप्त नहीं होने पर मत्स्यजीवी सहयोग समिति को सक्षम नहीं माना जायेगा। चूँकि बन्दोबस्ती अवधि 10 वर्षों के लिए निर्धारित की गई है इसलिये सहकारिता विभाग के सक्षम पदाधिकारी द्वारा समिति को एक साथ दस वर्षों के लिए अनुशंसा दी जायेगी ।

18- प्रखण्ड समिति नियमानुकूल कार्य करती है या नहीं इसके लिए एक समिति अनुमण्डल स्तर पर गठित की जायेगी। इसके सदस्य अनुमण्डलाधिकारी सहकारिता विभाग के एक पदाधिकारी तथा पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के एक पदाधिकारी रहेंगे ।

19- राजस्व विभागीय परिपत्र संख्या- 1929 दिनांक 5.11.80 में यह प्रावधान है कि वैसे बकाये (जो छुट के दावे के लिए लंबित नहीं है) की बन्दोबस्ती के समय आधी राशि जमा कर दें और शेष राशि को बराबर किस्तों में तीन-तीन माह पर जमा करेंगे । इस प्रावधान को विलोपित किया जाता है ।

20- राजस्व विभाग (मुख्यालय द्वारा एक वर्ष के बाद पुनः विश्व बैंक परियोजना कार्यान्वयन के क्रम में उपर्युक्त निर्णय का क्या असर पड़ा उसकी समीक्षा की जायेगी । समीक्षोपरान्त यदि यह पाया गया कि इसका कार्यान्वयन सही ढंग से नहीं हो रहा है तो जलकरों को पुनः वापस ले लिया जायेगा ।

यदि बन्दोबस्ती में किसी तरह की अनियमितता बरती जायेगी तो उसे राजस्व विभाग (मुख्यालय) को रद्द करने का पूर्ण अधिकार रहेगा।

यह आदेश तत्कालित प्रभाव से पूर्व में एतद सम्बन्धी निगत सभी आदेशों को संशोधित मानते हुए लागू समझा जायेगा ।

विश्वासभाजन

(एस0 के चक्रवर्ती)
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक - 14/सै0-2-0-8/83 41 भू0 सु0, पटना 15, दिनांक 18.1.84

प्रतिलिपि आयुक्त-सह सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग/आयुक्त सह-सचिव, सहकारिता विभाग/निबंधक, सहयोग समिति बिहार पटना/ निदेशक, मत्स्य, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

(एस0 के चक्रवर्ती)
सरकार के अपर सचिव ।

पत्र संख्या :- 14/सै० -2-0-9/82 भाग - 2 432 - रा०

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री राम वृक्ष बैठा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/तिरहुत/ प्रमंडल/ भागलपुर/ सहरसा/दरभंगा /सारण ।
उत्तर बिहार के सभी जिलाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी, पटना तथा मुंगेर ।

पटना - 15, दिनांक 3-3-1983 ई० ।

विषय :- 2½ एकड़ क्षेत्रफल तक सरकारी तालाबों की बंदोबस्ती जिला मत्स्य विकास अभिकरण द्वारा किये जाने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे कहना है कि राजस्व विभाग के पत्रांक - 317 रा० दिनांक 23.3.82 के द्वारा (प्रतिलिपिसंलग्न) यह निदेश दिया गया था कि ढ़ाई एकड़ तक के क्षेत्रफलवाले तालाबों की बंदोबस्ती जिला अभिकरण द्वारा किया जाय वशर्ते बंदोबस्तीकरते समय जिला अभिकरण सर्वप्रथम उन्ही मत्स्यजीवी सहयोग समिति को प्रश्रय देगा जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो और वे हर हालत में बंदोबस्ती लेने हेतु सक्षम हों । मत्स्यजीवी सहयोग समिति की सक्षमता कीजांच करने के लिये जिला स्तर पर एक समिति गठित करने का भी निदेश दिया गया था । इस संबंध में सरकार को यह सूचना मिली है कि उपर्युक्त निदेश के बावजूद ढ़ाई एकड़ तक के क्षेत्रफल वाले तालाबों को बंदोबस्ती अभिकरण द्वारा करने के संबंध में प्रगति नहीं हो रही है । इसकीसमीक्षाविकासआयुक्त के स्तर पर की गई और विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि मत्स्यजीवी सहयोग समिति की सक्षमता की जांच करने के लिये जिला स्तर पर जो समिति बनाई गयी है उसे और व्यापक बनाया जाय । अत: यह निर्णय लिया गया कि मत्स्यजीवी सहयोग समितियों की सक्षमता की जांच करने के लिये जिला स्तर पर समाहर्त्ता की अध्यक्षता में निम्नांकित पदाधिकारियों की एक समिति गठित की जाय :-

(1) अपर समाहर्त्ता ,
(2) जिला सहकारिता पदाधिकारी,
(3) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, एफ० एफ० डी० ए०
(4) केन्द्रीय सहकारिता बैंक के कार्यपालक पदाधिकारी, एवं
(5) प्रासंगिक संबद्ध बैंकों के जिला प्रधान ।

2- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, एफ० एफ० डी० ए० 2½ एकड़ तक के क्षेत्रफल वाले उस जिला में अवस्थित तालाबों की सूची जिला समाहर्त्ता को देगा । जिला समाहर्त्ता सूची प्राप्त होते ही इस बात की छानबीन करेगा कि सूची में अंकित तालाबों की बंदोबस्ती के लिये कोई सक्षम मत्स्यजीवी सहयोग समिति उपलब्ध है या नहीं । अगर सक्षम मत्स्यजीवी सहयोग समिति उपलब्ध है तो वैसीपरिस्थिति में इन तालाबों की बंदोबस्ती मत्स्यजीवी सहयोग समिति के साथ अभिकरण द्वारा की जाएगी । अगर इन तालाबों की बंदोबस्तीलेने के लिये कोई सक्षम मत्स्यजीवी सहयोग समिति उपलब्ध नहीं है तो वैसी परिस्थिति में चयन किये गये सुयोग्यएवं प्रशिक्षित व्यक्ति विशेष के साथ अभिकरण द्वार बंदोबस्तीकी जाएगी । सह बंदोबस्ती दस वर्षों के लिए होगी । यह निर्णय मौजुदा बंदोबस्ती अवधि समाप्त होने के तीन माह पूर्व हीकर लेना होगा । इसी प्रक्रिया के अनुसार ढ़ाई एकड़ तक के क्षेत्रफल वाले उन्हीं तालाबों की बंदोबस्ती अभिकरण द्वारा की जाएगी जिसकी मौजूदा बंदोबस्ती की अवधि समाप्त होने वाली हो ।

3- अभिकरण द्वारा बंदोबस्त किये गये तालाबों से प्राप्त बंदोबस्ती कीराशि मद- 112-मत्स्य उद्योग (आय) के लघु शीर्ष किराये मे जमाकी जाएगी ।

4- इस हद तक जलकरो की बंदोबस्ती के संबंध में दिये गये सभी पूर्व निदेशों को संशोधित समझा जाए ।

विश्वासभाजन

(रामवृक्ष बैठा)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

पत्र संख्या :- 14/सै० -2-0-33/82 2 - रा०

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक

श्री रामवृक्ष बैठा

सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी आयुक्त / सभी समाहर्त्ता ।

पटना, दिनांक 8.1.82

विषय :- सभी प्रकार के सैरातों (पेरेनियल ननपैरेनियल एवं मछली सह मखाना की बंदोबस्तीके सबंध में नीति का निर्धारणके संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक - 261 रा० दिनांक 12.2.81 के क्रम में मुझे सूचित करना है कि उक्त पत्र में सुरक्षित जमा के निर्धारित के संबंध में निर्गत निदेशमें निम्न प्रकार से आंशिक संशोधन किया जाता है ।

सुरक्षित जमा का निर्धारण करने में जलकरों के विकास एवं मछली की वसूली एवं कीमत को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षित जमा तीन वर्ष पर निर्धारित की जायगी परन्तु यह सुरक्षित जमा की राशि किसी भी हालत में विगत वर्षों की सुरक्षित राशि/बन्दोबस्ती की राशि जो भी अधिक हो से 15 पन्द्रह प्रतिशत अधिक से कम नहीं होगी

विश्वासभाजन

(रामवृक्ष बैठा)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक 2 रा०, पटना , दिनांक 28.12.81

प्रतिलिपि सभी अपर समाहर्त्ता / सभी अनुमंडलाधिकारी / सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं अंचलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

(रामवृक्ष बैठा)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक 2 रा०, पटना , दिनांक 28.12.81

प्रतिलिपि सहकारिता विभाग, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित ।

(रामवृक्ष बैठा)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

पत्र संख्या :- 14/सै० -I-0-5/81 (खण्ड) -448 रा०

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री रामवृक्ष बैठा

सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

समाहर्त्ता ।

गोपालगंज ।

पटना - 15, दिनांक 12.4.82

विषय :- जलकरों का सुरक्षित जमा निर्धारण करने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपका वेतार सम्बाद संख्या - 57 दिनांक 9.2.82 के प्रसंग में मुझे सूचित करना है कि विभागीय परिपत्र सं0 2 रा दि0 8.1.82 में सभी प्रकार के सैरातों का तात्पर्य सभी प्रकार के जलकरों यथा पेरेनियल, नन-पेरेनियल एवं मछली सह मखाना जलकरों से है । इस प्रकार के जलकरों के सुरक्षित जमा के निर्धारण में जलकरों के विकास एवं मछली की बढ़ती हुई कीमत को ध्यान में रखते हुये कम से कम 15 प्रतिशत की वृद्धि करनी है यदि वर्ष 81-82 के लिये सुरक्षित जमा का निर्धारण 10 प्रतिशत बढ़ाकर किया गया है तो उक्त परिपत्र के आलोक में उसपर मात्र 5 प्रतिशत और अधिक बढ़ाकर सुरक्षित जमा का निर्धारण करना है ।

विश्वासभाजन

(रामवृक्ष बैठा)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक 448 रा0, पटना , दिनांक 12.4.82

प्रतिलिपि सभीसमाहर्त्ता/ उपायुक्त / प्रमण्डलीय आयुक्त की सूचनार्थ प्रेषित ।

(रामवृक्ष बैठा)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

पत्र संख्या :- 14/सै० -2-0-37/79 1388 - रा०

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री रामवृक्ष बैठा

सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय/आयुक्त

सभी उपायुक्त

सभी समाहर्त्ता ।

पटना, दिनांक $\frac{1}{2}$ ली जुलाई 1981

विषय :- जलकरों/फलकरों को परता घोषित करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर मुझे कहना है कि कभी-कभी प्राकृतिक आपदाओं या अन्य कारण विशेष से कुछ जलकर सूख जाते हैं आम, महुआ, खजूर ताड़ आदि फलकरों में किसी वर्ष या तो फल हीं आ पाते हैं अथवा उनके फल गिर जाते हैं या ताड़ी आदि नहीं मिल पाने के कारण बन्दोबस्ती के अयोग्य हो जाते हैं और इनकी बन्दोबस्ती उस वर्ष नहीं हो पाता है । कुछ जलकर / फलकरों की प्राकृतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाने के कारण वे स्थायी रूप से बन्दोबस्ती के सर्वथा अयोग्य हो जाते हैं ।

2- विभागीय परिपत्र संख्या - 9368 दिनांक 21.10.66 में यह आदेश है कि यदिजलकर कुछ समय के लिऐ सूख जाँय और स्थानीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियां बन्दोबस्ती लेने के लिए तैयार नहीं हों तो वैसी स्थिति में समितियों को बन्दोबस्ती लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाए। ऐसे जलकरों की बन्दोबस्ती खुली डाक द्वारा करनी है और जब खुली डाक में भी बन्दोबस्ती नहीं हो तो सैरात पंजी में इस बात को अंकित कर देना है ताकि भविष्य में यह मालूम हो सके कि किस कारण विशेष से संबंधित सैरात परता रह गया ।

3- इसी प्रकार फलकरों के संबंध में सरकार ने निर्णय लिया है कि आम, महुआ, ताड़, खजूर आदि फलकरों में फल नहीं आने या उनके फल गिर जाने अथवा ताड़ी नहीं आने पर यदि किसी वर्ष वे बन्दोबस्ती के अयोग्य हो जाएँ और उनकी बन्दोबस्ती नहीं हो सके तो ऐसे फलकर सैरात के मामलों में भूमि सुधार उप समाहर्ता या अन्य राजपत्रित पदाधिकारी से जो उस अंचल के अंचलाधिकारी से भिन्न हों, व्यक्तिगत जांच करवाकर सीमित अवधि के लिये परता घोषित करने की कार्रवाई की जाय ।

4- 100 /- रु० तक के सुरक्षित जमा के जलकर / फलकर सैरात को अस्थायी रूप से परता घोषित करने के लिये अनुमंडलाधिकारी सक्षम होंगे लेकिन 100 रु० से अधिक सुरक्षित जमा वाले जलकर/फलकर सैरात उपर्युक्त विधि से सिमित अवधि के लिये परता घोषित करने के लिए समाहर्त्ता सक्षम होंगे । प्रत्येक मामले में अंचल पदाधिकारी से भिन्न राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा स्थायी जांच कराकर ही अनुमंडल पदाधिकारी/ समाहर्त्ता परता घोषित करने का आदेश दे सकेंगे ।

5- जिन जलकरों/फलकरों की प्राकृतिक अवस्था में स्थायी परिवर्तन हो गये हों बहुत दिनों से उनकी अन्दोबस्ती नहीं हो सकी हो एवं बन्दोबस्ती के लिए सर्वथा अयोग्य हों तथा भविष्य में उनकी बन्दोबस्ती की सम्भावना बिल्कुल ही खत्म हो गयी हो तो ऐसे सैरात को सैरात पंजी से विमुक्त करने के लिए अनुमंडल के भूमि सुधार उप समाहर्त्ता या किसी अन्य राजपत्रित पदाधिकारी से जो अंचल के अंचलाधिकारी से भिन्न हों, व्यक्तिगत रूप से स्थानीय जाँच करवाकर आयुक्त के माध्यम से सरकार को प्रस्ताव भेजा जाय । प्रस्ताव में सैरात का पूर्ण विवरण, प्लौट नं०, खाता नम्बर, कुल क्षेत्रफल विगत पांच वर्षों की बन्दोबस्ती राशि आदि सूचनाएं अंकित रहनी चाहिए । मुकदमे बाजी से संबंधीत मामलों में स्थानीय वकील की राय भी ले ली जानी चाहिए ।

6- आपसे अनुरोध है कि इस अनुदेशों से सभी अधीनस्थ पदाधिकारियों को अवगत करा दिया जाय ।

विश्वासभाजन

(रामवृक्ष बैठा)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

पत्र संख्या :- 7878 /5/ मत्स्य 31/81 पटना दिनांक 12 जून 1981

सहकारिता विभाग

बिहार सरकार ।

प्रेषक,

श्री वी० पी० सिंह,
संयुक्त निबंधक, (कृषि)
बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक,
सहयोग समितियां
सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी
सभी सहायक निबंधक,
सहयोग समितियां ।

विषय :- **मत्स्य जीवी सहयोग समिति बन्दोबस्ती राशि की किस्त जमा करने एवं सैरातों के जमा के छूट (रेमिशन) देने के संबंध में दिये जाने वाले आवेदन पत्रों पर फीस का निर्धारित**

महाशय,

उपर्युक्त विषय से संबंधित राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 2253 दिनांक 31.12.76 एवं और भी संबंधित परिपत्र को सूचनार्थ एवं आवश्य कारवाई हेतु संलग्न की जाती है ।

विश्वासभाजन

(वी० पी० सिंह)
संयुक्त निबंधक (कृषि)

पत्रांक 8/से 7-12/74 200 भु0 सु0

बिहार सरकार,

राजस्व विभाग ।

प्रपक,

श्री ब्रजनन्दन सिंह,

सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सभी अपर समाहर्ता

पटना -15, दिनांक 25 जनवरी 1974

विषय :- जिला स्तर पर सैरात छानबीन समिति का गठन ।

महोदय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि विभागीय पत्रांक 236 भू0 सु0 दिनांक 6.1.1973 द्वारा यह अनुदेश दिया गया था कि आप जिला स्तर पर एक छानबीन समिति गठित कर ले तथा मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के छूट के जितने भी दावे लंबित हो उनकी जांच समिति द्वारा करा लें। और तत्पश्चात उनकी अनुशंसा सहित सभी दावों का एक समेकित विवरण बनाकर सरकार को भेजें ताकि उन्हें सैरात रेमिशन समिति के विचारार्थ रखा जा सके । विभागीय परिपत्र 1411 भु0 सु0 दिनांक 20.8.73 के द्वारा दिनांक 6.1.73 के निर्देशित परिपत्र की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये आपसे विशेष तौर पर आग्रह किया गया था कि छानबीन समिति के अनुशंसा एवं लंबित दावों को अपेक्षित विवरणी सरकार को पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर भेज दें । खेद है कि आपका प्रतिवेदन सरकार को अभी तक प्राप्त नहीं हो सका । सरकार को यह भी जानकारी नहीं है कि छानबीन समिति का गठन आपके जिले में हो पाया है या नहीं । और आपके प्रतिवेदन के अभाव में सैरात रेमिशन समिति की लंबित दावों पर विचार करने में प्राय: असमर्थ नहीं है ।

उपर्युक्त स्थिति में अनुरोध है कि इस संबंध में आप अपेक्षित कारवाई करें तथा छूट के लंबित दावों की सूची निर्धारित प्रपत्र बनाकर जांच समिति की अनुशंसा के साथ सरकार को 15.2.1974 तक अवश्य भेज दें । आपके प्रतिवेदन प्राप्ति होने पर ही सैरात रेमिशन कमिटी को विभिन्न जिलो में छूट के दावों पर विचार करने हेतु निश्चित कार्यक्रम बनाने के लिये आग्रह किया जायेगा । आप इस बात से भी अवगत हैं कि इस दावों के निर्णय नहीं होने से लाखों की सैराती आय भी यो ही फंसी हुई है ।

कृपाइसे अत्यावश्यक समझें ।

विश्वासभाजन

(ब्रजनन्दन सिंह,)

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक 8/सं) - 7-12-74 भु0 सु0, पटना दिनांक 23 जनवरी, 1974

प्रतिलिपि मंत्री बिहार प्रान्तीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति, मुसल्लहपुर पटना - 6 को सूचनार्थ प्रेषित

आग्रह है कि छूट के लंबित दावों कीजिलेवार सूची बनाकर सरकार को भेजें ताकि उन पर निर्णय लेने में शीघ्रता बरती जा सके ।

(ब्रजनन्दन सिंह,)

सरकार के उप सचिव ।

सैरात छूट के मामलों पर जिला छानबीन समिति की अनुशंसा

क्रमांक	जिला एवं अंचल का नाम	जलकर का नाम	समिति का नाम	बन्दोबस्ती वर्ष	बन्दोबस्ती की राशि
1	2	3	4	5	6

अदायगी राशि	छूट की दावे की रकम	माफी का कारण	स्थानीय पदाधिकारी की अनुशंसा	छानबीन समिति की अनुशंसा
7	8	9	10	11

पत्र संख्या :- 8/से 5-73-2253 भू० सु०

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री एस० आर० आडिगे

सचिव ।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता

पटना - 15, दिनांक 31.12.76

विषय :- मत्स्य जीवी सहयोग समिति बन्दोबस्ती राशि की किस्त जमा करने एवं सैरातों के जमा के छूट (रेमिशन्स) देने के संबंध में दिये जाने वाले आवेदन पत्रों पर फीस का निर्धारण ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे कहना है कि इस विभाग के परिपत्र संख्या 7598 भू० सु० दिनांक 27.9.67 के द्वारा मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को सैरातों की बन्दोबस्ती में यह सुविधा दी गयी है कि वे कुल जमा का एक चौथाई बन्दोबस्ती के समय दे तथा बकिये रकम की वसूली तीन बराबर किस्तों में दें, किन्तु बन्दोबस्ती की अवधि समाप्त होने के दो मास पूर्व कुल देय रकम की वसूली हो जानी चाहिये । उक्त परिपत्र के द्वारा मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को यह सुविधा भी दी गयी है कि किसी कारणवश यदि समिति बन्दोबस्त किये गये जलकर में शिकार माही नहीं कर पायी हो तो क्षति के अनुपात में उन्हें छूट दी जाय । इन छूट के आवेदन पत्रों का निष्पादन तीन महीनों में अवश्य कर दिया जाए । जहां छूट के आवेदन पत्र जो नये वर्ष में बन्दोबस्ती प्रारम्भ होने के तीन महीने के अन्दर देने के कारण निष्पादित नहीं हो सके हैं तो उस कारण समिति को जलकरों की बन्दोबस्ती से वंचित नहीं किया जायेगा ।

2. तथ्यहीन छूट के दावे करने वाले आवेदनों की अप्रोत्साहित करने तथा उचित मामलो की शीघ्रता से निस्तार करने के उद्देश्य से राजस्व विभाग के परिपत्र संख्या 8536/भू० सु० दिनांक 10.6.69 के द्वारा यह निदेश दिया गया था कि छूट के दावे की रकम का पांच प्रतिशत जिसकी न्यूनतम राशि 5 रु० तथा अधिकतम राशि 250 रु० होगी, फीस के रूप में लिया जायेगा ।

3. सरकार का यह अनुभव है कि उपर्युक्त परिपत्रों के द्वारा मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को दी गयी सुविधाओं का सही फायदा न उठाकरसमितियों न समय पर जमा की राशि की भुगतान करती है और न तथ्यहीन छुट के दावों के आवेदन पत्रों में ही कमी आयी है । फलस्वरुप सैरात के बकाये की राशि में उत्तरोतर वृद्धि होती जा रही है और साथ-साथ तथ्यहीन छूट के दावों को भी सरकार को निस्तार करना पड़ रहा है।

4. अतएव सरकार ने इस मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के पश्चात् निम्नलिखित निर्णय लिया है ।

(क) निर्बाधित तथा सहकारिता विभाग द्वारा अनुशंसित मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को सुरक्षित जमा पर सैरातों की बन्दोबस्ती करते समय पूरे जमा का 33½ प्रतिशत बन्दोबस्ती की तिथि पर ही जमा करना होगा और बकिये रकम की वसूली दो बराबर (किस्तों में की जायेगी लेकिन अंतिम किस्ते बन्दोबस्ती की अवधि समाप्त होने के दो मास पूर्व अवश्य वसूल कर लिया जायेगा ।

(ख) छूट के दावे संबंधी प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ छूट के दावे की रकम का 10 प्रतिशत फीस ली जायेगी किन्तु फीस की न्यूनतम राशि 5 रु० से कम तथा अधिकतम राशि 2000 रु० से अधिक नहीं रहेगी ।

5. विभागीय पत्रांक 7598 भू० सु० दिनांक 27.9.67 एवं पत्रांक 8536 भू० सु० दिनांक 10.9.67 में दिये गये अनुदेश इस पत्र में दिये गये अनुदेश के हद तक संशोधित समझे जायेंगे ।

6. यह आदेश दिनांक 1.1.74 से प्रभावी समझा जायेगा ।

7. पत्र की प्राप्ति की सूचना दें ।

विश्वासभाजन

ह०/- एस० आर० अडिगे

सचिव ।

ज्ञाप सं०- 8/से 7-5/73 2253 दिनांक 31.12.73

प्रतिलिपि सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी समाहर्त्ता/सभी भूमि-सुधार उप-समाहर्त्ता/सभी अनुमंडलाधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ ।

ह०/- एस० आर० अडिगे

सचिव ।

पत्र संख्या ई/सै0-1-18/68-8536 भू० सु०
बिहार सरकार,
राजस्व विभाग ।

प्रेषक,

श्री पी० प्र० श्रीवास्तव,
सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता ।

पटना 15 दिनांक 10वीं सितम्बर, 1969 ।

विषय :- सैरातों के जमा में छूट (रेमिशन) देने के संबंध में दिये जाने वाले आवेदन पत्रों पर फीस का निर्धारण ।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे उपर्युक्त विषय के संबंध में निवेदन है कि सैराते की बन्दोबस्ती के बाद प्राकृतिक प्रकोप मुकदमें, बेदखली तथा अन्य कोई रुकावट आदि होने के फलस्वरूप उस क्षति कीपूर्ति के लिये पट्टेदारों (लेसी) द्वारा छूट के दावे किये जाते हैं और उन पर सैरात रेमीशन कमिटी या अन्य सक्षम पदाधिकारियों के द्वारा आवश्यक जांच पड़ताल के बाद उचित छूट स्वीकृति की जाती है ।

2. विगत वर्षों में ऐसा देखा गया है कि बिना उचित कारणों के भी राज्य के विभिन्न मत्स्यजीवी सहयोग समितियों या अन्य व्यक्तियों द्वारा समय-समय पर छूट के नाजायज और बेबुनियाद दावे किये जाते रहे हैं जिनकी जांच पड़ताल एवं निष्पादन कराने में अनावश्यक परेशानी और विलम्ब होना स्वाभाविक है ।

3. अतएव सरकार ने उस विषय पर पूर्ण विचार विमर्श कर तथ्यहीन दावे करने वाले आवेदकों को अप्रोत्साहित करने तथा उचित मामलों का शीघ्रता से निस्तार करने के उद्देश्य से यह निश्चय किया है कि सैरातों की बन्दोबस्ती के जमा में ऐसे छूट दावे संबंधी आवेदन पत्र के साथ छूट के दावे की रकम का 5 प्रतिशत रुपया फीस स्वरुप जमा लिया जाय लेकिन फीस की न्यूनतम रकम 5 रु0 और अधिकतम रकम नहीं 250 रु0 से अधिक हो । यदि छूट संबंधी आवेदन पत्र मंजूर हो जाय तो फीस की रकम का समायोजन कर लिया जायेगा और यदि छूट का दावा झूठा और तथ्यहीन पाया गया तो उनका आवेदन पत्र खारिज पर फीस की रकम जप्त कर ली जायेगी और ऐसी रकम को सैरात के आयशीर्ष में जमा कर उचित हिसाब रखा जाएगा ।

4. इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि इस पत्र के निर्गत होने की तिथि तक छूट संबंधी जो भी आवेदन पत्र प्राप्त हो उन्हें फीस के निर्धारित रकम के स्वीकार नहीं किया जाय, परन्तु इस पत्र के निर्गत होने से पहले छूट संबंधी जितने आवेदन पत्र प्राप्त हो चुके हैं, उनपर यह नियम लागू नही होगा ।

5. इस पत्र की प्राप्ति कृपया स्वीकार करें ।

विश्वासभाजन

(पी० प्रसाद श्रीवास्तव)
अवर सचिव ।

ज्ञापांक 8536 भू0 सु0, पटना - 15 दिनांक 10वीं सितम्बर, 1969 ।

प्रतिलिपि सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी अपर समाहर्त्ता, अनुमंडलाधिकारी, भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता, प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई के लिये भेजी जाती है ।

(पी० प्रसाद श्रीवास्तव)
अवर सचिव ।

ज्ञापांक 8536 भू0 सु0, पटना - 15 दिनांक 10वीं सितम्बर, 1969 ।

प्रतिलिपि संयुक्त निबंधक, सहकारिता विभाग/मंत्री, बिहार प्रान्तीय मत्स्यजीवी सहयोग संघ, मुसल्लहपुर हाट, पटना-4 को सूचनार्थ भेजी जाती है ।

(पी० प्रसाद श्रीवास्तव)
अवर सचिव ।

पत्र संख्या ई/सै0-1-110/67-7598 भू० सु०

बिहार सरकार,

राजस्व विभाग ।

(भूमि सुधार शाखा)

प्रेषक,

श्री रामदत्त पाण्डे,

सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता ।

पटना 15 दिनांक 27 सितम्बर, 1967

विषय :- सैरात से आमदनी बढ़ाने के संबंध में पद्धति ।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे उपर्युक्त विषय पर यह कहना है कि सरकार ने सैरात से आमदनी बढ़ाने के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिया है:-

1. सभी स्थानीय पदाधिकारियों को सक्त हिदायत दी जाय कि सैरात रजिस्टर पुनः जांच कर अद्यतन करा लें और यह देखें कि जिन सैरातो की बन्दोबस्ती करनी है छूटती तो नहीं ।

2. बन्दोबस्ती के पूर्व सैरातों की सुरक्षित जमा आकाल को बाजार दर को दृष्टि में रखते हुये निर्धारित की जाय । सुरक्षित जमा निर्धारित करते समय यह देखना चाहिये कि गत तीन वर्षों की आमदनी की औसत आय के ऊपर कुछ वृद्धि की जाय । (उपर वृद्धि की रकम औसत आय जमा से 50 प्रतिशत से कम न हों) । जहां पिछले पांच वर्षों से वृद्धि की जानी चाहिये । जहां पिछले दस वर्षों या उससे अधिक में सुरक्षित जमा में वृद्धि नहीं, हो वहां डाक करके वृद्धि का अनुमान कर लिया जाय ।

3. जहां तक जलकरों की बन्दोबस्ती मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के साथ करने की बात है उसमे भी कंडिका 2 के अनुसार सुरक्षित जमा तय करके बन्दोबस्ती करने की प्रथा तुरत चालू की जाय । यदि समिति इस जमा पर बन्दोबस्तीन लेतो खुले आम डाक द्वारा जलकरों की बंदोबस्ती की जाय ।

4. जहां इस सिद्धान्त से सुरक्षित जमा कम निर्धारित हो वहां कम होने के कारणों का पूर्ण स्पष्टीकरण बन्दोबस्ती अभिलेख में अंकित कर दियाजाय जिससे उपर के पदाधिकारी द्वारा आवश्यकता अनुसार जांच भी हो सकें ।

5. सैरात की डाक पर चढ़ाते समय निर्धारित सुरक्षित जमा सहकारी डाक रखी जानी चाहिए । साथ ही डाक की तिथि आदि की घोषणा विधिवत पूर्णरूप से होनी चाहिये । डाक कभी भी अवकाश के दिन या रविवार का नहीं रखी जानी चाहिए ।

6. जहां तक सैरात के बकाये रकम की वसूली का प्रश्न है उसमें कोई शिथिलता न होनी चाहिये । पुराने ठीकेदारों के यहां जो भी बकायें हो उसकी वसूली पूरी सख्ती एवं तत्परता के साथ होनी चाहिये ।

7. किस्त के रुपये नहीं चुकाने पर चाहे ठीकेदार हो या समिति, पुनः समय देने की प्रथा पर, पूरी रोक लगा दिया जाय । यदि निश्चित समय पर किस्त की चुकती नहीं हो, तो सैरात को पुनः डाक पर बढ़ा देना चाहिये ।

8. जो जलकर सुख जाय मरने हो जाय या बेदखल हो जाय तो समय-समय पर निर्गत सहकारी आदेशानुसार समिति को क्षति के अनुपात में छूट दी जाय ।

9. छूट संबंधी आवेदन पत्र का निष्पादन तीन माह के अन्दर अवश्य कर दिया जाय जहां छूट के वे आवेदन पत्र जो बन्दोबस्तो प्रारम्भ होने के पहले तीन मास के कम हो, और यदि उनका निष्पादन न हो सका हो तो उसके कारण समिति को जलकर देने से वंचित न रखा जाय ।

10. सक्षम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत होने पर परवाना ठीकेदार या समिति को तुरत दे दी जाय तथा उसमें सैरात का पूरा विवरण, जैसे गांव का नाम, खाता नं० प्लौट नं० ऐराजी, सीमा आदि को स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाय ।

11. जमा की वसूली में समिति को केवल यह सुविधा दी जाय कि वे कुल जमा का एक चौथाई बन्दोबस्ती के समय दें तथा बकिये रकम की वसूली तीन मास में कर दें । परन्तु बन्दोबस्ती की अवधि समाप्ति होने के दो मास पूर्व अवश्य कुल वसूली कर देना होगा ।

12. जो सैरात जो ठीकेदार या लेसी के साथ बन्दोबस्ती होगी उसकी अन्य संप्रति आदेश हो इस विभाग के पत्रांक 687, दिनांक 25 जनवरी, 1966 में दर्शायी उसके अनुसार ही की जायगी । अर्थात बन्दोबस्ती के समय जमा का आधा रकम दो किस्त देना होगा । परन्तु बन्दोबस्ती की अवधि समाप्ति के दो मास पूर्व अवश्य वसूल कर देना होगा ।

13. भविष्य में सभी सैरातों की बन्दोबस्ती उपर्युक्त आदेशों के अनुसार की जाय, सभी अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा भी इसकी उचित पालन कराकर इस आदेश के अनुपालन में शिथिलता बरतने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी ।

14. इस आदेश को तुरन्त लागू किया जाय तथा इसके पूर्व के सभी आदेश जिसमें विरोधाभास प्रकट हो उसे इस अंश तक संशोधित समझें जायेंगे ।

15. कृपया इसकी प्राप्ति स्वीकार की जाय ।

विश्वासभाजन

(रामदत्त पाण्डे)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक - ई/से1-110/67-7598 भू0 सु0 पटना 15 दिनांक 26 सितम्बर 1967

प्रतिलिपि सभी आयुक्त/सभी भूमि सुधार समाहर्त्ता/अंचल अधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

(रामदत्त पाण्डे)
सरकार के सचिव ।

Letter No. E/SRT-10-130/64-967-LR dated Patna the 31st Jan., 1964, from the Additional Secretary to Government of Bihar, Revenue Department, to all Collector.

Sub. : Realisation of outstanting sairat dues and delegations of the powers of granting remission.

I am directed to say that heavy arrears of sairat dues outstanding and in a large number of cases effective steps are not being takenfor realised as the petitions for remissions have not been disposed of.

2. In order to deal with the large number of remission petitions received from the Fisherman's Cooperative societies, have disposed of almost all cases of Bhgalpur and Tirhut Divisions except a few which are likely to be disposed of shortly. Government expect that in all such cases the dues after remission must have been recovered by ..... and where this has not been done, the societies concerned should due called upon to deposit the same before the 31st March, 1964, positively, failing which steps should be taken for the recovery of the arrear dues through the certificate procedure.

3. In order to avoid such delays in dealing with remission cases inrespect of all categories of Sairats in future, Government have been pleased to lay down the following procedure :-

(i) Petitions for remission should be filed before the Anchal Adhikari within one month from the date on which the cause of remission arose,namely, digging up of Jalkars,non-delivery of possession, intereference by private parties or any other reason, there upon, a miscellaneous case should be started with a regular order sheet.

(ii) If the petition for remission is not filed within the stupulated period, for unavoidable reasons the grounds for the same should be explained in writing on the petition.

(iii) A local enquiry should be held by the Anchal Adhikari who should forward his report to the Land Reforms Deputy Collector within a fortnight. In case of time barred petitions, he should report, whether the petition should be rejected summarily.

4. The Land Reforms Deputy Collector, after holding further enquiry if necessary, will put up the matters to the Subdivisional Officer with his comments.The report should soon be forwarded to the Additional Collector, who may reject the petition if on the facts reported through the Subdivisional Officer, no remission is justified. If, however, he thinks any remission is justified be may put up the case to Collector for orders. The powers of granting remission is respect of Sairat Revenue will be as follows :-

(i) Up to Rs. 250/- remission may be granted by the Collector in respect of each Sairat for a particular year.

(ii) Up to Rs. 500/- remission may be granted by the Divisional Commissioner, in respect of each sairat for a year.

All cases of remission for higher amounts should be reported to Government inthe Revenue Department through the Divisional Commissioner, where remission has beengranted by the Local Officer, a copy thereof may be sent to this Department for information of Government.

5. Government desire that by the 30th April, 1964 a statement should be sent to this Department showing the over all position of recovery etc.on the proforms given below :-

(i) Total amount of revenue of Jalkars or other categories of Sairat settled.

(ii) Total amount claimed for remission.

(iii) Total amount remitted after disposal of the claim.

(iv) Total amount payable after disposal of claims.

(v) Amount realised up to the 31st March, 1963.

(vi) Amount still outstanding for recovery onthe 1st April, 1964.

(vii) Whether all outstanding dues are covered by certificate.

(viii) Remarks.

6. The receipt of the letter may kindly be acknowledged.

Copy of letter No.E/XIX-108/58-8822-LR dated Patna, the 12th December 1958 from the Deputy Secretary to Government of Bihar, Revenue Department to all Collectors.

Remission in Jamo-due to tarious factor - It has been brought to the notice of Government that in a large

number of cases the Fisherman's cooperative Societies seek remission to the grounds, amoungst other, that in spite of orders of settlement by the local officers they did not get possession of the Jalkar on account of litigation between the parties concerned or that the Jalkare did not actually exist. These applications took a long time before they were disposed of and the disputed dues stood as arrears in the way of settlement of fisheries with the cooperative societies in the following year.It has therefore, been decided that :-

(i) Where possessionof a Jalkar in a tank or in Ahar,etc. settled by the authorities concerned is not actually obtained by a Fisher,an's Cooperative Society a petition for remission should be filed before Collector within two months of the date of settlement ;

(ii) Where remission in the Jama is should because of the drying up of the bed of a river or a stream or a tank an application for remission should befiled by the society before the Collector within a month of the date of settlement;

(iii) If a petition for remission is filed in time by the society being the lease settlement of the fishery with it for the next term should not be refused merely on the ground that the arrears mentioned in the petition for remission have not been paid by the society during pandency of the petition for remission All such petitions for remission should, however, be normally disposed of within a month of the date on which they are filed.

(iv) where a remission petition relating to the year 1957-58 or prior to that is disposed of an orders are passed by the Collector to the effect that the entire arrears of Jama or part thereof outstanding against the Fishermen's Cooperative Society, i.e.the lessee have to be paid situated instalments may be fixed by the Collector for recovery of the entire amount within a year.

In respect of fisheries which were settled with the Fishermen's Cooperative Societies during the year 1957-58 but possession of which could not be given to them either because of litigation or other factors, or becuse those did not actually exist the Secretary to the Government in the Coopertive Department will forward to the Collectors a list by the 31st December, 1958 for necessary action.

The instructions of Government contained in this Department letter Nos. 878-LR dated the 2nd August 1952, 45 R dated the 4th January, 1952 and 1982-R dated the 18th March, 1955 should be treated as modified to the extet outslined above.

The instructions above may be brought to the notice of all concerned for their information and necessary action.

Fifty spre copies of this letter are enclosed for circulation.

Letter No. E/SRT-350/64-4162-LR dated Patna, the 21st April, 1964 from the Additional Secretary to Government of Bihar, Revene Deptt. to all Collectors.

Subject :- Settlement of fishery right with Fishermen's Cooperative Scocieties - Procedure to be followed.

I am directed to refer to the instructions contaied in this Department letter No. 5169-LR dated the 7th July, 1960 (reproduced at pages 67-60 of the Sairat Compendium) on the subject noted above and to say that the position has been reviewed by Government and it has been decided, in agreement with the Bihar Prantiya Matsyajivi Sahyog Sangh, that the following principles should be strictly observed with regard to the settlement of fisheries with Fishermen's Cooperative Societies:-

(i) Cases of only registered Cooperative Societies should be considered for settlement of fishery, and if more than one exists in the same locality, the Deputy Registrar, Cooperative Society will be asked to nominate the Society with which the settlement should be made;

(ii) If the society is in arrears not covered by any application for remission, it should be black-listed and to no settlement of fishery should be made with it unless it has clered off all arreare dues;

(iii) In the case of arrears due from the societies, after the decision of the remission committee, the societies will be given facilities for paying the same in four equal annual instalments only;

(iv) In the cases where the application for remission have not been decided, necessary steps should be taken to dispose of the same as quickly as possible;

(v) The reserve Jam will be fixed according to the provisions of rule 7-U of the Bihar Land Reforms Rules where the Officer departs from the average of the last three years he will get the approval of the Commissioner (this rule is being amended so as to get the approval of the Collector or the Additional Collector);

(vi) A society should not be in any arrear between the years 1960-61 to 1963-64;

(vii) A society should undertake to pay the current due along with the arrear instalments according to the dates fixed for the purposes as in indicated in sub-paragraph (iji) above;

(viii) Settlemen wil lbe made with the Fishermen's Cooperative Societies may only on the above conditions. So far as the settlements for the current year are concerned, where it has not yet been finalised these, principles should be strictly followed;

(ix) If the legitimate claims of the Cooperative Socieltes are not recognised in the matter mentioned above. Government will have to tke proper notice on the other hand, the Bihar Prantiya Matsyajivi Sahyog Sangh will ensure that these conditions are satisfied before they come up with any recommendation for any Cooperative Society and all outstanding dues with Fishermen's Cooperative Society are realised promptly on the terms and conditions mentioned above.

Copy of Letter No. E/XIX-1-0 12/59 -5169- LR dated the 7th July, 1960, from the Deputy Secretary to Government of Bihar, Revenue Deprtment (Land Reforms Section) to all Collectors.

Subjected :- Lease of fishery rights in the rested estates and the old Khas Mahal.

I am directed to invite your attention to the instructions of Government conveyed in this Department's letter No 1982-R, dated the 18th March, 1955 reproduced at pages 406-408 of the compendium of Government orders and circulars on Land Reforms and allied matters' and the marginally noted letters on the subject noted above and to say that the question regulating the grant of leases of fishery rights in the vested estates and old Khs Mahal has been reconsidered by Government in the light of the experience of the recent past and they have been pleased to decide as below :-

Letter No. 8822-LR dated the 12th December 1958 and o. 4862- LR dated the 22nd May, 1960.

(i) Fisheries should be leased out, without holding any auction, on the average of the preceding three years Jama do Fishermen's Cooperative Societies which are registered under the Bihar and Orissa Cooperative Societies Act and are recommended for such lease by the Registrar,Cooperative Societies, Bihar in this behalf.

(ii) The average of the last three years Jama should be fixed by the authority,who has got powers as mentioned below, to make settlement thereof, according to the delegation conveyed in this Department's letter No. 5235-LR dated the 21st September, 1955 reproduced at pages 411-412 of the Compendium and no. 3794-LR dated the 24th April, 1956.

Subdivisional Officer - Up to Rs.200

Additional Collector - Up to Rs. 1,000

Collector - Up to Rs. 5,000

Commissioner - Up to Rs. 10,000

(iii) Where the potentiality of a Jalkar has appriciable in value the authority concerned as mentioned above should fix the same after taking into consideration the precedingthree year's Jama and also the potentiality of the Jalkar to yield a higher income and then should obtain approved of the next higher authority to the Jama so fixed. For instance if,the triennial average in such a case, is fixed by the Collector, he willobtain the approval of the Commissioner, Likewise if it is fixed by the Commissioner, he should refer to matter to the Land Reforms Commissioner for approval after the settlement is made. Similar procedure will also be followed if figures for three years are not available.

(iv) In allcases, however, where the triennial average isnot accepted or is not available an opportunitity should in variably be given to the Fishermen's Cooperative Society to place their points of view before the Jama is actually recommended by the authority competent to make settlemet for theapproval of the next higher, authority concerned.

(v) Fisheries will be settled with the Fishermen's Cooperative Society on the Jama fixed as above, subject to the condition that if on the basis of audited accounts the society earns a net profit in excess of 5 percent of their working capital they shall pay 50 per cent of these excess above 5 per cent to the State Government.For finding out the triennial average Jama for future years, half of the profits taken out in a year will be added to the Jama of that year, and the total figures will be treated as the Jama of that year.

(vi) Fisherman's in perennial rivers and Streeme and also big Jheels, where in a constant Flow of water is assured throughout the year should containue to be leased out on a an annual basis, while tanks, bandhs and shares etc. should be settled generally for three years at a time as already laid down in this Department's letter No. 8822-LR

dated the 12th December. 1958.

(vii) Big Jalkars having unwieldy sizes, particularlythose, comprised inthe Gnga should be splitup into small practical units convenient fromthe operational point of view, inconsultation with the officer of the Coopertive Department so that these may be managed conveniantly by the Anchal Adhikari/Circle Officers/Block Development officers concerned within their respective jurisdictions or within areas adjacent to their Anchals.

(viii) Every Fishermen's Cooperative Societies should have on its Managing Committee at least three members namely the Anchal Adhikari/Circle officer/Block Development Officer concerned, a Supervisor of the Fisheries Deprtment and a Supervisor of the Cooperative Department. There organisationof the societies so as to include these three person is their Managing Committee should be completed as quickly as possible in consultation with the Cooperative Department.

(ix) Adoptionof revised bye-laws by the Fishermen's Coopertive Societies under which such members as are not fishemen by profession are to be excluded from the Societies concerned should be expedited.

(x) Several Fishermen's Cooperative Societies have defaulted in payment of the Jamas and petition have been filed in their behalf for remission. A list of all such arrears of demands whould therefore, be prepared and a list of patitions for remissionshould also becomplied. as already requested in this Department's letter No. 451-LR dated the 8th June 1960 (copy enclosed). A report should also be forwarded indicating the pying capacity of the society and the instlments to be fixed for realisation.A scrutiny shall then be made in respect of these arrears and their cases for remissionshall be considered by committee consisting of the Deputy Minister, Revenue as president and two membes representing the Revenue and the Cooperative Deprtment pending examination of the cases of the Fishermen's Cooperative Societies for the remission of Jamas due from them all certificate proceeding instituted in the districts for the recovery there of should be stayed.

(xi) Petitions for remission should be entertained within one month from the date on which the cuse for remission arose, namely drying up of the Jalkar on non-delivery of possessionor any other reason. A local inspection should in variable be held by the Ahchal Adhikaris or any other officer deputed by the Collector in this behalf and it should be completed withinone month from the date of the filling of the petition. The petition for remission should be disposed of within a period of three months from the date of receipt by the authority who has sanctioned the settlement.

GOVERNMENT OF BIHAR

DEPARTMENT OF INDUSTRIES AND COOPERATION

(Cooperative)

Circular Memo No. 2515 Dated, Patna the 11 Dec.1957

Subject : Instruction regarding checking of Rebate claims.

Several instructions have beenissued from time to time by this office and the office of the Assistant Registrar, Cooperative Societies, on the subject noted above. With a view to incorporate all of them at one place with such modifications have been deemed necessary, the following instructions are issued :—

1. All the Weavers' Cooperative Societies, claiming rebates shall submit their claims in duplicate in the prescribed proforma (Appendix "A" - copy enclosed) along with copies of cash memos showing the sales of the cloth. The claims should be prepared for the full month end not in parts. It should reach the Supervisor by the 7th of every subsequent month. The Supervisor after checking the claims willforward the same to the Block Development Officer, Community Block Officer,Project Executive Officer (Industries) concerned, if the society falls within a Nationl Extension Service Block, Community Development Officer, or Pilot Project Officer (Industrial). The claims of Weavers cooperative Societies falling Outside the aforesaid area shall be sent to the Assistant Registrar, Cooperative Societies, of the Circle.The Supervisor-in-charge should ensure that the claims, after carefully checked, are positively sent by him to the office concerned by the 15th of each month. To guard against any delay at any stage he should maintain a Register inthe Form enclosed (Appendix - B) and keep it in always up-to-date.

2. No rebate will be admissible on cloth which has not been actually manufactured from the yarn supplied by the society to its members.It is therefore,necessary that the Supervisors should verify very carefully the genulenness of the purchases of yarnby local enquiry. In case of any Suspiction they must verify the purchase from actual supplier of yarn.

3. The society should purchase yarnfrom the Depot belonging to the Bihar State Handloom Weavers' Cooperative Union Ltd.,in the first instance.Only in case where there is no yarn available in the stock of the Union, they may purchase from the market. In every such case they should invariably obtain, beforhand a certificate of non-availability of yarn from the Depot Manager of the Union, in the prescribed from (Appendix'C' - copy enclosed).

पत्र संख्या 14/सै0-2-0-13/81, 700 /रा०

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री रामवृक्ष बैठा,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता ।

सभी अपर समाहर्त्ता

सभी अनुमंडल पदाधिकारी

पटना, दिनांक 1/2-4-81 ।

विषय :- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रशासनाधीन पैसे, हाट एवं बाजार जो बिहार कृषि उपज बाजार समिति को हस्तान्तरित है को वर्ष 81-82 के लिये हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक - 663 दिनांक 15/17-4-74 एवं अनुवर्ती राज्यादेश सं0-1478 दिनांक 22.6.76, 1143 दिनांक 21.6.77, 1030 दि0 5.4.78 एवं सेविंग ग्राम संख्या 224 दिनांक 31.1.79 एवं पत्रांक 1578 दि0 12.7.75 तथा 377 दिनांक 21.2.79 के क्रम में विचारोपरान्त सरकार ने निर्णय लिया है कि जो हाट एवं बाजार पूर्व में बाजार समितियों को हस्तान्तरित थे, वे वितीय वर्ष 81-82 में भी उन्हीं शर्तों पर उनके साथ हस्तान्तरित रहेंगे ।

विश्वासभाजन

(रामवृक्ष बैठा)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक 700 रा0 पटना, दिनांक 1/2.4.81 ।

प्रतिलिपि कृषि विभाग, अध्यक्ष, बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद, बिहार, अभय भवन, फ्रेजर रोड, पटना को उनके ज्ञापांक 812 दि0 4.2.81 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(रामवृक्ष बैठा)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

पत्र संख्या :- 14/सै० -2-0-33/82 261 - रा०

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री रामवृक्ष बैठा

सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी आयुक्त / सभी समाहर्त्ता ।

पटना, दिनांक 12.2.81

विषय :- सभी प्रकार के सैरातों (पेरेनियल ननपेरेनियल एवं मछली सह मखाना) की बंदोबस्तीके संबंध में नीति का निर्धारणके संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार विभागीय पत्रांक - 1929 भू० सु० दिनांक 5.11.80 के क्रम में उपर्युक्त सैरातों की बंदोबस्ती के लिये नीचे लिखी प्रक्रिया 1.4.1981 से होने वाली बंदोबस्ती में अपनायी जाएगी और इस हद तक उक्त पत्र में निर्गत निदेश संशोधित समझा जायेगा ।

1. जलकरों की बंदोबस्ती खुली डाक से नहीं कर प्रमंडलीय एवं जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा निर्धारित सुरक्षित जमा पर हर तीन वर्षों पर इच्छुक एवं सक्षम मत्स्यजीवी सहयोग समिति के साथ की जायेगी ।

2. सैरातों की क्षमता आंक कर सुरक्षित जमा निर्धारण करने के लिये प्रमंडलीय एवं जिला स्तर पर एक समिति रहेगी जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे ।

<u>प्रमंडलीय स्तर पर</u>

1. आयुक्त.	अध्यक्ष
2. संबंधित समाहर्त्ता	सदस्य
3. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियां	सदस्य
4. प्रमंडलीय स्तर के मत्स्यपालन पदा0	सदस्य
5. बिहार प्रान्तीय म0स0स0लि0 द्वारा मनोनीत एक सदस्य	सदस्य

<u>जिला स्तर पर</u>

1. समाहर्त्ता,	अध्यक्ष
2. अपर समाहर्त्ता	सदस्य
3. जिला सहकारिता पदाधिकारी	सदस्य
4. जिला मत्स्य पदाधिकारी	सदस्य
5. संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता	सदस्य
6. बिहार प्रान्तीय म0स0स0लि0 द्वारा मनोनीत एक सदस्य	सदस्य

जिला स्तर की समिति 25 हजार रुपये तक के जलकरों की सुरक्षित जमा निर्धारित करेगी एवं इससे उपर की राशि के जलकरों की सुरक्षित जमा प्रमंडलीय स्तर की समिति निर्धारित करेगी ।

सुरक्षित जमा निर्धारण करने में जलकरों के विकास एवं मछली की बढ़ती हुई कीमत को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षित जमा निर्धारित की जायेगी परन्तु यह सुरक्षित जमा की राशि किसी भी हालत में विगत वर्ष की सुरक्षित राशि/बंदोबस्ती की राशि, जो भी अधिक हो से 10 प्रतिशत

अधिक से कम नहीं होगी ।

अगर सुरक्षित जमा पर समिति जलकर लेने के लिये तैयार नहीं हो तो खुली डाक से जलकर की बंदोबस्ती उच्चतम डाक पर निर्धारित अवधि के लिये उच्चतम डाक वक्ता के साथकी जायेगी, किंतु डाक की उच्चतम राशि किसी भी हालत में सुरक्षित जमा से कम नही होगी ।

अतः आपसे अनुरोध है कि जलकरों की बंदोबस्ती हेतु तदनुसार कार्रवाई की जाय ।

पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें ।

विश्वासभाजन

(रामवृक्ष बैठा)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक 261 रा0, पटना , दिनांक 12.2.81

प्रतिलिपि सभी अपर समाहर्त्ता / सभी अनुमंडलाधिकारी / सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं अंचलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

(रामवृक्ष बैठा)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक 261 रा0, पटना , दिनांक 12.2.81

प्रतिलिपि सहकारिता विभाग, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित ।

(रामवृक्ष बैठा)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

पत्र संख्या 10/सै0-2-0-28/79 1960 /रा०

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री अख्तर अहमद अंसारी

सरकार के उप-सचिव आयुक्त ।

सेवा में,

सभी अपर समाहर्त्ता ।

सभी समाहर्त्ता

सभी आयुक्त के सचिव ।

पटना - 15, दिनांक 27वीं अगस्त 1979 ।
29

विषय :- 1ली अक्टुबर से 30 सितम्बर की अवधि के लिए बन्दोबस्त होने वाली सैरातों की जमा राशि वसूली के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक 1725 रा0, दिनांक 20/23.7.79 के क्रम में मुझे कहना है कि उक्त विभागीय परिपत्र कीकंडिका - 2 की पांचवी पंक्ति में टंकण की भूल से 1/3 के स्थान पर 1/2 छप गया है । वस्तुस्थिति यह है कि मत्स्यजीवी सहयोग समिति के साथ बन्दोबस्ती के मामले में बन्दोबस्ती के पूर्व अर्थात् परवाना निर्गत करने के पूर्व 1/3 राशि तथा व्यक्ति विशेष के साथ बन्दोबस्ती के मामले में बन्दोबस्ती की आधी राशि निश्चित रूप से वसूल करनी है । अन्य बातें पूर्ववत रहेगी ।

2- कृपया इस पत्र की प्राप्ति की सूचना दी जाय ।

विश्वासभाजन

(अख्तर अहमद अंसारी)

सरकार के उप-सचिव ।

पत्र संख्या 10/से0-2-0-4/80 1929 /भू० सु०

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री आर0 एन0 सिन्हा

सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता । सभी उपायुक्त ।

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त ।

पटना - 15, दिनांक 4/5वीं नवम्बर, 1980 ।

विषय :- सभी प्रकार के सैरातों (पेरेनियल, नन-पेरेनियल एवं मछली सह-मखाना सैरात) की बन्दोबस्ती के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसर मुझे कहना है कि सम्प्रति विभागीय पत्रांक 2526 दिनांक 12.9.78 की कंडिका (2) में निहित अनुदेश के अनुसार नन-पेरेनियल जलकरों की बन्दोबस्ती 3 वर्षों के लिये तथा मखाना एवं मखाना-सह जलकरों की बन्दोबस्ती एक वर्ष के लिये की जाती है। इसी प्रकार विभागीय पत्रांक 1984 दिनांक 31.8.79 के अनुसारपेरेनियल जलकरों की बन्दोबस्ती एक साथ दो वर्षों के लिए की जाती है । इस सम्बन्ध में विभिन्न श्रोतों तथा बिहार प्रान्तीय मत्स्य जीवी सहयोग संघ से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार कर सरकारने उपरोक्त अनुदेशों को पूर्व मे निर्धारित बन्दोबस्तीअवधि को संशोधित करते हुये निम्नांकित निर्णय लिया है :-

1- अब से सभी प्रकार के जलकरों यानि पेरेनियल, नन पेरेनियल तथा मखाना एवं मखाना-सह -जलकरों की बन्दोबस्ती एक साथ तीन वर्षों के लिये होगी । प्रत्येक तीन वर्ष के बाद इन सभी प्रकार के जलकरों कीक्षमता जांच करने हेतु खुली डाक की जाय । जिस वर्ष क्षमता जांच करने के लिये खुली डाक होगी उस वर्ष बन्दोबस्ती उच्चतम डाक वक्ता के साथ की जाय । मत्स्यजीवी सहयोग समिति भी डाक में भाग ले सकती है और समिति की डाक उच्चतम होने पर उनके साथ बन्दोबस्ती की जाय अगर उच्चतम डाक वक्ता समिति के बजाय कोई व्यक्ति विशेष हो तो वैसी स्थिति में जलकर की बन्दोबस्ती उनके साथ मात्र एक साल के लिये की जायेगी । शेष दो वर्षों के लिये सुरक्षित जमा की राशिपर जलकरों की बनदोबस्ती सक्षम मत्स्यजीवी सहयोग समिति के साथ करने का आफर दिया जाय । समिति के अनिच्छुक होने पर उस जलकर की बन्दोबस्ती पुनः खुली डाक के द्वारा की जाय ।

2- सुरक्षित जमा कानिर्धारण सभी पहलुओं पर विचार कर जिला स्तर पर पूर्व गठित समिति द्वारा किया जायेगा ।

3- पूर्व के बकाये की आधी राशि यदि मत्स्यजीवी सहयोग समिति जलकर की बन्दोबस्ती के समय जमा कर देती है और शेष राशि को प्रत्येक तीन महीने पर दो किस्तों में जमा कर देने का लिखित आश्वासन देती है तो वैसी स्थिति में जलकर की बन्दोबस्ती समिति के साथ की जाय ।

इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि विभागीय पत्रांक 236 भू0 सु0 दिनांक 6.1.73 में दिये गये अनुदेश के अनुसार मतस्यजीवी सहयोग समिति द्वारा छूट के लिये विधिवत दायर दावों के सम्बन्ध में प्रत्येक जिले में गठित छानबीन समिति को अपने जिले के सभी लम्बित रिमीशन आवेदनों पर (500 रु0 की अधिक राशि पर) विचार कर अपनी अनुशंसा एवं विवरणी देनी है जिसे अपर समाहर्त्ता राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सैरात रिमीशन कमिटी के समक्ष रखने हेतु भेजेंगे । अत: उपरोक्त बकाये के अभिप्राय, वैसे बकाये कि राशि से है जिसके लिये समिति द्वारा न तो विधिवत छूट का दावा किया गया है और न वह राजस्तरीय सैरात रिमीशन कमिटी के विचारार्थ लम्बित है ।

4- बन्दोबस्ती के बाद आफर देने के सम्बन्ध में जो सरकारी निदेश विभागीय पत्रांक 2526 दिनांक 12.9.78 में दिया गया है वहीं लागू रहेगा।

5- जिन जलकरों को बन्दोबस्ती वर्ष 80-81 या इसके बाद के वर्ष के लिये की जा चुकी है, उन जलकरों की बन्दोबस्ती अवधि समाप्ति होने के बादयह अनुदेश लागू होगा । अन्य अवस्था में जलकरों की बन्दोबस्ती दिनांक 1.4.81 से इन अनुदेशों के अनुसार ही होगा ।

कृपया अपने अधीनस्थ सभी पदाधिकारियों को तद्नुसार इसकी सूचना दे दी जाय ।

कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें ।

विश्वासभाजन

(आर० एन० सिन्हा)
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक - 1929 भू० सु०, पटना - 15, दिनांक 5.11.80

प्रतिलिपि सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी को सूचनार्थ अग्रसारित ।

(आर० एन० सिन्हा)
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक - 1929 भू० सु०, पटना - 15, दिनांक 5.11.80

प्रतिलिपि बिहार प्रान्तीय मत्स्यजीवी सहयोग संघ, मुसल्लहपुर पटना को सूचनार्थ अग्रसारित ।

(आर० एन० सिन्हा)
सरकार के अपर सचिव ।

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 भाद्र 1915 (श०)

पटना, वृहस्पतिवार, 26 अगस्त 1993

विधि विभाग

अधिसूचनाएँ

26 अगस्त, 1993

सं0-एल0 जी0- 1-0/2/92 लेज 401 - बिहार विधान-मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, बिहार राज्यपाल 23 अगस्त, 1993 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है:-

(बिहार अधिनियम 20, 1993)

बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली (संशोधन) अधिनियम, 1993

बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 का संशोधन करने के लिये अधिनियम ।

भारत गणराज्य के चौलिसवाँ वर्ष में बिहारराज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :- (1) यह अधिनियम बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली (संशोधन) अधिनियम, 1993 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह दिनांक 2 फरवरी, 1993 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

2. बिहार एवं उड़ीसा अधिनियम 4, 1914 की अनुसूची 1 में नये मद का जोड़ा जाना - बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम 1914 (बिहार एवं उड़ीसा अधिनियम 4, 1914) की अनुसूची 1 में मद संख्या 8 के बाद निम्नलिखित नया मद जोड़ा जायेगा तथा सदा से जोड़ा गया समझा जायेगा, यथा:-

"8-क. राज्य सरकार अथवा उसके किसी विभाग या पदाधिकारी को किसी भी व्यक्ति द्वारा देय किसी भी ऋण एवं अग्रिम का बकाया।"

3. व्यावृत्ति :- (1) बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली (संशोधन) अध्यादेश, 1992 (बिहार अध्यादेश सं0 26, 1992) द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया कोइ कार्य या की गई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया याकी गयी, समझी जायेगी मानों यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी ।

सं0-एल0 जी0- 1-0/2/93 लेज 402 - बिहार विधान-मंडल द्वारा प्रख्यापित और राज्यपाल द्वारा 23 अगस्त, 1993 को अनुमत बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली (संशोधन) अधिनियम, 1993 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा :-

(Bihar Act 20] 1993)

THE BIHAR AND ORISSA PUBLIC DEMANDS RECOVERY (AMENDMENT) ORDINANCE, 1993

AN

Act

To amend the Bihar and Orissa Public Demands Recovery Act, 1914.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Forty-fourth year of the Republic of India as follows:-

1. *Short title, extent and commencement.*- (i) This Act may be called the Bihar and Orissa Public Demands Recovery (Amendment) Act, 1993.

(ii) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(iii) It shall be deemed to have come into force from 2nd February, 1993.

2. *Addition of a new item in Schedule I of Bihar and Orissa Act IV of 1914.* In Bihar and Orissa Public Demands Recovery Act, 1914 (Bihar and Orissa Act IV of 1914), after item no. 8 of Schedule I, the following new item shall be added and shall be deemed to have always been added namely :-

"8-A. Any outstanding loans and advances payable to
the State Government or to a Department or Official
of the State Government by anybody whatsoever.

3. *Saving.* - Anything done or any action takeninthe exercise of any Power conferred by or under the Bihar and Orissa Public Demands Recovery (Amandment) Ordinance, 1992 (Bihar Oridiance N. 26, 1992) shall be deemed to have beendone or takeninexercise of the power conferred by or under this Act, as if this Act were in force on the day onwhich such thing or action was done or taken.

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विन्देश्वरी प्रसाद यादव,
सरकार के प्र0 संयुक्त सचिव ।

पत्र संख्या 15/ली-3- नीति -10/97 - 427 /रा०

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री एस० एन० सी० एन० सिन्हा

आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी विभागाध्यक्ष

सभी विभागीय सचिव/सचिव, राजस्व पर्षद, बिहार

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त

सभी समाहर्ता/सभी उपायुक्त

पटना, दिनांक 16.7.97

विषय :- बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली संशोधन अधिनियम, 1993 में निहित निदेश के तहत ऋण एवं अग्रिम के बकाये की वसूली ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली संशोधन अधिनियम 1993 की गजेट प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम 1914 की अनुसूची - 1 की पद संख्या - 8 में भू-राजस्व के बाये की वसूली का प्रावधान निरुपित किया गया है ।

2- सरकार के समक्ष ऐसे कई दृष्टांत आये हैं जिसमें उपर्युक्त वसूली प्रावधान नहीं रहने के कारण सरकार द्वारा स्वीकृत ऋण एवं अग्रिम की वसूली में बाधा उत्पन्न होती है ।

3- सरकार द्वारा बिहार एवं उड़ीसालोक मांग वसूली संशोधन अधिनियम 1993 पारित कर दिया गया है जिसकागजट प्रकाशन भी होग गया है । इसके तहत बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम 1914 बिहार एवं उड़ीसा अधिनियम 4, 1914 की अनुसूची - 1 में मद संख्या -8 के बाद 8-क निम्नप्रकार प्रख्यापित किया गया है :-

"8-क राज्य सरकार अथवा उसके किसी विभाग या पदाधिकारी को किसी भी व्यक्ति द्वारा देय किसी भी ऋण एवं अग्रिम का बकाया"।

4- कंडिका - 3 में अंकित संशाधानुसार यह नियम भू-राजस्व के बकाये के अलावे सरकार द्वारा स्वीकृत ऋण एवं अग्रिम पर भी लागू हो गया है ।

5- सरकार द्वारा स्वीकृत बहुत सारे ऋण एवं अग्रिम को वसूली विभिन्न स्तरों पर रुकी हुई है, जिसका कुप्रभाव राज्य की वित्तीय स्थिति पर भी पड़ रहा है । भविष्य में ऋण एवं अग्रिम देने की व्यवस्था निर्माण रुप से कायम रखने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार द्वारा पूर्व में स्वीकृत ऋण एवं अग्रिम की वसूली नियमानुसार कर ली जाय ।

अतः अनुरोध है कि बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम 1993 में निहित निदेश के अनुरूप सरकारी ऋण एवं अग्रिम की वसूली सुनिश्चित करने की दिशा में कारगर कार्रवाई की जाय एवं अधिनस्थ पदाधिकारियों को भी अपनी ओर से सूचना दी जाय ।

विश्वासभाजन

(एस0एन0पी0एन0 सिन्हा)

आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक 427 रा0 पटना, दिनांक 16.7.97

प्रतिलिपि सभी जिलों के जिला निलाम पत्र पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(एस0एन0पी0एन0 सिन्हा)

आयुक्त एवं सचिव ।